खण्ड-345, अंक-9
बुधवार, 19 भाद्रपद, शक संवत् 1902
(10 सितम्बर, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 345 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय--सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	893-896
प्रश्नोत्तर	..	897-931
भूतपूर्व सदस्य, श्री रामबली मिश्र के निधन पर शोकोद्गार	..	931-934
सरजू परियोजना में हो रहे घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	934
घाघरा नदी की बाढ़ से बंधे के टूट जाने के कारण देवरिया के कतिपय ग्रामों में जलप्लावन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	935
शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में शकर वितरण में घोटाले के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना	..	935
आजमगढ़ जनपद में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के सम्बन्ध में सूचना	..	936
राजभर या भर जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के समान सुविधा दिए जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	..	936
श्री सूरजभान, सदस्य विधान सभा द्वारा जनता (एस) (राजनरायण) दल की सदस्यता से त्याग-पत्र के सम्बन्ध में सूचना	..	936
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	936-939
1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या संख्या 54--गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 64--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), तथा अनुदान संख्या 91--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग पूंजीगत परिव्यय) तथा अनुदान संख्या 118--चीनी उद्योग (ऋण और अग्रिम) (स्वीकृत)	..	939-990
इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	990
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	990
नत्थियां	..	991-995

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा--मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (342)

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसेन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री उर्फ अनिल सिंह (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
(उर्फ सुत्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री उर्फ बालराज (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चंचल सिंह श्री (रामपुर)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)

चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेत राम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थूलाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाईलाल, श्री (हरदोई)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)

भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगु नाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मंजूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री उर्फ शबरोज० (गोंडा)
महा बीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमानअन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री उर्फ ललन जी (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औंतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द सिंह, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)

रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौंहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालस, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौंधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढ़ाना कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाह, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवभंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्य पाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 10 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया ।]

गोला बैराज के फीडर चैनल के निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत

*2--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल में गोला बैराज हल्द्वानी से जो फीडर चैनल गुलरभोज डैम तक ले जाई जा रही है और इस विकास कार्य से जो हजारों बोरी सीमेंट ठेकेदार और सिंचाई मन्त्री को दिनांक 10 अक्तूबर, 1979 से लेकर 28 फरवरी, 1980 तक जनता द्वारा भेजी गयी है, उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

प्रश्नगत अवधि में शासन को दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुये जिसमें गोला बैराज के फीडर चैनल के निर्माण से सम्बन्धित ठेकेदारों तथा अधिकारियों द्वारा सरकारी सीमेन्ट चोरी करके बाजार में बेचे जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत की आवश्यक छानबीन करायी गयी और वह निराधार पायी गयी ।

(श्री जसवंत सिंह विष्ट का नाम पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरी रुचि इस सवाल में है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं । मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो शिकायत जनता ने की थी, उसकी जांच की गई ? यह जांच सिंचाई विभाग वालों ने की या किसी अन्य एजेन्सी ने ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्रीमन्, हमारी एक पी0 ए0 सी0 कमेटी है जो इसीलिए बनायी गयी है । उसने 5-6-80 को जांच की और शिकायत निराधार पायी गयी । इसके 3 सैम्पुल भी अनुसंधान विभाग को भेजे गये जहां परीक्षण कराया गया और वे भी ठीक पाये गये ।

जैंतीपुर रजबहा में हुयी खांदी से ग्राम जैंतीपुर, गौरा कठेरवा आदि में फसल की क्षति

3—श्री सच्चिदानन्द (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 9/10 व 11/12 दिसम्बर, 1978 की रात्रि में जैंतीपुर रजबहा में खांद (कट) हो जाने से जैंतीपुर व गौरा कठेरवा के तमाम किसानों की बोई गई फसल नष्ट हो गई थी ? यदि हां, तो उन किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम जैंतीपुर, गौरा कठेरवा तथा रामपुर खेसामऊ के 39·41 एकड़ में पानी फैला जिससे केवल 15·19 एकड़ में खांद से नुकसान हुआ था ।

मुआवजा देने हेतु प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया है तथा मुआवजा शीघ्र दे दिया जायगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमाबाद बिहारीपुर, जिला शाहजहांपुर में गर्रा नदी की लिफ्ट कैनाल

*4—श्री जगदीश सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में खुदागंज रजबहा पर आजमाबाद बिहारीपुर से गर्रा नदी से एक कैनाल लिफ्ट लगी थी, उसको इस वर्ष हटाने का क्या कारण है ? क्या काश्तकारों के लाभ को देखते हुए इसे पुनः चालू कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

खुदागंज रजबहा के मील 18 पर आजमाबाद बिहारीपुर के पास गर्रा नदी पर लगी लिफ्ट कैनाल इस वर्ष नहीं हटायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदीश सिंह—

मान्यवर, क्या इस लिफ्ट को हटाने का विचार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जिस लिये यह लिफ्ट कैनाल बनायी गयी थी, अब उसकी आवश्यकता वहां नहीं रह गयी है। टेल पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिये लिफ्ट को हटाने की बात है । टेल तक पानी पहुंचायी जय इसके लिये बेगुल रिजरवायर में पानी खुदागंज रजबहे से आ गया है । इस पानी से सिंचाई बढ़ जायगी इसलिये यह लिफ्ट हटायी गयी ।

श्री जगदीश सिंह—

क्या सरकार ने जो लिफ्ट लगायी थी, जो काश्तकारों की जमीन नाली और गूलों के बनाने के लिये ली गयी थी, क्या उनको कोई मुआवजा दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि बेगुल रिजरवायर से रजबहे में पानी डाला गया है, तो क्या मंत्री जी ने सुनिश्चित कर लिया है कि जहां से पानी लिया जायगा वहां तो पानी की कमी नहीं हो जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ऐसा नहीं है । बेगुल रिजरवायर से अतिरिक्त पानी लाया गया है । रजबहे से 60 क्यूसेक अतिरिक्त पानी बढ़ा दिया गया है ।

श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने इसे मौके पर नहीं देखा है, तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा है कि पानी चूंकि टेल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए यह लिफ्ट हटायी जा रही है, तो क्या वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे और इसे हटाने का प्रोपोजल खत्म करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

एक लिफ्ट पहले हटायी जा चुकी है । दूसरी एक और लिफ्ट है, उसको हटाने की बात है । इसको हटाकर टेल पर लगा दिया जाय, तो टेल पर पानी पहुंच जायगा ।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, मध्य गंगा, सिंचाई विभाग द्वारा स्टील का आयात

*5--श्री सोमांश प्रकाश--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मध्य गंगा) ने 5000 मैट्रिक टन स्टील 8,000 रु0 प्रति मैट्रिक टन की दर से बाहर से आयात किया था जब कि प्रदेश की मिनी स्टील प्लान्ट यही स्टील 4,000 रु0 प्रति मैट्रिक टन की दर से देने को तैयार था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इससे शासन को 2 करोड़ रु0 की क्षति हुई और स्टील प्रयोग में न लाकर स्टोर में पड़ी है ? इस विषय पर शासन को दिनांक 8 जुलाई, 1980 को जो पत्र दिया गया उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा इस हानि के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के कार्यों के लिए वर्ष 1979-80 में 65,000 मी0 टन टार स्टील की आवश्यकता थी । इसमें मध्य गंगा परियोजना के लिए 3000 मी0 टन स्पात स्टील अथारिटी आफ इन्डिया नई दिल्ली के माध्यम से आयात किया गया ।

आयातीत स्पात की कुल दर 4800 रुपये प्रति मी0 टन थी, इसमें 1520 रुपये प्रति मी0 टन की दर ढुलाई तथा केन्द्रीय सरकार को आयात शुल्क का व्यय भी सम्मिलित है । इस प्रकार आयातीत स्टील का मूल दर 3280 रुपये मी0 टन थी ।

उद्योग निदेशक के माध्यम से 20,00 मी0 टन स्टील के आदेश रिरोलर्स व मिनी स्टील प्लान्ट्स को 4000 रुपये सेल्स टैक्स (ऐक्स स्टाक यार्ड) ढुलाई की दर से दिये गये थे लेकिन केवल 8000 मी0 टन की आपूर्ति हो सकी ।

जब भारत सरकार से परामर्श करने के उपरान्त यह ज्ञात हो गया कि हमारी पूरा आवश्यकता को न तो देश के मूल उत्पादक ही पूरा कर सकते हैं और न ही मिनी स्टील प्लान्ट्स, तब बाध्य होकर स्टील को आयात करने का निर्णय लिया गया । उपरोक्त 3000 हजार मी0 टन आयात किये गये स्टील के विरुद्ध जून 1980 तक 2649 मी0 टन स्टील प्राप्त हुआ जिसमें से 1022 मी0 टन स्टील प्रयोग में आ गया है । शेष वर्षा ऋतु के बाद कार्य प्रारम्भ होने पर इसी वित्तीय वर्ष में उपयोग में आ जायगा शासन को 2 करोड़ रुपये की हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 8-7-80 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

श्री सोमांश प्रकाश--

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय रोलिंग मिल से जो स्टील प्राप्त हुआ, उसमें से कितने मीट्रिक टन स्टील प्रोजेक्ट में लग चुका है और आपके आंकड़ों के मुताबिक 1627 मी0 टन स्टील जो आयात किया गया था वह आपके स्टोर में जंग खा रहा है, तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपका कहना है कि स्टील आने में देर हो रही थी । माननीय, स्थिति यह है कि मेसर्स हनुमान इंजीनियरिंग वर्क्स, लखनऊ, मेसर्स राठी, गाजियाबाद, मेसर्स राठी उद्योग गाजियाबाद, उषा इंडस्ट्रीज आगरा ने कोटेशन में आश्वासन सिंचाई विभाग को दिया था कि हम जो स्टील सप्लाई करेंगे वह निश्चित रूप से प्रोजेक्ट की आवश्यकता को पूरा करेगा और प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं आने देंगे, तो उनके आश्वासन के बावजूद स्टील को आयात करने की क्या आवश्यकता थी ? जो आयात किया गया उसकी दर क्या थी, और कोटेशन में क्या दर थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, जवाब में उत्तर साफ दिया गया है कि मिनी स्टील प्लान्ट्स व रिरोलर्स से 20 हजार मी0 टन स्टील लेना था लेकिन इसमें से वह केवल 8 हजार मी0 टन स्टील सप्लाई कर पाये हैं और 12 हजार मी0 टन सप्लाई नहीं कर पाये हैं, इसलिये बाहर से स्टील मंगाया गया । माननीय सदस्य का कहना है कि जो पड़ा हुआ है तो उसमें मेरा कहना है कि वह इस साल की खपत के लिये पूरा नहीं है । वर्षा ऋतु के बाद कार्य प्रारम्भ होने पर उपयोग में आ जायेगा और उसके अलावा हमें और स्टील की जरूरत है ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय, मंत्री जी ने आंकड़ों में सबको उलझा दिया । क्या मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतायेंगे कि जो यहां के मिनी स्टील प्लान्ट्स हैं उनकी स्टील की कीमत ढुलाई और डिपूटी लगाकर, क्या है और जो आयात किया वह किस कीमत पर सरकारी को पड़ा है और जो आफर थे, यहां के मिनी स्टील प्लान्ट्स के उनकी दर क्या थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, उत्तर में दिया हुआ है कि यहां की स्टील की कीमत 4 हजार रुपये मी0 टन सब खर्चे मिलाकर थी और जो बाहर से मंगाया वह 3280 रुपये मे0 टन थी जिसमें ढुलाई और ड्यूटी मिलाकर 4800 रुपये मी0 टन पड़ी। हमको जरूरत थी और यहां के मिनी प्लान्ट्स स्टील सप्लाई नहीं कर पाये, तो मंगाया और आज भी कमी स्टील की है।

श्री मोहन सिंह—

8 जुलाई, 1980 को जो पत्र दिया गया है वह मिला है तो उसमें क्या बातें हैं और इसमें शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही किया है ?

श्री अध्यक्ष—

पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जवाब में लिखा है।

श्री मोहन सिंह—

उत्तर में उन्होंने कहा है कि प्राप्त हुआ है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसमें सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री हुकम सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के मिनी स्टील प्लान्ट्स से कुछ कोटेशन मंगाये और उसमें क्या सरकार को आश्वासन दिया था कि जितनी सरकार को स्टील की आवश्यकता होगी वह पूरी की जायेगी ?

और आपके उत्तर में आया है कि 4800 रुपया आपको पड़ता है बाहर से स्टील मंगाने पर जब कि प्रदेश का स्टील 4000 रुपये पड़ रहा है। आश्वासन देने के बावजूद भी, रेट में अन्तर होने के बावजूद भी, क्या आवश्यकता थी कि बाहर से स्टील मंगाना पड़ा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह बात सही नहीं है। मैंने कहा 30000 मैट्रिक टन सप्लाई करने के आदेश दिये गये जिसमें से 8000 मैट्रिक टन की सप्लाई कर पाये, 12000 मैट्रिक टन सप्लाई नहीं कर पाये। जब स्टील उपलब्ध नहीं था, तो बाहर से मंगाना पड़ा, मजबूरी में मंगाना पड़ा।

श्री काशी नाथ मिश्र—

श्रीमन्, यह एक नीति का प्रश्न है कि हम बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं हमारे यहां स्टील, सीमेंट तैयार होता है और बहुत सी हमारे प्रदेश में इन्डस्ट्रीज हैं जो सामान पैदा करती हैं। उसे विदेशों में भी खपाने का अवसर मिलता है। प्रश्न में लिखा है कि स्टील स्टोर में पड़ा रहा। कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी की बाहर से मंगाना पड़ा। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हमारे शासन की नीति है, उसके विरुद्ध बाहर से स्टील क्यों मंगाना पड़ा जब कि हमारे यहां इसका प्रोडक्शन होता है ? यह नीति के विपरीत काम क्यों किया गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन सा दंड उसे देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य समझ नहीं पायें। इनमें बड़ा साफ दिया है कि 65000 मेट्रिक टन स्टील की आवश्यकता थी जो हमारे कार्य, प्रोजेक्ट, चल रहे हैं उनके लिए। उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश स्टील अथारिटी आफ इंडिया से सप्लाई की व्यवस्था करा रहे हैं, स्टील नहीं मिल रहा है। हमारे देश के जो उत्पादक हैं टाटा आइरन एन्ड स्टील एथारिटी, ये मिल कर के 3600 मेट्रिक टन ही सप्लाई कर पाये। मिनी स्टील प्लान्ट को 20000 का आदेश दिया। वह केवल 8000 टन ही सप्लाई किये। ऐसी मजबूरी में बाहर से मंगाना जरूरी था। काम करना जरूरी था, वह रोका नहीं जा सकता है।

श्री काशी नाथ मिश्र--

स्टोर में क्यों पड़ा है यदि इतनी जरूरत थी, इसका उत्तर तो दिलवा दीजिए। स्टेट एक्सचेकर का करोड़ों रुपया नुकसान हुआ और स्टोर में स्टील बेकार पड़ा रहा उस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, स्टोर में जो माननीय सदस्य कह रहें हैं ज्यादा स्टील नहीं पड़ा हुआ है। कुछ स्टील खर्च हुआ है बाकी हमारा काम मार्च 81 तक चलने वाला है, उसके लिए भी स्टील की जरूरत पड़ेगी। स्टोर में बेकार नहीं पड़ा है, काम के लिए रखा है।

श्री ऊदल--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किस सन में स्टील मंगाया गया और कितना मंगाया गया, उस में कितना खर्च हुआ और कितना स्टोर में अब तक पड़ा हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, अभी मैंने बताया कि 3000 टन बाहर से मंगाया गया था जिस में 2649 मेट्रिक टन स्टील प्राप्त हुआ था और 1022 मेट्रिक टन प्रयोग में आ चुका है, और जो पड़ा है कह रहे हैं, इतना लम्बा पीरियड है, काम बहुत है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

देश के जिन मिनी प्लांट्स को आर्डर्स दिये गये थे, तो आर्डर्स सप्लाई करने का अन्तिम तिथि क्या थी और क्या विदेश को उस तिथि के समाप्त होने से पहले आर्डर दे दिया गया था ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रश्न का सम्बन्ध इंडस्ट्री मिनिस्टर से भी है प्रश्न काल में अन्य माननीय मंत्रियों की मौजूदगी भी जरूरी है क्योंकि और कोई ऐसा मामला छिड़ जाय, तो उनके द्वारा उसकी सफाई हो जाय, तो आप यह व्यवस्था दें कि प्रश्न के घंटे में अन्य मिनिस्टर्स भी मौजूद रहें क्योंकि वह संयुक्त जिम्मेदारी वाली सरकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता लेकिन एक औपचारिकता की बात माननीय सदस्य ने उठाई है । उन्होंने कहा कि और मंत्री भी उपस्थित रहा करें । एक भी मंत्री अगर उपस्थित है तो संयुक्त जिम्मेदारी के आधार पर सारा मंत्रिमंडल उपस्थित है, उसमें किसी अन्य मंत्री की आवश्यकता नहीं है । (कुछ रुक कर) माननीय मंत्री और राजेन्द्र प्रसाद गुप्त के प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो सवाल किया है, उस सम्बन्ध में सूची इस समय उपलब्ध नहीं है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त--

सूची में नहीं चाहता । मिनी प्लांट्स को आर्डर्स दिये गये थे । मेरा प्रश्न है कि विदेश को आर्डर जो दिये गये थे वह, मिनी प्लांट्स को जो आर्डर्स दिये गये थे उनकी तिथि समाप्त होने के पहले दिये गये थे या तिथि समाप्त होने के बाद ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मिनी प्लांट्स को हमने 20 हजार मीट्रिक टन के आर्डर्स दिये थे लेकिन उसे वे सप्लाई नहीं कर पाये । 65 हजार मीट्रिक टन की हमको आवश्यकता थी जो हमको कहीं से मिल नहीं सका । इस मजबूरी के कारण हमने बाहर से स्टील के लिये आर्डर दिया था ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि मिनी प्लांट्स को जो आर्डर्स दिये गये थे, वे किसी निर्धारित तिथि तक सप्लाई करने के लिये थे । अब बाहर जो आर्डर दिये गये थे उसे निर्धारित तिथि के बीतने के बाद दिये गये थे या उससे पहले ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने उत्तर दिया कि मिनी प्लांट्स को 20 हजार मीट्रिक टन का आर्डर दिया गया था । 65 हजार तथा 20 हजार मीट्रिक टन के बीच में जो कमी थी उसे हमको पूरा करना था । 20 हजार मीट्रिक टन अगर मिल भी जाता तो भी आवश्यकता की पूर्ति न होती । क्योंकि देश में वह आवश्यकता पूरी नहीं हो रही थी और हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स सफर कर रहे थे, इसलिये बाहर हमको आर्डर देने पड़े ।

श्री रियासत हुसैन--

आपने मिनी प्लांट्स को जो आर्डर्स दिये थे, जिनको वह पूरा नहीं कर पाये उसके लिये कोई तिथि निर्धारित की होगी । उस तिथि के अन्दर वह सप्लाई कर सके या नहीं यह आप बतलायं ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने क्लीयर कर दिया कि 20 हजार मीट्रिक टन उनको सप्लाई करना था ।

श्री रियासत हुसैन--

उत्तर ठीक से नहीं दे रहे हैं आप ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य बैठ जायं । उत्तर दिलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि आपको स्टील सप्लाई करने के लिये कोई निर्धारित समय था कि फलां अवधि तक वे आपको सप्लाई कर दे ? यदि वह था, तो उस समय के बीत जाने के उपरान्त क्या आपने बाहर से स्टील मंगाने का आदेश दिया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य, 1979 में यह आदेश दिया गया था और हर तरह से यह देखा गया कि यह हमें नहीं मिलेगा, तो शासन स्तर पर 4-1-80 को एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 20 प्रतिशत सेल के माध्यम से आयात करने का निर्णय लेना आवश्यक है । तब यह आर्डर जनवरी, 1980 को दिया गया ।

ललितपुर जिले के लिये लिफ्ट सिंचाई योजना का प्रस्ताव

*6--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर में लिफ्ट सिंचाई योजना बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 1979 का उन्हें दिया गया ? यदि हां तो उस पर कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जनपद ललितपुर के लिये पहले से ही 24 डाल सिंचाई योजनायें प्रस्तावित हैं । इनके प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

[दिनांक 10 सितम्बर, 1980 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

[8वें मंगलवार में तारांकि-प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

देवरिया जिले के ग्राम श्रीपतिखंड के श्री श्याम बिहारी सिंह का जमुनियां राजबहा सम्बन्धी पत्र

*2--श्री कुंबेर भंडारी तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या सिंचाई मंत्री को ग्राम श्रीपतिखंड, तहसील पडरौना, जिला देवरिया के 25 ग्रामीण किसानों से संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 16-1-80 किसी विधायक के पत्र दिनांक 19-1-80 की संस्तुति सहित जिसमें जमुनिया रजबहा के कथित नहर टूटने से रबी की बुवाई तथा जमाव, फसल नष्ट होने आदि कठिनाई होंने की शिकायत थी, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो किसानों की वांछित आवश्यक मांगों की पूर्ति का समाधान करेंगे ? यदि हां तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । तत्कालीन सिचाई मंत्री को सम्बोधित एक पत्र श्री श्याम बिहारी सिंह पुत्र श्री अलगू सिंह, ग्राम श्रीपति खंड, जिला देवरिया का दिनांक 10-1-80 का श्री राम नरेश पाण्डे, भूतपूर्व विधायक द्वारा संस्तुत का प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र में जमुनिया राजबहा के टूटने से हुई फसल की क्षति के लिए बारह सौ रुपया ही हर्जाने की मांग की थी । उक्त हर्जाने की मांग निराधार पाई गई अतः पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, नहर बनाते समय गूज, पुलिया, साइफन तथा छलका जिससे पानी छोड़ा जाता, वह नहीं बनाया गया तो क्या अब इस नहर पर यह सब बना दी जायेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य की मंशा है । अगर आवश्यक हुआ तो बना दिये जायेंगे ।

श्री कुबेर भण्डारी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नहर के टूटने से जो फसल को क्षति हुई है उनको कोई सहायता देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो मंत्री जी ने बता दिया ।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा ऋण पर दी जाने वाली मार्जिन मनी

*3—श्री मित्रसेन यादव, श्री बंशीधर राज—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को 6,000 रु0 से अधिक ऋण योजना के ऊपर दिये जाने वाले मार्जिन मनी या अन्तर ब्याज की स्कीम बन्द कर दी है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ? इस निगम में उत्तर प्रदेश सरकार की कितने प्रतिशत पूंजी थी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री छेदा लाल चौधरी)—

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 ने कतिपय योजनाओं में मार्जिन मनी अनुदान एवं ब्याज अनुदान देने की योजना प्रारम्भ की थी जो वर्ष 1979-80 से बन्द हो गयी क्योंकि वह भारत सरकार के निर्देशों के अनुकूल नहीं थी । सम्प्रति, निगम भारत सरकार के निर्देशानुसार 6,000 रु0 तक की अनावर्तीय पूंजी लागत की योजनाओं में मार्जिन मनी ऋण प्रदान कर सकता है । निगम में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशपूंजी 51 प्रतिशत है परन्तु अभी भारत सरकार से कुछ अंश नहीं मिल पाया है और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशपूंजी 56·95 प्रतिशत है ।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, यह हरिजन प्रेमी सरकार है ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री मित्रसेन—

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त निगम ने 1979–80 में एक जो योजना चल रही थी, वह बन्द कर दी, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी योजनायें थी, जिसमें मारजिन मनी पर हरिजनों को ऋण दिये जाते थे और कितने–कितने ऋण दिये जाते थे ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

वह इसलिए बन्द कर दी गयी कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप नहीं थी ।

श्री मित्रसेन—

वह तो आपने कह दिया है कि बन्द कर दी गयी । इससे पूर्व जब योजना चल रही थी उसमें वह कौन सी योजना थी और कितने–कितने ऋण दिये जाते थे ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, वह कौन सी योजना थी जो आपने बन्द कर दी ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मान्यवर, 6 हजार से ऊपर तक की जो योजना थी वह बन्द कर दी गयी ।

श्री मित्रसेन—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक उत्तर प्रदेश सरकार की पूंजी 51 प्रतिशत थी, अब उसे बढ़ाकर 56 प्रतिशत कर दिया गया । वह योजना जिससे हरिजनों को ज्यादा लाभ मिलता था एक लाख या डेढ़ लाख तक टैक्सी खरीदने वा पेट्रोल पम्प के वास्ते अनुदान मिलता था क्या उसे चालू करने के लिए सरकार पुनर्विचार करेगी ?

श्री छेदालाल चौधरी—

मान्यवर, इसकी मंशा यह है कि अधिकांश लोग जो हैं, वह गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको लाभ पहुंचाने की है यह जो योजना पहले चालू थी वह इसलिये बन्द कर दी गयी क्योंकि इससे गरीबों को ज्यादा लाभ नहीं होता था, लाखों रुपया लेकर थोड़े से लोग लाभान्वित हो रहे थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी वही फायदा उठा रहे थे, अब इससे अधिक गरीबों को लाभ हो रहा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि यह योजना जो थी, वह भारत सरकार की नीति के विरुद्ध थी, इसलिए बन्द कर दी गयी और तत्कालीन सरकार को मालूम था कि निर्देशों के खिलाफ है तब भी जनहित में केन्द्र के खिलाफ चलाया जा सकता था, तो इस सरकार को उसे बन्द करने का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष--

वह कहते हैं कि केन्द्र के निर्देशों के अनुरूप यह योजना नहीं थी, इसलिए बन्द कर दिया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

भारत सरकार के निर्देशों के खिलाफ जनता सरकार ने चलाया जिस पर आडिटर जनरल ने कोई आपत्ति नहीं की है ।

श्री अध्यक्ष--

बात स्पष्ट है आप चला सकते हैं यह नहीं चला सकते हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अडिटर जनरल ने कोई आपत्ति नहीं की है अगर की हो, तो बता दें ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

प्रश्न को दोहरा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाएं मैं आपका प्रश्न पूछ देता हूं ।

माननीय मन्त्री जी आपका प्रश्न यह है कि यह कौन से निर्देश थे जो केन्द्रीय सरकार के अनुकूल नहीं थे, जिसके कारण योजना बन्द कर दी गई ?

श्री छेदी लाल चौधरी--

माननीय, इस समय जो निर्देश है, इसके हिसाब से अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो रहा है और पहले के हिसाब से थोड़े लोगों को फायदा हो रहा था, तो जिसमें ज्यादा लोगों का फायदा है उस कार्य को किया गया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

केन्द्र सरकार के निर्देश को ही मैं जानना चाहता हूं ? मन्त्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी, जो निर्देश आपको उपलब्ध है, क्या उसकी सूचना दे सकते हैं ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बंशीधर राज--

जो योजनायें वर्ष 1979-80 से पूर्व स्वीकृत हो गई थी, उनका मार्जिन मनी-और ब्याज अनुदान बैंकों को दिया जायगा और इस बिना पर बैंकों ने उद्यमियों को ऋण दिया था, तो क्या उनको भी देना बन्द कर दिया जायगा ? और यदि बन्द कर दिया गया, तो क्या उनकी जमीनें नीलाम नहीं होंगी ?

(व्यवधान)

(मन्त्री द्वारा उत्तर न दिये जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शान्त हो जाएं, मन्त्री जी, उनका प्रश्न यह है कि उस योजना के अन्तर्गत जो ऋण दिया गया है, जिनको दिया जा चुका है, उनके सम्बन्ध में क्या होगा ?

श्री छेदालाल चौधरी—

माननीय, जिनको दिया जा चुका है, उनको दिया हो जा चुका है...

(व्यवधान) (हंसी)

श्री बंशीधर राज—

उनको आगे अनुदान दिया जायगा य नहीं ? मैं यह जानना चाहता हूं ?

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री बंशीधर राज—

माननीय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है ....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जाएं, जितना उत्तर मिल गया है, उसमें सन्तोष करें और जो नहीं मिला है, उसके लिए उनके कक्ष में जा कर मालूम कर लें ।

कानपुर के ग्राम बिशुनपुर की लिफ्ट कैनाल की कथित बन्दी

*4—श्री हरी किशन श्रीवास्तव (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में ग्राम बिशुनपुर में लिफ्ट पम्प कैनाल दो वर्ष से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्या कारण है और कब तक चालू किया जा सकेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के कस्बा रूधौली में बस स्टेशन के निर्माण की मांग

*5—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री को मालूम है कि बस्ती जनपद के बस्ती–बांसी मार्ग पर रुधौली कस्बा में बस स्टेशन भवन निर्माण हेतु चकबन्दी में ही गत 10 वर्ष पूर्व पर्याप्त भूमि छोड़ दी गई है और जो आज भी बेकार पड़ी हुयी है ? क्या यह सही है कि रूधौली कस्बा की मेन रोड पर बसों तथा ट्रकों के खड़े होने से यात यात में बड़ी कठिनाई होती है तथा आये दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ? क्या यह भी सही है कि उक्त रूधौली में बस स्टेशन निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता ने कई पत्र वर्ष 1977–78, 1978–79 तथा 1979–80 में निगम के उच्च अधिकारियों को तथा शासन को लिखे हैं ? यदि हां, तो उक्त बस स्टेशन भवन निगम अथवा शासन द्वारा क्यों नहीं निर्माण कराया जा रहा है ? और कब तक ये निर्माण कार्य पूरा कराये जाने की सम्भावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिनांक 24-4-73 से बस स्टेशन निर्माण हेतु रूधौली कस्बा में चकबन्दी विभाग से प्राप्त हुई भूमि उपलब्ध है। रूधौली कस्बा की मेन रोड पर बसों व ट्रकों के खड़े होने से यातायात में कठिनाई होना सम्भव है। इस अवधि में केवल दो पत्र प्रश्नकर्ता से प्राप्त हुए हैं।

वित्तीय संसाधन के अभाव तथा निर्धारित मापदण्ड से कम आय होने के कारण बस स्टेशन भवन का निर्माण अब तक नहीं कराया जा सका है। यह कार्य इस समय विचाराधीन भी नहीं है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनका निर्धारित माप दण्ड क्या है? जब मेन रोड पर यातायात में कठिनाई होना पाया गया, तो क्या बस स्टैन्ड का निर्माण करने के लिए कोई प्राविधान किया है अथवा नहीं?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यहां की इस समय दैनिक आमदनी 900 रुपये है। पहले जब बस स्टैन्ड बनने की बात उठायी गयी थी, तो उस समय 1,000 रुपया दैनिक आय थी। नियमानुसार यह आमदनी 1,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। दूसरे निगम साधनों की कमी के कारण काफी परेशानी में है। इस लिए जब साधन उपलब्ध होंगे तभी इसके निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, रुधौली कस्बे में कम से कम दैनिक औसत आय 1,200 से 1,500 रुपये है। यह भी सत्यापन कर कि जीवन बीमा निगम से भवन निर्माण के लिए आपके परिवहन विभाग को धन भी प्राप्त हो चुका है, तो ऐसी दशा में क्या रूधौली कस्बे में एक बस स्टैण्ड निर्माण कराने की कृपा करेंगे।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने कहा और उत्तर में भी है कि अभी निगम के पास धन का अभाव है। जब इसकी व्यवस्था हो जायगी, तब इनके निर्माण की व्यवस्था की जायेगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि इस समय वहां पर जो आमदनी होनी चाहिए वह नहीं है, तो क्या वह इस आमदनी को बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे और विभाग में जो कन्डक्टरों और ड्राइवरों की समस्या है, यह दूर होते आपको नजर नहीं आता है? और क्या बसों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से अपने विभाग का पुनर्गठन करेंगे या उसमें सुधार करेंगे ताकि आमदनी बढ़ सके और टाटा की बसों को वापस करायेंगे। देखने में यह आया है कि रोडवेज की जो बसें हैं, उनकी औसत आय कम है, तो क्या इनमें टायर ट्यूब बदलवा कर उनकी आमदनी को बढ़ाने की कृपा करेंगे।

श्री वीर बहादुर सिंह--

वास्तव में निगम की जो बसें हैं, वे बहुत पुरानी हैं और उनको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। इनमें से 25 प्रतिशत बसें ऐसी हैं जो चलने लायक नहीं हैं लेकिन मजबूरी में चलायी जा रही हैं। हमें इस समय 2,000

चैसिस की आवश्यकता है । हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें केवल 200, 300 या 400 चैसिस ही मिलने की आशा है । सुधार करने का भी जितना प्रयास हो सकता है, हम कर रहे हैं ।

श्री ऊदल--

निगम ने पिछले दिनों 1 नया आदेश निकाल कर तमाम प्राइवेट बसों को अनुबन्धित कर लिया है राष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी, उसका फल यह हो रहा है कि आज निगम की आमदनी कम हो रही है, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वह राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अपनी ही बसें चलाये ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न तो रुदौली कस्बे में बस स्टेशन के निर्माण सम्बन्धी था, आपने इससे भिन्न विषय पर प्रश्न पूछने आरम्भ कर दिए ?

श्री ऊदल--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि राष्ट्रीय कृत मार्गों पर अनुबन्धित बसों के चलने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो हो चुका है ।

अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर की बाढ़ सुरक्षा योजना

*6--प्रवीन कुमार शर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर में गंगा नदी के द्वारा जो मन्दिर, मकानों, खेतों व पशुओं को प्रतिवर्ष हानि होती है उसके बचाव हेतु सरकार क्या कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर नगर को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु दो परियोजनायें बनाई गई थीं जिन पर कार्य 1980 की बाढ़ के पूर्व समाप्त हो गया है । निर्मित कार्य वांछित सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि इस समय उनके बचाव के लिए क्या कर रहे हैं । मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया कि सरकार यह कार्य कर चुकी है और यह भी बताया आपने कि निर्मित कार्य वांछित सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं । इसमें ड्रेनेज डिपार्टमेंट, मेरठ, ने 10 लाख रुपये का एस्टीमेट भेजा है अनुपशहर में डेम्पर्स की मरम्मत के लिए, तो वह क्यों भेजा गया है और उनकी मरम्मत के लिए क्या हो रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यहां पर 10 डेम्पर्स बनाये गये, 4 नये और 6 पहले के थे । अब कटान का खतरा नहीं रह गया है ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नीचे से जो इस्टीमेट बनाकर मंजूरी के लिये भेजा गया था, वह क्यों भेजा गया था ? उसकी क्या जरूरत थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह मरम्मत का काम तो होता ही रहता है, मैंने बताया कि अब सुरक्षा प्रदान कर दी गयी है इन डंम्पर्स के द्वारा ।

विकास क्षेत्र, सिधौली, जिला शाहजहांपुर के नलकूपों का विद्युतीकरण

*7--श्री जगदीश सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र सिधौली में गत वित्तीय वर्ष में 10 सरकारी नलकूपों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो उनको अब तक बिजली का कनेक्शन न मिलने का क्या कारण है और नलकूपों को कनेक्शन कब तक दे दिए जाने की आशा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । इन समस्त नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए बी० एल० फार्म मार्च, 1980 तक विद्युत विभाग को भेजे जा चुके हैं । शासन प्रयास कर रहा है कि इन नलकूपों को बिजली कनेक्शन शीघ्र मिल जाये ।

श्री जगदीश सिंह--

यह नलकूप कब बनाये गये और कनेक्शन बिजली का न मिलने का क्या कारण है, इसके लिये विद्युत् विभाग को कब भेजा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अगग-अलग ग्रामों में अलग-अलग तिथियों को नलकूप बने हैं । ग्राम बिलन्दपुर, त्रिलोकपुर, भामपुर, नगलशाहजहां में फरवरी, 79 में बने । मुजफफरपुर अप्रैल, 79, में गोलारायपुर में जून, 79 में, ईटाकोरा में जुलाई, 79 में, यह भिन्न-भिन्न तिथियों में बने हैं । कनेक्शन के लिये सितम्बर, 1979 तथा मार्च, 1980 में भेजा है ।

श्री रियासत हुसेन--

यह जो जलकूप बनाये जाते हैं इनको बी० एल० फार्म न भेजने के कारण बिजली नहीं मिलती । मोटर की फिटिंग पहले से नहीं होती और अन्दर की फिटिंग भी नहीं होती, इस डर से की मोटर चोरी न हो जाये । इसलिये बी० एल० फार्म समय से नहीं जाते । इस कारण कई कई साल तक नलकूप नहीं चल पाते, तो क्या ऐसा कोई रास्ता मंत्री जी निकालेंगे जिससे कि आपका विभाग और बिजली विभाग दोनों एक साथ काम करें और समय नष्ट न हो ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

माननीय सदस्य की राय सही है कि इसमें बिलम्ब होता है । सिंचाई विभाग और बिजली विभाग में समन्वय किया जायेगा जिससे कि देरी न हो ।

श्री सूबेदार सिंह--

बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये भी सरकार कोई कार्यवाही करेगी क्योंकि उसकी काफी कमी है ? (हंसी)

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।

कबीर पन्थी जुलाहों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे जाने की मांग

*8--श्री सोमांश प्रकाश--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कबीर पन्थी जुलाहा जाति के लोगों को अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

यह ज्ञात नहीं है कि भारत सरकार ने कुछ अन्य प्रदेशों में कबीर पंथी जुलाहों को किस आधार पर अनुसूचित जाति घोषित किया है । जहां तक इस प्रदेश का सम्बन्ध है जांच से विदित हुआ है कि तथाकथित कबीर पंथी जुलाहों में अनुसूचित जातियों के लक्षण नहीं पाये जाते हैं । वस्तुतः कबीर पंथी कोई जाति नहीं है बल्कि एक मत है जिसके अनुयायी अपने आपको अनुसूचित जातियों से ऊंचा समझते रहे हैं और समाज में वे सवर्ण की दृष्टि से देखे जाते हैं ।

श्री सोमांश प्रकाश--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अनुसूचित जाति में आने के लिए क्या लक्षण हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो सब नियमों में लिखा हुआ है, उसमें देख लीजिएगा ।

श्री सोमांश प्रकाश--

मान्यवर, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में कबीर पंथी जुलाहे जो हैं, अनुसूचित जाति में माने गये हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अनुसूचित जाति के लिए क्या लक्षण चाहिए ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दे दिया है कि किस आधार पर अनुसूचित जाति माने गये हैं ।

श्री सोमांश प्रकाश--

मान्यवर, लक्षण क्या है, मैं यही सिर्फ जानना चाहता हूं, यह माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने अपने उत्तर में बता दिया है कि कबीर पंथी कोई जाति नहीं है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों में कबीर पंथी जुलाहे अनुसूचित जाति में माने गये हैं, उन राज्यों को मंत्री जी लिखेंगे या पत्र-व्यवहार करेंगे कि आपके यहां इन कबीर पंथी जुलाहों को किन-किन लक्षणों के आधार पर अनुसूचित जाति माना गया है और उन लक्षणों को अपने यहां के लक्षणों से मिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री काशो नाथ मिश्र--

यह तो कबीर पंथी का अपमान होगा, मान्यवर ।

श्री छेदालाल चौधरी--

मान्यवर, कबीर पंथी जुलाहे अपने को अनुसूचित जाति मानते ही नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी जिन और राज्यों में ये अनुसूचित जाति माने गये हैं, उन राज्यों से आप पत्र व्यवहार करके मालूम करेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

यदि माननीय सदस्य कहते हैं, तो जानकारी कर लेंगे ।

श्री हुकम सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई कमीशन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया इस बात की जांच करने के लिए कि कबीर पंथी सवर्ण में आते हैं या अनुसूचित जाति में आते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपने कोई कमीशन मुकर्रर किया है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कबीर पंथी हरिजन की कटेगिरी में नही आते, क्या इसकी कोई जांच उन्होंने कराई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, उत्तर दिलवाइये । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

आदर्श कृष्ण इन्टर कालेज, वरनाहाल, जिला मनपुरी के हरिजन छात्रों की छात्र-वृत्ति

*9--श्री शिव मंगल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्शकृष्ण इन्टर कालेज, वरनाहल, जिला मैनपुरी के हरिजन छात्रों को वर्ष 1978-79 और 79-80 की छात्रवृत्ति की धनराशि आज तक नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो छात्रवृत्ति न देने का कारण क्या है ? क्या सम्बन्धित दोषी व्यक्ति को सजा देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

आदर्श कृष्ण इन्टर कालेज, वरनाहाल, जिला मैनपुरी के हरिजन छात्रों को वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है । कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया, अतः किसी को सजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता--

अनुसूचित जाति वित्त एवं बिकास निगम, लखनऊ द्वारा दिया गया हरिजनों को ऋण की वसूली

*10--श्री भीखा लाल (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ द्वारा गत वर्षों में कितने हरिजनों को व्यापार करने के लिये कपड़े के रूप में ऋण दिया गया है और जिसकी वसूली निगम द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने गत वर्ष के सूखे को ध्यान में रखते हुए इन वसूलियों को मुल्तवी करने के आदेश दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा 1977-78 में 468 व्यक्तियों को तथा 1978-79 में 804 व्यक्तियों को 4000 रु० प्रति व्यक्ति ऋण कपड़े के रूप में 4 प्रतिशत ब्याज पर दिया गया था जिसकी वसूली निगम द्वारा की जा रही है । शासन द्वारा वसूली स्थगित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ऋण पर दिया गया धन सरकारी नहीं है बल्कि निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त किया गया था जिसकी अदायगी की किस्तें निगम द्वारा समय पर दी जानी होती हैं । अधिकांश व्यक्ति अपनी किश्तों का नियमित भुगतान कर रहे हैं ।

उत्तर काशी जिले के विकास खण्ड नौगांव तथा पुरौला एवं टेहरी-गढ़वाल जिले के विकास खण्ड जौनपुर को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग

*11--श्री बलदेव सिंह आर्य--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद तथा टिहरी-गढ़वाल जनपद के थत्यूड़ (जौनपुर) विकास खंड की जनता जिसके रीति रिवाज जनजाति क्षेत्र जौनसार भावर की भांति हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र

को जन जाति क्षेत्र घोषित करने की भारत सरकार से 1974 के आस पास मांग की थी ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में क्या संस्तुति की है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

फरवरी, 1978 में भारत सरकार से उत्तरकाशी जनपद के विकास खण्ड नौगांव तथा पुरोला व टेहरी गढ़वाल जनपद के विकास खण्ड जौनपुर को जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु भारत सरकार ने उक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलावेंगे कि अस्वीकार करने के कोई कारण भी भारत सरकार ने बतलाया है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

कारण स्पष्ट निश्चित है, लेकिन सम्बन्धित विकास खण्डों में जो अनुसुचित बिल्कुल नगण्य है । नियमों में इसका उल्लेख है कि कम से कम 20 प्रतिशत तक संख्या होनी चाहिए तभी घोषित किया जा सकता है ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

अपने उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने जिन विकास खण्डों का उल्लेख किया जातियों की संख्या है, वह है, तो क्या वहां की जन जातियों के लोगों में सुविधा मिल रही है, जो उन्हें मिलनी चाहिए या नहीं ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

वह तो निश्चित तौर पर मिल रही है, पर्वतीय विकास खण्ड की ओर से भी और शासन से भी सुविधाएं मिल रही हैं ।

श्री धर्म सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 1974 में क्या-क्या मांगे थीं और भारत सरकार ने किस आधार पर उन मांगों को अस्वीकार किया ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, धर्म सिंह जी जानना चाहते हैं कि 1974 में कौन-कौन सी मांगे थीं और भारत सरकार ने किसी आधार पर अस्वीकार किया है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

सरकार ने इसको आवश्यकता नहीं समझी इसलिये नहीं दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

यह प्रश्न के अंदर ही स्पष्ट है कि किन-किन सूबे की सरकार ने क्या-क्या संस्तुति की है माननीय मन्त्री जी यह बतलावें कि उन जातियों द्वारा क्या-क्या मांगे की गयी थीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आज से 6 साल के बाद राज्य सरकार ने जो संस्तुति की थी, उसमें क्या-क्या संस्तुतियां की थीं और इन 6 वर्षों में उन क्षेत्रों के अंदर कोई विशेष परिवर्तन हुए हैं या नहीं, यदि नहीं, तो क्या माननीय मन्त्री जी दुबारा संस्तुति करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो बहुत बड़ा सवाल आपने कर लिया है । माननीय मन्त्री जी आपने क्या-क्या संस्तुतियां की थीं, जो अस्वीकार हो चुकी हैं और क्या अब दुबारा संस्तुति करेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

सूचना की आवश्यकता है । यदि माननीय सदस्य स्पष्ट रूप से लिखकर दे दें, तो सूचना एकत्र कर ली जायेगी ।

आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई की पिछड़े वर्ग की छात्राओं की छात्र वृत्ति

*12-श्री रियासत हुसैन, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री माता प्रसाद पाण्डे--

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद के आर्य कन्या महाविद्यालय में पिछड़े वर्ग की कितनी छात्राओं को वर्ष 1978-79 व 1979-80 की छात्र वृत्ति प्रदान कर दी गई है तथा उनकी पास बुक उन्हें उपलब्ध करा दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

हरदोई जनपद के आर्य कन्या महाविद्यालय में वर्ष 1978-79 में पिछड़े वर्ग की तीन छात्राओं को तथा वर्ष 1979-80 में पिछड़े वर्ग की छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी हैं ।

सभी छात्राओं की पास बुकें उन्हें वापस की जा चुकी हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास कोई प्रश्न ऐसा विचाराधीन है कि आगे बैकवर्ड की जो छात्र/छात्रायें हैं, उनको स्कालरशिप बन्द कर दी जाय ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

ऐसी बात नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित की इतने छात्रों को दी गई, मैं जानना चाहता हूं मन्त्री जी से कितने को यह छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी और कितने को बांटा गया ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मन्त्री जी ने इसका उत्तर नहीं दिया कि कितने को स्वीकृति थी और कितने को दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

जितने को छात्रवृत्ति दी गई है वह बता दिया है ।

मुजफ्फरनगर कारागार में आन्दोलनकारी बन्दियों की भूख हड़ताल

*13--श्री ललू सिंह चौहान--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर कारागार में नौ (9) सत्याग्रही राजनैतिक कार्यकर्त्ता 31 जुलाई, 1980 से भूख हड़ताल में हैं ? यदि हां, तो उनकी मांग क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जी नहीं ।

इस समय जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में कोई आन्दोलनकारी बन्दी भूख हड़ताल पर नहीं है । जिला कारागार में दिनांक 1 अगस्त, 1980 से आठ (8) आन्दोलनकारी बन्दियों ने उच्च श्रेणी की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी । उनमें से एक व्यक्ति ने 2 अगस्त को तथा शेष 7 व्यक्तियों ने 4 अगस्त को भूख हड़ताल बिना शर्त समाप्त कर दी थी । आवश्यक जांच के उपरान्त उक्त आठ व्यक्तियों में से दो को उच्च श्रेणी प्रदान कर दी गई ।

श्री ललू सिंह चौहान--

मैं यह जानना चाहता हूं कि किस तारीख को 2 को उच्च श्रेणी प्रदान की गई ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

दो को उच्च श्रेणी प्रदान की गयी, किस तारीख को प्रदान की गई इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री छत्तर सिंह-

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन भूख हड़तालियों में से कितने को उच्च श्रेणी प्रदान की गयी ।

श्री अध्यक्ष-

दो को दी गयी है उत्तर आ गया ।

श्री ऊदल-

यह जो 6 को नहीं प्रदान की गयी 8 सत्याग्रही थे दो को दी गई शेष को नहीं दी गई क्या बाकी को उच्च श्रेणी देने का विचार करेंगे ।

श्री छेदा लाल चौधरी-

यह कोई कंसेशन नहीं है, यह जेल मैनुअल की तहत दिया जाता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

जिस जेल मैनुअल का जिक्र मंत्री जी ने दिया है, उस जेल मैनुअल में उच्च श्रेणी देने का निर्देश है और डी० एम० को यह डिस्क्रिशन दिया गया है कि वह उच्च श्रेणी प्रदान करें, किन्तु चूंकि डी० एम० बन्द करता है, इसलिये वह अपने डिस्क्रिशन का प्रयोग खिलाफ में करता है, तो क्या डी० एम० के इस डिस्क्रिशन को वापस लेने का आश्वासन देंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी––

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

नलकूप चालकों को दी जानेवाली आवास सुविधायें

*14––श्री मोहम्मद अबरार अहमद––

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार द्वारा कूप चालकों को आवास की सुविधा जो कूप पर ही दी गयी थी, अब भी दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*15––श्री मन्जूर अहमद––

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित ।]

बलिया जिले के बहेरा, मेण्डी नाले की जल निकासी योजना की मांग

*16––श्री निर्भय नारायण सिंह (अनुपस्थित)––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत सरकार ने बलिया जिले के बहेरा, मेण्डी आदि नाला के पानी निकासी के लिए शक्ति चालित पम्पों को लगाकर पानी निकालने की योजना स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति ने विचारोपरान्त इन योजनाओं को लाभप्रद न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया है ।

नोट––नत्थी (क) के प्रश्न संख्या 2, जो नत्थी ख के प्रश्न संख्या 13 के बाद लिया गया के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ग्राम बेनुपुर, जिला आजमगढ़ के श्री बंश सिंह के परिवार की हत्या

**1--श्री दीपू उर्फ दीपनारायन राय तथा श्री दूध नाथ--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम वेनुपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में 22/23 जुलाई, 1980 की रात को एक परिवार के सात व्यक्तियों की हत्यायें हुई थीं ? यदि हां, तो घटना क्या है और सरकार इसकी जांच किस स्तर पर करा रही है और कौन-कौन से लोग गिरफ्तार किये गये हैं ?

जी हां। घटना का विवरण संलग्न है। मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 991 पर)

श्री दूध नाथ राजभर--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या दूसरे अपराधों की तरह से इसमें भी सामान्य प्रक्रिया अपनायी गयी है या कोई विशेष प्रक्रिया अपनायी गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, यह अपराध बड़ा दुखदपूर्ण है क्योंकि एक ही परिवार के 7 व्यक्तियों की हत्या हुई। एक पूरा खानदान खतम हो गया केवल एक 4 साल की बच्ची को छोड़कर। जब यह रिपोर्ट हुई उसकी, तो 25 तारीख को जो मर्डर सेल कायम है सी0 आई0 डी0 का, उसके द्वारा जांच करायी जा रही है। अन्य जिस तरह से कतल के केसेज की जांच होती है, वैसे नहीं करायी जा रही है। इसको खासतौर से ऐसा किया जा रहा है ताकि इसकी गुत्थी सुलझायी जा सके।

श्री दूध नाथ राजभर--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या जनपद आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोई विशेष रुचि इसमें ली है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जब यह घटना हुई श्रीमन्, तो उस स्थल पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, डी0 आई0 जी0 और जितने उच्च अधिकारी थे पहुंचे, उसके बाद मामला सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया। उसके बाद तफसीस उनके हाथ से निकल कर सी0 आई0 डी0 के पास आ गई। क्योंकि यह उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि यह मामला सी0 आई0 डी0 को दे दिया जाय और वह उसके द्वारा किया जा रहा है।

श्री राम कुंवर सिंह--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सात आदमियों का कत्ल हुआ है, उस मामले में कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह बड़ा जटिल प्रश्न है । सब बातों की जांच की जा रही है । लेकिन जहां पर वाकया हुआ वहां पर एक चाकू मिला जिस पर खून था । यह कहा जाता है एक दिन पहले मृतक वंश सिंह यह कहकर एक अपने पड़ोस के घर से चाकू लाए थे, कि उन्हें मुर्गा काटना है । यह कह कर वह चाकू ले आए । जिस वक्त सवेरे लाश मिली तो चाकू भी पड़ा हुआ था और उस पर खून था । सी0 आई0 डी0 ने चाकू कब्जे में ले लिया है और वंश सिंह के कपड़ों के ऊपर खून काफी था । कुछ लोगों का कहना है कि वह काफी डिपरेस्ड रहते थे, जब से कलकत्ता से आए थे, सब छोड़कर अपनी दूकान बेंचकर । किसी से मिलते नहीं थे । हर वक्त अपनी बीबी से लड़ा करते थे । यह भी इमकान हो सकता है कि घरेलू परिस्थितियों से तंग आकर और उन्हें हर वक्त डर लगा रहता था कि कोई उनको मार देगा, क्योंकि कलकत्ते में उनकी पुरानी रंजिश थी । यह भी सम्भव हो सकता है, चूंकि विवेचना जारी है, निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है, कहीं कोई मामला आत्महत्या का तो नहीं है । इस समय कोई बात कहना । जबकि विवेचना जारी है, बहुत सी कड़ियों को मिलाया जा रहा है उचित नहीं होगा ।

श्री दूध नाथ--

मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जिले की पुलिस जिस तरह से इस अहम मसले की लीपापोती कर रही है, उसके साथ माननीय मंत्री सदन में ऐसी बात कह रहे हैं जो शोभा नहीं देती, जो आत्महत्या का केस पुलिस कहती है, मैंने सात दफा एस0 पी0 से बात किया । उसने कहा कि आत्महत्या हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिए ।

श्री दूध नाथ राजभर--

मैं जानना चाहता हूं कि उसने छः परिवार को एक ही धारदार हथियार से काट दिया और उसी हथियार से उसने अपना गला काटा, मैंने लाशें देखीं एक ही हथियार से सातों की हत्या हुई और एक किस्म के सबके गले में घाव थे, क्या यह आत्महत्या हो सकती है ? और उस थाने पर, जो थानाध्यक्ष की पोस्टिंग की गयी है, उसकी कुल सर्विस ढाई साल की है, क्या उसकी सर्विस के लोगों को थानाध्यक्ष बनाते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह अलग से प्रश्न है ।

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, मैंने किसी जगह पर भी, किसी समय भी नहीं कहा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है । विवेचना जारी है । जब इस तरह की घटना हो जाती है. तरह-तरह लोगों का ख्याल होता है । यह पूछा गया था कि कौन सा हथियार मिला था । चाकू वहां पर मिला । एक दिन पहले किसी से मांग कर लाये थे। निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है । यही मालूम होता तो तफतीश पूरी हो गयी होती । दूसरी बात जो कही है कि थानाध्यक्ष की ढाई साल की सर्विस है, उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है वरना इसका जवाब दे दिया जाता ।

श्री रियासत हुसेन--

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह वाकया हैं रात का 22/23 की, इसकी एफ0 आई0 आर0 396 में लिखी गयी या 302 में लिखी गयी और एफ0 आई0 आ0 में कौन सा हथियार लिखा उसकी लम्बाई चौड़ाई क्या ह ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, यह 302 में लिखा गया हैं और किसी तेज धार वाले हथियार का जिक्र किया गया है। हथियार का यदि पता चल जाता, तो आज इस प्रश्न की जरूरत ही पेश न आती।

श्री पंचानन--

मान्यवर, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुयी हैं वहां की पुलिस की निष्क्रियता है। एक ही परिवार के 7 आदमियों की हत्या हो गयी और कोई गिरफ्तारी नहीं हुयी हैं, तो वहां थाने की पुलिस के खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, गिरफ्तारी के सम्बन्ध में निवेदन यह करना है कि एक आदमी पर इन्हें सुबहा था, जिससे इनका झगड़ा कलकत्ते में हुआ था। इसका जिक्र एफ0 आई0 आर0 में किया गया है कि इन पर सुबहा है, तो जो हमारा सी0 आई0 डी0 विभाग हैं, उसके अधिकारी कलकत्ता गए, तो वहां पर पाया गया कि वह उस रात को, फैक्टरी में उसकी हाजिरी मौजूद थी, जहां पर वह काम करता हैं। चूंकि यह मामला काफी गम्भीर है, तो यह भी पता लगाया जा रहा है कि रजिस्टर में हाजिरी वगैरह कैसे आयी। विवेचना चल रही है। विवेचना जब तक पूरी न हो जाय उस समय तक गिरफ्तार करना उचित नहीं है। जब तक सही मुल्जिम का पता न लग जाय उस वक्त तक किसी को गिरफ्तार करके भेजना मेरे ख्याल से न्यायोचित नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में। माननीय सदस्यों का यह विचार हैं और जो उस जिले के विधायक हैं, उन्होंने भी इस बात की आशंका व्यक्त की हैं कि वहां की मुकामी पुलिस निष्क्रिय हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया, 7 आदमी मारे गए और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुयी है, तो इन भावनाओं का आदर करते हुए क्या मंत्री जी थाने के तमाम लोगों को स्थानान्तरित करने का आदेश देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, यहां पर स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता का प्रश्न कहां आता हैं। जैसे रिपोर्ट हुयी, तीसरे दिन सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया। जांच मर्डर सेल द्वारा हो रही है। स्थानीय पुलिस का सम्बन्ध नहीं है, तो कहां पर इसकी निष्क्रियता का प्रश्न आता है, तो हटाऐ या निलम्बित करने का काम कैसे किया जाय।

श्री राम कुंवर सिंह--

माननीय, इस तरह के मामले की जांच स्थानीय पुलिस करती है। रिपोर्ट होने के दूसरे ही दिन सी० आई० डी० को दे दिया गया तो क्या कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी थी ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह मामला काफी गम्भीर था। डी० आई० जी० हेडक्वार्टर ने होम डिपार्टमेन्ट को लिखा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएं। मर्डर सेल में बहुत ही स्पेशलाइज किस्म का इन्वेस्टीगेशन होता है। यह जांच मर्डर सेल को दी गयी है, जो सबसे अच्छी एजेन्सी है जांच करने की। स्थानीय पुलिस द्वारा जांच करायी जाती, तो यह प्रश्न उठाया जाता कि सी० आई० डी० से क्यों नहीं करायी गयी। जब सी० आई० डी० से जांच करायी गयी है, तो यह कहा जा रहा है कि स्थानीय पुलिस से जांच क्यों नहीं करायी जा रही है।

सिंचाई विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों की भूख हड़ताल

**2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत वर्क चार्ज कर्मचारी 5 मार्च, 1980 से प्रमुख मुख्य अभियन्ता महो० सिंचाई विभाग के लखनऊ स्थित मुख्य लय पर क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ? तथा सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां।

मुख्यालय पर क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे कार्य प्रभारित कर्मचारी "सिंचाई विभाग कर्मचारी संघ" के सदस्य हैं। यह संघ शासन से मान्यता प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त संघ की निम्नलिखित मांगें हैं--

1--आज तक 240 दिन पूरा कर लिए वर्कचार्ज कर्मचारी को रेगुलर करके सभी सुविधायें नियमित अधिष्ठान के समान दी जायें।

2--रेगुलर हुये या रेगुलर हो रहे वर्कचार्ज कर्मचारियों को उनके पुराने सेवाकाल का लाभ दिया जाये तथा रेगुलर करते समय प्राप्त कर रहे वेतन पर ही रेगुलर किया जाये।

3--प्रदेश के सभी डिवीजन स्तर (स्थानीय समस्याओं) की सभी समस्याओं का समाधान स्थानीय कर्मचारी प्रतिनिधियों से द्विपक्षीय वार्ता द्वारा अविलम्ब कराया जाये क्योंकि स्थानीय समस्याओं के कारण कर्मचारियों का बुरी तरह से उत्पीड़न व शोषण वर्षों से हो रहा है।

4--संघ द्वारा वर्ष 1979 में प्रस्तुत मांग पत्र एवं सामयिक विषयों के पत्रों पर भी तुरन्त कार्यवाही की जाये।

5--स्टाफ की स्वीकृति देने हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्वीकृति पदों तथा अन्य रिक्तियों पर 3 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान पर लाने हेतु उन्हें अनुभव के आधार पर वरीयता दिये जाने के आदेश पहले से ही विद्यमान है।

उपरोक्त मांगों के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने दिनांक 16-4-80, 17-4-80 तथा 2-6-80 को संघ के पदाधिकारियों से वार्ता भी की है और प्रमुख अभियन्ता की कतिपय संस्तुतियां, कार्यप्रभारित कर्मचारियों की समस्याओं की पृष्ठभूमि में उनकी सेवा शर्तों के उदारीकरण हेतु शासन को प्राप्त हैं ।

इनके सम्बन्ध में कार्मिक, न्याय, श्रम तथा वित्त विभाग से परीक्षणोपरान्त जब शासन द्वारा सेवा शर्तों के उदारीकरण का कोई निर्णय किया जायेगा तब निर्णय के अनुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उभय पक्ष के वार्ता के फलस्वरूप जो सिफारिशें मुख्य अभियन्ता से शासन को प्राप्त हुई हैं, वह क्या हैं । जो शासन ने बताया है कि कार्मिक, न्याय, श्रम तथा वित्त विभाग सभी से बातचीत करने के बाद फैसला करेंगे, तो इसमें समय लम्बा लगेगा, इसलिए 5-6 महीने के अन्दर या कोई एक समय सीमा निर्धारित करने को क्या मंत्री जी कृपा करेंगे कि उसके अन्दर उनकी समस्यायों के प्रति शासन अपना निर्णय कर लेगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह प्रश्न गम्भीर है कि जहां-जहां प्रोजेक्ट बनें वहां-वहां के स्थानीय लोगों को वर्कचार्ज में क्लास 3 और चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी रखे जायं । शासन इस बात को मानता भी है, तो प्रोजेक्ट जब चल रहा है, तो उनको स्थायी कर देगें, तो दूसरी जगह जब प्रोजेक्ट बनेगा, तो उनको भेजने में कठिनाई पैदा होती है । इसमें शासन को गम्भीर रूप से विचार करना पड़ेगा । चूंकि प्रदेश में जगह-जगह प्रोजेक्ट हैं, पहाड़ की मांग है कि वहां प्रोजेक्ट बनें तो वहां के लोगों को रखा जाय, उनको प्राथमिकता देंगे, यदि वहां लोग नहीं मिलते हैं तो बाहरी व्यक्तियों को रखेंगे, यह पालिसी में बात मान ली गयी है । उसके बाद सवाल उठाया गया है, तो इसमें बहुत बड़ी कठिनाई पैदा होती है । किस तरह इसको ठीक उठाया जाय कि उनकी बात मान ली जाय । यदि नियमित करने की बात मान ली जाय तो उनका ट्रान्सफर कैसे किया जाय । यह सब प्रश्न हैं जिससे मामला गम्भीर है । मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट जो आयी है उस पर विचार होगा और देखा जायेगा कि उसमें क्या किया जा सकता है क्या नहीं । यह मामला मामूली नहीं है । इसमें माननीय सदस्य को चिन्ता है और शासन को भी चिन्ता है । लेकिन कुछ सोचकर गम्भीरता से इसमें विचार करना पड़ेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । मैं जानना चाहता हूं कि प्रमुख मुख्य अभियन्ता ने क्या सिफारिशें की हैं ? यदि वह गोपनीय नहीं है तो बता दें और शासन उसमें अंतिम निर्णय कब तक ले लेगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, अभी जो रिपोर्ट आयी है, उसको बताना जनहित में ठीक नहीं है कि हम क्या कार्यवाही करेंगे । इसलिए रिपोर्ट पर कुछ जब तक तय न करलें तब तक बताना असंभव है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी ने जनहित का सहारा लेकर बड़ भारी मामले को सरकार ने छिपाया है । मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान शासन के एक जी0 ओ0 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह ह कि शासन की ओर से सिंचाई विभाग को वर्ष 1974 में फैसला ले लिया गया था कि वर्कचार्ज इम्प्लायीज को रिगुलराइज कर दिया जाय । इसके बारे में सिंचाई अनुभाग-7 से 22 जनवरी, 1974 को एक शासनादेश गया है जिसमें लिखा गया है कि "चूंकि इस मामले में निहित व्यय आवश्यकताएं अपरिहार्य हैं तथा इसके कार्यान्वित के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 1973-74 में आय-व्ययक में कोई प्राविधान नहीं है अतः राज्यपाल महोदय आकस्मिकता निधि से 10 लाख रु0 (दस लाख) की अग्रिम धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत करते हैं, तो यह प्राविधान कैसे कर दिया गया है । इसी संदर्भ में मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग से डिवीजनल अधिकारियों को आदेश दिये गये कि इसे कर दिया जाय । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो दो राजाज्ञायें निर्गत हुई हैं, उसमें प्रगति क्या है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, 22 जनवरी, 1974 का जो जी0 ओ0 है उसमें यह भी दिया गया है कि "भविष्य में जब-जब नियमित अधिष्ठान पर नये पद रिक्त हों, अथवा सृजित हों, तो उनको भरने में उन कार्य प्रभारित कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाये जो तीन वर्ष से लगातार विभाग में कार्य कर रहे हों तथा शैक्षिक व अन्य अर्हतायें पूरी करते हों ।" इसी को मानते हुये हम काम कर रहे हैं ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

2--श्री जटा शंकर सिंह--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

शारदा सहायक नहर, बाराबंकी शाखा द्वारा की गयी सिंचाई

3--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक पोषक नहर के कि0 मी0 119.00 जहां से बाराबंकी शाखा एवं विभिन्न उप शाखाओं तथा 119.00 कि0 मी0 के डाउन स्ट्रीम की शाखाओं एवं विभिन्न उप शाखाओं द्वारा जुलाई, 1975 से जुलाई, 1980 तक निकासित पानी से कितने हेक्टेयर भूमि की आबपाशी हुई तथा उससे सरकार को कितने रुपये की राजस्व लाभ की प्राप्ति हुई ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

शारदा सहायक पोषक नहर के कि0 मी0 119.00 से नीचे पोषित होने वाली विभिन्न शाखाओं द्वारा वर्ष 1975-76 से 1979-80 (मार्च, 1980)

तक रबी व खरीफ की दोनों फसलों में निम्न प्रकार सिंचाई एवं राजस्व की प्राप्ति हुई है :--

वर्ष 1975-76 से 1979-80	सिंचाई हेक्टेयर में	राजस्व रुपये में
मार्च, 1980 तक	10,26,129.00	7,04,96,081.00

4--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फैजाबाद जिले के महरुआ बाजार में हरिजन कालोनी का कथित निर्माण

5--श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्र कटहरी (फैजाबाद) में महरुआ बाजार में हरिजन कालोनी बनी है ? यदि हां, तो उक्त कालोनी में कितने मकान बने हैं और कितने बनने बाकी हैं ? तथा मकानों की बनवाई के रूप में हरिजनों को कितनी मजदूरी दी गई ? यदि नहीं दी गयी, तो उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जी नहीं । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

6--श्री माता प्रसाद पान्डेय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

बस्ती जिले के हरिजन तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को दी गयी धनराशि

7--श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के कौन-कौन से विद्यालय हैं जिनमें 1979-80 में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों को कितना-कितना धन किस-किस मद में किन-किन छात्रों को दिया गया है और उसका भुगतान करने का क्या तरीका था ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जिले के कतिपय इन्टर कालेजों के हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति

8—श्री माता प्रसाद पान्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद में इन्टर कालेज, गौरी बाजार, इन्टर कालेज, बईपुर बांसी तथा हाई स्कूल, औदही, मनाव बांसी जूनियर हाई स्कूल, रमवापुर सरकारी हीरा लाल, राम निवास खलीलाबाद एवं मुन्डेरवा, जूनियर हाई स्कूल, कठैला व विशेसरगंज, चपलाएं को हरिजन तथा समाज कल्याण बस्ती द्वारा 1979–80 में कुल कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति किस तिथि को किस ढंग से वितरित की गई ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

बस्ती जिले के प्रश्नगत विद्यालयों की निम्न विवरण के अनुसार वर्ष 1979–80 में अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गयीं :—

क्रम–सं0	विद्यालय का नाम	छात्रवृत्ति का विवरण			
		अनुसूचित जाति		पिछड़ी जाति	
		छात्र सं0	धन	छात्र सं0	धन
1	2	3	4	5	6
			रु0		रु0
1	इन्टर कालेज, गौरी बाजार/ जनता इन्टर कालेज, गौरी बाजार	174	73493.00	109	48570.00
2	इन्टर कालेज, बईपुर/बुध विद्या–पीठ इन्टर कालेज, बईपुर	114	56542.00	45	27304.00
3	हीरा लाल राम निवास इन्टर कालेज, खलीलाबाद	82	24447.36	40	22780.00
4	इन्टर कालेज, मुन्डेरवा/गन्ना विकास इन्टर कालेज, मुन्डेरवा	120	40521.00	80	36517.88
5	हाई स्कूल, औदही/नेहरू उ0 मा0 वि0, औदही	..	..	..	..

1	2	3	4	5	6
			रु0		रु0
6	जूनियर हाई स्कूल, रमवापुर सरकारी/कृषक विद्या मन्दिर, रमवापुर सरकारी	29	2568.00	10	960.00
7	हाई स्कूल, नंदवा/दीन बंधु उ0 मा0 वि0, नंदाव	105	11652.00	55	5998.00
8	जूनियर हाई स्कूल, कठेला (मा0 कृ0 गो0 सी0 सदन कठेला)	14	1224.00	38	3648.00
9	जूनियर हाई स्कूल, विशेसरगंज (म0 जू0 सी0 ल0 मा0 वि0, विशेसरगंज)	61	5280.00	25	2400.00
10	बाबू राम सिंह विद्यालय, चपलांव	47	4008.00	27	2592.00

देवरिया जिले में बड़ी गंडक नदी से प्रभावित ग्राम बोधी छापर के निवासियों का रानी रेवती देवी में पुनर्वासन

9-- श्री कुवेर भण्डारी--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1971 में बड़ी गण्डक की बाढ़ से कुप्रभावित ग्राम नवतार, तहसील हाटा, जिला देवरिया के ग्रामीणों को तत्कालीन शासन द्वारा बोधी छापर ग्राम, जिला देवरिया में बसाने की व्यवस्था की गयी थी तथा शासन को नयी व्यवस्था में बसे हुये ग्रामीणों को असामाजिक लोगों द्वारा उत्पीड़न करने की जानकारी वर्ष 1979-80 में शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उत्पीड़न से बचाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं, वर्ष 1971 में बड़ी गंडक की बाढ़ से प्रभावित ग्राम बोधी छापर के निवासियों को बसाने की सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई थी बल्कि वे रानी रेवती देवी की खाली भूमि पर झोपड़े डालकर रहने लगे थे। शासन को वर्ष 1979 में उन निवासियों को उत्पीड़ित करने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर जांच करायी गयी। जांच से वहां के निवासियों को उत्पीड़ित किये जाने की बात प्रमाणित नहीं हुई।

चमोली एवं पौड़ी गढ़वाल जिले के भवन विहीन राजकीय हाई स्कूल, इन्टर तथा डिग्री कालेज

10--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल में किन-किन राजकीय हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट कालेज तथा डिग्री कालेज के अपने भवन नहीं हैं तथा उनके अपने निजी भवन बनाने के लिए वर्ष 1980-81 में प्रत्येक के कितनी-कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है तथा कब तक उस धनराशि की स्वीकृति शासन से संबंधित विभागों में चली जायेगी ?

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रमोहन सिंह)--

पौड़ी तथा चमोली जिलों के भवन रहित (जिनके भवन निर्माण की स्वीकृति 1-4-80 से पहले नहीं दी गई) विद्यालयों की सूची "अ" संलग्न है । उनमें से वर्ष 1980-81 में अब तक स्वीकृत विद्यालय भवन निर्माण की सूची "ब" संलग्न है । आंगणन प्राप्त होने तथा उनके परीक्षण उपरान्त कुछ और भवनों के निर्माण की स्वीकृति 1980-81 में दी जायेगी । 1980-81 तथा उससे पहले स्वीकृत भवनों के निर्माण हेतु समस्त पवतीय क्षेत्र के लिए 1·89 करोड़ रुपया की धनराशि की स्वीकृति इस वर्ष के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को दी जा चुकी है । स्वीकृति धनराशि के भवनकर आवंटन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्माण की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए की जाती है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 992 पर)

बस्ती जिले में राप्ती एवं आमी नदियों के बीच नलकूप निर्माण की मांग

11--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के राप्ती तथा आमी नदियों के बीच के ग्रामों में राजकीय नलकूप लगवाने हेतु क्या विभाग अथवा शासन ने कोई निर्णय लिये हैं ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । बस्ती जनपद में राप्ती तथा आमी नदियों के बीच के ग्रामों में सरजू नहर परियोजना द्वारा सिंचाई प्रस्तावित है ।

टेहरी-गढ़वाल जिले में सड़कों का निर्माण

12--श्री विद्यासागर नौटियाल---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सन् 1975 से अब तक नव निर्मित कितनी-कितनी दूरी के किस-किस मोटर मार्ग को यातायात के लिए खुले होने के प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग में कब-कब दिये हैं ? क्या उन मार्गों पर व्यवस्थित यातायात चालू कर दिया है ? यदि नहीं किया गया, तो क्या शासन ने इस मार्गों पर यातायात चालू करने हेतु कोई कालावधि निश्चित की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा जिले के विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी में नलकूपों का छिद्रण

13--श्री बदन सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के कुछ गांवों में सन् 1978 व 80 में राजकीय नलकूपों की बोरिंग का कार्य सफल हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ब्लाक के उन गांवों में भी राजकीय नलकूपों की बोरिंग करवाने पर विचार करेगी, जिन गांवों में सिंचाई की कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक में वर्ष 1978 से 80 तक 7 नलकूपों का छिद्रण किया गया था जिन में से 6 नलकूप सफल रहे । उक्त ब्लाक के कुछ अन्य ग्रामों में नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

ऋषिकेश से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धामों के तीर्थ यात्रियों द्वारा ट्रकों से यात्रा

14--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, 1980 में ऋषिकेश से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री धामों की यात्रा कितने तीर्थ यात्रियों ने ट्रकों (ठेलों) से की ? और उन ट्रकों की कुल संख्या क्या थी तथा क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ट्रकों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकट किस-किस तरह की टिकट बुक से काटे गये तथा उनकी यात्रा के फलस्वरूप कुल कितना पैसेंजर टैक्स राजकोष में जमा किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिनांक 25-5-1980 से 10-6-1980 तक ऋषिकेश से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री धामों की यात्रा 6,895 तीर्थ यात्रियों ने 138 ट्रकों से की ।

समयाभाव के कारण ट्रक स्वामी टिकट बुक नहीं छपा सके परन्तु यात्रियों को किराये की रसीद दी गई । 138 ट्रक स्वामियों में से 51 ट्रक स्वामियों से 23,399·80 रु० यात्रीकर वसूल किया गया तथा शेष 87 ट्रक स्वामियों से यात्री कर वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है ।

रायबरेली जिले के भगवन्त नगर रजवहा एवं मौरावां रजबहा में जल की उपलब्धि

15-16--श्री कृष्ण कुमार शुक्ला--

क्या सरकार को ज्ञात है कि भगवन्त नगर रजबहा तथा मौरावां रजबहा, पुरवा ब्रांच नहरों में पानी टेल तक नहीं पहुंचता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भगवन्त नगर रजबहा तथा मौरावां रजबहा में पानी पर्याप्त मात्रा में टेल तक नहीं पहुंचता है । पुरवा ब्रांच में पानी टेल तक पहुंचता है ।

भगवन्त नगर रजबहा उन्नाव ब्रांच के टेल से तथा मौरावां रजबहा असोवन ब्रांच के टेल से निकलते हैं । उन्नाव जनपद के काश्तकार अवैधानिक ढंग से नहरों को काटकर सिंचाई करते हैं जिसके फलस्वरूप टेल पर वांछित मात्रा में जल उपलब्ध नहीं हो पाता है ।

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुरवा ब्रांच से रायबरेली जनपद के खारों एवं सतोक ब्लाक की छोटी नहरों जैसे खारो, दुमनहा, सहजौरा आदि में पानी टेल तक नहीं पहुंचता है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भगवन्त नगर, मौरावां रजबहा में सरकारी नलकूप लगवा कर वह टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो इस कार्य को सरकार कब तक पूरा कराने की व्यवस्था करेगी ? क्या सरकार को ज्ञात है कि पुरवा ब्रांच में लालगंज रजबहा का हेड तोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उसे कब तक सरकार बनवायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इन नहरों में पानी सामान्य वर्षों में टेल तक पहुंचता है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भगवन्त नगर एवं मौरावाँ रजबहों के क्षेत्र में कुछ नलकूप लगाये गये थे किन्तु खारा जल होने के कारण नलकूप लगाने की योजना परित्याग कर दी गयी है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ?

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील भोगांव, जिला मैनपुरी में सिंचाई की सुविधा

17--श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद की भोगांव तहसील में 30 जून, 1980 को कितनी भूमि ऐसी है जिसको सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है ? इस असिंचित क्षेत्र को सिंचित बनाने के लिये सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैनपुरी जनपद की भोगांव तहसील की कुल 79,677 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल में से, 30 जून, 1980 को 21,487 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल सिंचाई सुविधा से वंचित है । इस असिंचित क्षेत्र में 19 राजकीय नलकूप निर्माणाधीन हैं जिनसे 1900 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी ।

विकास खंड पिपरौली, खोरावर एवं कौड़ी राम, जिला गोरखपुर में नलकूपों का छिद्रण एवं गूलों का निर्माण

18--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के विकास खंड पिपरौली, खोरावर तथा कौड़ीराम में जून, 1980 को ऐसे राजकीय नलकूप कौन-कौन हैं जो कि बोर हो चुके है परन्तु अभी तक पम्पिंग सेट तथा बिजली नहीं लगी है ? यदि हां, तो कब तक लग जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद गोरखपुर के विकास खंड पिपरौली में जून, 1980 को बोर हुए 6 नलकूपों में से राजकीय नलकूप संख्या 161 जी0 जी0 174, जी0 जी0 175 जी0 जी0, 176 जी0जी0 तथा 179 जी0जी0 पर अभी पम्पिंग सेट नहीं लग पाए है। राजकीय नलकूप संख्या 162 जी0 जी0 में पम्पिंग सेट लग गया है और उसका बो0 ऐन्ड एल0 फार्म माह 4/80 में भेजा जा चुका है ।

विकास खंड, खोरावार में जून, 1980 में कोई नलकूप बोर नहीं हुआ तथा सभी पुराने नलकूप चालू हालत में हैं ।

विकास खंड कौड़ीराम में जून, 1980 को केवल एक राजकीय नलकूप संख्या 213 बी0 जी0 बोर हुआ। इस पर पम्पिंग सेट लग चुका है परन्तु विद्युतीकरण होना शेष है। इसका बी0 एन्ड एल0 फार्म माह 5/80 में भेजा जा चुका है।

उपरोक्त नलकूपों पर पम्पिग सेट उपलब्ध कराने तथा लगाने के लिये तथा इन नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु विद्यत् विभाग से शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

19--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र में ऐसे राजकीय नलकूप कौन-कौन हैं जहां अभी तक गूलें बनाकर तैयार नहीं हैं और कब तक बन जायेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विकास खंड पिपरौली तथा कौड़ीराम के उपरोक्त 7 राजकीय नलकूपों की गूलों के निर्माण पर कार्य चल रहा है। विद्युतीकरण हो जाने के पश्चात् गूल निर्माण के कार्य में समुचित प्रगति आयेगी।

परिवहन निगम, गोरखपुर क्षेत्र में परिचालकों की नियुक्ति

20--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1976-77 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन, गोरखपुर क्षेत्र में जो परिचालकों का लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार हुआ था उसमें से कुल कितने परिचालक 33 प्रतिशत उत्तीर्ण नम्बरों से पास थे ? उसमें से कितने अभी तक परिचालक नियुक्त हुये हैं ? जो नियुक्त नहीं किये गये उसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गोरखपुर क्षेत्र में 1976-77 में लिखित परीक्षा व परिचालक पद के लिये आयोजित 1977-78 में हुये साक्षात्कार में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 1,145 थी। इनमें से केवल 152 अभ्यर्थियों की चयन सूची प्रकाशित की गई थी। चुने हुये अभ्यर्थियों में 123 नियुक्ति की गई। शेष 29 अभ्यर्थियों की नियुक्ति न करने का कारण यह है कि वे नियुक्ति हेतु बुलाये जाने पर उपस्थित नहीं हुये थे अथवा उन्होंने नियुक्ति हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूरी नहीं की।

भूतपूर्व सदस्य, श्री राम बली मिश्र के निधन पर शोकोद्गार

[12·20 अपराह्न से]

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

आज बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि श्री राम बली मिश्र, भूतपूर्व विधायक हम लोगों के बीच में नहीं रहे। इनका जन्म 20 सितम्बर, 1911 को सुल्तानपुर में हुआ था और उसके बाद इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की, 1936 में यह कांग्रेस में आये और फिर 48 में चुने गये, विधान सभा के लिए, 1952 में चुने गये, 1962 में चुने गये और 1967 में चुने गये। काफी दिनों तक इस सदन के सदस्य रहे। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। तीन बार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्मार रिजवी--]

जेल गये और जंगे आजादी में आगे थे। आज उनके न रहने से हम सभी महसूस कर रहे हैं कि इस तरह के लोग जिन्होंने जंगे आजादी में हिस्सा लिया, समाज की खिदमत की, जिन्होंने दूसरे के दर्द को बांटना चाहा जब हमारे बीच नहीं रहते हैं तो हमको एक दुख होता है। एक रिक्तता पैदा होती है जिसे भरना मुश्किल होता है।

आज उनके न रहने से एक कमी हम महसूस कर रहे हैं। आप से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हम लोगों की संवेदनाओं को पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री मोहन सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री रामबली मिश्र जी के निधन पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं मैं अपने तथा अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं।

इस विकराल काल की जो गति है, वह बड़ी व्यापक है और उसमें कोई बच कर नहीं निकल सकता। इस सृष्टि में ऐसे प्राणी जरूर हैं। जिनके दिवंगत होने से पीढ़ियां अनाथ हो जाती हैं। राम बली मिश्र जी ऐसे ही लोगों में से थे। सुल्तानपुर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनकी अमिट छाप थी। वैसे तो वह केवल हाई स्कूल तक ही शिक्षा प्राप्त किये थे लेकिन आर्य समाज के आन्दोलन में प्रशिक्षित और दीक्षित होने की वजह से सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में उनके जो कार्यकलाप थे वे सदैव स्मरणीय रहेंगे।

वह एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता-संग्राम सेनानी थे। 1934 में कांग्रेस आन्दोलन में आये, 1936 में राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लिया जिसकी वजह से उनको सजा हुई, 1940 में जो गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन था उसमें जेल गये, 1942 में जो महान राष्ट्रीय आन्दोलन करो और मरो, का हुआ था उसमें लगभग डेढ़ वर्ष नजरबंद रहे और इसी दुख और संघर्ष की लम्बी जिन्दगी की वजह से वह इस आदरणीय सदन में भी लगातार सुल्तानपुर, अपने विधान सभा क्षेत्र का चार-बार प्रतिनिधित्व करते रहे।

मैं ऐसे दिवंगत व्यक्ति के प्रति जिन्होंने न केवल जिलों में बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश में अपने सर्वपित जीवन की अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की अमिट छाप छोड़ी, अपनी तथा अपने दल की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप से आग्रह यह करता हूं कि हमारे दल की संवेदना उनके शोकसंतप्त परिवार तक प्रेषित करने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी स्वर्गीय श्री राम बली मिश्र के संबंध में जो संवेदनायें माननीय संसदीय कार्य मंत्री और लोकदल के नेता श्री मोहन सिंह जी द्वारा व्यक्त की गयी हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, श्री मिश्र के रूप में सुल्तानपुर का एक प्रेरणा देने वाला व्यक्ति हमारे बीच से चला गया। वैसे एक न एक दिन तो सभी को जाना है लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी, हमें प्रेरणा दी लड़ाई को आगे बढ़ाया, उनके मरने से पूरे जनमानस को दुख होता है और एक रिक्तता पैदा होती है। उन्होंने भी लड़ाई लड़ी और आने वाली पीढ़ी को एक आदर्श और प्रेरणा दी ऐसे लोगों के जाने से वास्तव में बड़ा दुख होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय श्री मिश्र के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक इसे पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री रामबली मिश्र के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री और अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्री मिश्र, त्याग, तपस्या तथा बलिदान की मूर्ति थे । उसकी यादगार हमेशा हमेशा इस सदन में रहेगी । मैं आशा करता हूं कि उनके दुखित परिवार को हमारी समवेदना भेजने की कृपा करेंगे ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

अध्यक्ष महोदय, जो विचार माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा नेता लोक दल ने तथा विभिन्न दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं स्वर्गीय श्री राम बली मिश्र सुल्तानपुर के निवासी थे । उन्होंने कई बार स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और इस माननीय सदन के वह कई बार सदस्य रहे । उनकी सेवायें सुल्तानपुर में काफी विख्यात हैं । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं मुझे इनके लिये काफी दुख है । मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से स्वर्गीय आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को हमारी सम्वेदना भेजने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष--

स्वर्गीय रामबली जी इसौली क्षेत्र के विधायक चुने जाते थे उसी क्षेत्र में मैं स्वयं विधायक होकर आया हूं । सभी दलों के नेताओं ने उनके जीवन के सम्बन्ध में यहां अपने विचार व्यक्त किये हैं । उनके अलावा मैं एक दो बातें उनके बारे में और कहना चाहता हूं और सभी के लिये उनको रेखांकित करना चाहता हूं । अपने क्षेत्र में वह बराबर मेरे साथ दौरे पर रहे । कोई भी गांव और कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां माननीय रामबली जी के पहुंचने पर वहां के सयाने, बूढ़े औरतें इकट्ठा न हो जाते हों । वह सारे कांस्टीटयूएंसी से एक परिवार की तरह बात करते थे । वह सब लोगों के नातेदारों, रिश्तेदारों तथा घर वालों के बारे में जांच-पड़ताल करते रहते थे और ऐसा लगता था मानो सारा इसौली क्षेत्र उनके परिवार का सदस्य हो । मैं उनकी मृत्यु के बाद उनके घर गया था । जो देखा वह उनके चरित्र का विशेष रूप से उद्घाटन करता है । 16, 17 साल तक इस विधान सभा के सदस्य रहने के बाद, कई संस्थाओं के प्रतिनिधि, कई संस्थाओं के मैनेजर तथा प्रबन्धक रहने के बाद, इतने दिनों के राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान पर रहने के बाद उनके घर जाने पर ऐसा लगता था कि वह किसी अति साधारण व्यक्ति का घर है सामने छप्पर, टूटी हुई खपरैल और थोड़ा सा दालान 18 × 10 फुट पक्का बना हुआ था । वह इस लाज से कि हम और आप आ जाते थे जिनके बिठाने के लिये जगह चाहिये । इस तरह के लोग थे जिन्होंने अपना जीवन आजादी के लिये दिया, जिन्होंने अपने आदर्श से यह स्थापित कर दिया कि शक्ति रहते हुए भी, सामाजिक उच्चता रहते हुए अपने जीवन को उन्होंने उन आदर्शों पर बलिदान कर दिया जो गांधी जी ने उनके सामने रखे थे । आज मैं उनके प्रति नतमस्तक होता हूं । ईश्वर से मैं प्रार्थना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष—]

करता हूं कि वह उनके परिवार को सुख व शान्ति दे और उनके परिवार को इस दुख को वहन करने की शक्ति दे तथा साथ ही साथ हम लोगों को उनके आदर्शों पर चलने का निर्देश दे ।

अब मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य दो मिनट के लिये खड़े हो जायं ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

नियम 301 की सूचनायें

सरजू परियोजना में हो रहे घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[12 बज कर 31 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 5 सूचनायें स्वीकृत हुई हैं ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं एक लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार का ध्यान जनपद गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद आदि जिलों में सिंचाई की सुविधा हेतु प्रारम्भ की गई सरयू परियोजना के अन्तर्गत हो रहे घोटाले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । गोंडा जिले के बलरामपुर में 13 डिवीजन कार्यरत हैं जिसमें भारी घोटाले किये जाने से सम्बन्धित कुछ तथ्य सामने आये । जैसे सरयू निर्माण खन्ड प्रथम बलरामपुर के अधिशासी अभियन्ता एवं उनके सहयोगी अधिकारियों द्वारा बलरामपुर में कालोनी बनाने हेतु ऊंचे दामों पर जो जमीन खरीदी गई, उसमें लगभग 50 हजार रुपये का घोटाला है । इसके अतिरिक्त तृतीय खन्ड में घटिया किस्म का फर्नीचर खरीदकर अच्छा कमीशन अर्जित किया गया । सम्बन्धित भवनों में सीमेंट और मोरंग का प्रयोग निर्धारित मात्रा से बहुत कम किया जा रहा है । अतएव इससे बची हुई सीमेंट चोरी से 40 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से काले बाजार में बेची जा रही है । भवन के निर्माण हेतु लगभग 10 लाख ईटों की आपूर्ति प्राइवेट भट्टों से की गई तथा जहां पर अव्वल दर्जे की ईटों का प्रयोग होना चाहिए था वहां पर दोयम दर्जे की और जहां पर दोयम दर्जे की ईटो का प्रयोग किये जाने का आवश्यकता है वहां पर पकी ईटों का इस्तेमाल किया गया है । नीव में पकी मिट्टी के मसाले के स्थान पर सूखी मिट्टी डालकर निर्माण किया गया । अतएव ऐसे त्रुटिपूर्ण निर्माण से किसी भी समय सम्बन्धित भवन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं ।

इस प्रकार की अनियमितताओं के कारण सरयू परियोजना में बड़े पैमाने पर घपला और भ्रष्टाचार सम्बन्धित अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है । अतएव सही बातों को प्रकाश में लाने हेतु चल रहे कार्य को तुरन्त रोका जाय तथा अविलम्ब जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

घाघरा नदी की बाढ़ से बंधे के टूट जाने के कारण देवरिया के कतिपय ग्रामों में जल प्लावन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके द्वार सदन के संज्ञान में लाना चाहता हू कि देवरिया जिले में घाघरा नदी के बाढ़ ने उग्र और प्रलयकारी रूप धारण कर लिया ह । हमारे निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई विभाग का एक बंधा है जो जोगिराज परमहंस देवरहवा बाबा के आश्रम से निकल कर भागलपुर कस्बे तक जाता ह । इसकी लम्बाई लगभग 3 कि0 मी0 है । घाघरा नदी की भयंकर बाढ़ ने इस बंधे को अभी 5 सितम्बर को तोड़ दिया है जिससे हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लगभग 50 गांव जल प्लावित हो गये हैं । पिछले 5 दिन से इन 50 गांवों में कोई राहत कार्य नहीं किया जा रहा है । सम्पूर्ण आबादी त्रस्त हो चुकी है । जल के मध्य सारी आबादी निवास कर रही है ।

अत: हमारी मांग है कि युद्ध स्तर पर लार ब्लाक (देवरिया) जल प्लावन से त्रस्त गांवों में अविलम्ब राहत कार्य शुरू किया जाय । इस बंधे का निर्माण शीघ्र कराया जाय और छितौपुर में रेगुलेटर लगाया जाय जिससे बाढ़ से इस क्षेत्र को सर्वदा के लिये बचाया जा सके ।

शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में शकर वितरण में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 3.01 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :--

जिला शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में जिला पूर्ति अधिकारी ने माह जुलाई, 1980 के लिए 1,000 बोरी तथा अगस्त सन् 1980 के लिए 700 बोरी शकर सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से जनता में वितरण हेतु आवंटित की थी । तहसील अधिकारियों ने एफ0 सी0 आई0 के कर्मचारियों से सांठ-गाँठ करके 1,000 के विरुद्ध 1,200 और 700 के विरुद्ध 900 बोरी शकर उठव ली । इसमें शकर का जबरदस्त घोटाला करके अनुचित धन कमाया गया है । यह शकर 60 कोटेदारों को आवंटित होकर जनता में वितरित होनी थी परन्तु पूरी शकर इस तहसील के केवल 6 कोटेदारों को मनमाने रूप से आवंटित कर ब्लैक पर बिकवा ली गयी और जनता में बिलकुल नहीं बांटी गयी ।

अत: इस घोटाले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आजमगढ़ जनपद में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

.श्री त्रिवेणी--

मान्यवर, आजमगढ़ जनपद में बाढ़ की वजह से गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । जन-जीवन त्रस्त हो गया है । सहायता अपर्याप्त है । ऐसे संकट की घड़ी में जब कि वहां की फसलें नष्ट हो गयी है जानवर चारे के बिना मर रहे हैं । दूषित जल की वजह से भयंकर बीमारी उत्पन्न होने की आशंका है जिससे जन जीवन भयंकर संकट में पड़ सकता है । खास तरीके से आजमगढ़ जनपद में लालगंज तहसील में पानी के जमाव से भयंकर तबाही आ गयी है । टौंस की बाढ़ से सदर तहसील एवं एहरौरा तहसील त्रस्त हैं ।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तुरंत राहत कार्य की अपेक्षा करता हूं ।

राजभर या भर जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के समान सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री दूधनाथ राजभर--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजभर या भर जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जातियों के समान सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिलोकी नाथ, मुंशीपुरा, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री सूरजभान, सदस्य विधान सभा द्वारा जनता (एस) (राजनरायन) दल की सदस्यता से त्यागपत्र के सम्बन्ध में सूचना

[12 बज कर 38 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

मुझे सदन में एक सूचना देनी है जो इस प्रकार है श्री सूरज भान, सदस्य, जिला अलीगढ़ जो कि अभी तक जनता (एस) (राजनारायण) दल के सदस्य थे उन्होंने उक्त दल को सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और वे सदन में अब एक निर्दलीय सदस्य के रूप में बैठेंगे ।

एक सदस्य--

परिचय करा दिया जाय ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[12 बजकर 39 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत कुल दो सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से एक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की 8 सितम्बर, 1980 को आगरा मंडल के आयुक्त द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने से उनमें असंतोष के सम्बन्ध में है और दूसरी सूचना श्री मोहन सिंह की मई, 1980 से मोदीनगर में मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

.श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक मिनट सुन लिया जाय मोदीनगर इस प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है । पिछले मई माह में 15 हजार मजदूर हड़ताल पर हैं पर सरकार की ओर से कुछ कोशिश नहीं हुई है । जब चौधरी चरण सिंह वित्त मन्त्री थे उन्होंने एक एवार्ड किया था जिसे मिल-मालिक मानने को तैयार नहीं है । इस हड़ताल को 100 दिन से अधिक हो गया है और मिल मालिक मजदूरों की मांग मानने के लिए तैयार नहीं हैं । अब यह शासन का जिम्मेदारी है कि प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन बढ़े और औद्योगिक अशान्ति न पैदा हो । इस हेतु शासन की ओर से अभी कोई प्रयास नहीं हुआ है । वहां एच0 एम0 एस0 की जो प्रमुख यूनियन है उसके माध्यम से यह सरकार समझौता वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है और जो दूसरी इंटक की यूनियन है, उसके माध्यम से मन्त्री जी ने, सरकार ने कुछ समझौता किया है ।

श्री अध्यक्ष—

इसकी ग्राह्यता पर ही कहें कि यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव ग्राह्य कैसे है ।

श्री मोहन सिंह—

वहां तीन महीने से एक हड़ताल हो रही है । मिल मालिक ने साढ़े तीन सौ लोगों को जेल में डलवा दिया है और एक मजदूर को मिल मालिक के गुन्डों ने जान से मार दिया है । इससे ज्यादा तात्कालिक महत्व की क्या बात हो सकती है, जिस पर सदन में चर्चा न हो । उससे प्रदेश में व्यापक असन्तोष उत्पन्न होने की बात है । इसका तात्कालिक महत्व इसलिए है कि इतने बड़े औद्योगिक नगर में इतने दिनों से हड़ताल चली आ रही है, किन्तु शासन ने उस असन्तोष को समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया । इससे ज्यादा महत्व की क्या बात हो सकती है । इस समय ट्रेड युनियन्स मूवमेंट के इतिहास में एक नई चीज पैदा हो गई है । इसलिए आप इसको स्वीकार करके इसके ऊपर चर्चा करा लें ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

राजेन्द्र कुमार जी आप कुछ कहना चाहते हैं ?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना आपको दी है, जिसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है । तत्काल एक घटना घटी । सरकार के एक आयुक्त स्तर के उच्च अधिकारी ने ऐसा कुकृत्य किया है, उन्होंने पहले स्वयं पत्रकारों को आहुत किया और जब वह पत्रकार वहां पहुंचे, तो उन्होंने जाने किस उत्तेजना में आकर पत्रकारों को डांटना फटकारना शुरू कर दिया और उनसे कह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजन्द्र कुमार गुप्त--]

दिया 'गेट-आउट' । यह कह कर वह बाहर चले गये । यदि कोई पत्रकारों के जिम्मे ऐसी-वैसी बात थी, तो वह उसका समाचार पत्रों में प्रतिवाद दे सकते थे लेकिन पत्रकारों को इस प्रकार से डांटना, प्रताड़ित करना, आतंकित करना इस बात का परिचायक है कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से सेंसरशिप लगाना चाहती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरे कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें और यदि आप इसको इस कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार न करें, तो अलीगढ़ के पत्रकारों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित चर्चा-वक्तव्य के साथ इसको भी जुड़वा दें ।

*श्री रियासत हुसैन--

मैंने भी इसको नियम 51 में उठाने की नोटिस दी थी । इसमें 12 हजार आदमी हड़ताल पर हैं, और सवा चार सौ मजदूरों को निकाला जा चुका है । यदि आप इसको कार्यस्थगन के रूप में नहीं ले सकें तो इसका कोई वक्तव्य स्वीकृत हो जाए, क्योंकि 100 दिन हड़ताल चलते वहाँ हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह दोनों प्रस्ताव कार्य-स्थगन के रूप में अस्वीकार किये जाते हैं । जहां तक मोदीनगर मिल से सम्बन्धित प्रस्ताव का प्रश्न है, इस पर वक्तव्य देने के लिए मैं शासन को निर्देश देता हूं और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा दी गई सूचना पर एक वक्तव्य 15 तारीख को होने वाला है, जो पवन कुमार जैन की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में तथा यह भी उसी सम्बन्ध में है, अतः इसके बारे में भी उस वक्तव्य के साथ में बयान दे दिया जाएगा ...

(व्यवधान)

अब शतप्रतिशत आपका स्वीकार हो गया ।

श्री मोहन सिंह--

ऐसे ही आप स्वीकार करते रहें ।

श्री अध्यक्ष --

मैं तो ऐसे ही स्वीकार करता रहूंगा, लेकिन ऐसे न आते रहें और ऐसे आयेंगे तो स्वीकार नहीं होगा ...

(व्यवधान)

अलग-अलग आपने कह दिया और कहना आवश्यक भी था । कल मैंने वक्तव्य स्वीकार किया था, वक्तव्य स्वीकार करने पर, मुझे आपको देखने और आवाजें सुनने से ऐसा लगा कि वक्तव्य स्वीकार करने पर आप संतुष्ट हैं और उसके बाद मैंने देखा नेतागण अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं । उसके बाद कई माननीय सदस्य यहां खाली स्थान पर आए । जो घटनाएं घटी और जो अभिव्यक्ति हुई है, उसको मैंने और आप सबने देखा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो मैं यह चाहूंगा कि आप हमारा अपने मान सम्मान की रक्षा करेंगे । अ प सब के हाथ में ह ऐसा करना, मेरे ऊपर कुछ नहीं ह ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, दोनों पर हं । कल वाली ब.त को भूल जायं ।

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 54--गन्ना विकास विभाग --अनुदान संख्या 64--उद्योग विभाग(चीनी उद्योग), तथा अनुदान संख्या 91--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 118--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम

[12 बजकर 46 मिनट]

*गन्ना विकास मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और महामहिम राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54--गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,35,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और महामहिम राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,81,87,000 से अनधिक धन राशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और महामहिम राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और महामहिम राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--118 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री यशपाल सिंह---]

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्यों को भली प्रकार से जानकारी है और उसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है, और कृषि में, मान्यवर, गन्ने का जो स्थान है वह बड़ा ही महत्व-पूर्ण है। उसके साथ-साथ जो हमारा चीनी का उद्योग है, वह प्रदेश के सभी उद्योगों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विशेष स्थान रखता है। उसके लिए सरकार को क्या नीति होनी चाहिए, इस पर चर्चा होने जा रही है। लेकिन, मान्यवर, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जिस समय ये अनुदान प्रस्तुत हैं, वह समय हमारे लिए, हमारे देश और प्रदेश के लिए, चीनी के विशेष संकट का समय है। मान्यवर, मैं किसी दल विशेष या किसी सरकार की आलोचना के लिए नहीं लेकिन इतना अवश्य कह देना उचित समझूंगा, ताकि इस सदन के हमारे सम्मानित सभी सदस्य उसकी पृष्ठभूमि को भली प्रकार समझ सकें और उसके ऊपर अपने विचार दे सकें। तो मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि सन् 76 तक हमारी कांग्रेस सरकार की गन्ने के विकास के लिये और चीनी उद्योग के लिये जो नीति रही और हमने जो परिश्रम किया और उसके कारण जिस लक्ष्य पर हम पहुंचे, दुर्भाग्य वश पिछले 3 वर्षों में हम उससे आगे नहीं बढ़े और काफी पीछे चले गये। वह चाहे पिछली सरकार की नीति का द्योतक हो या पिछली सरकार की अदूर-दर्शिता का द्योतक हो, बहरहाल पिछले 3 वर्षों में गन्ने का विकास नहीं हो सका और गन्ना किसान की रीढ़ की हड्डी टूट गयी है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। सन् 1976 में जब तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस सरकार की नीति के कारण गन्ने का कितना विकास हुआ, बाद की क्या स्थिति रही, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सुरक्षित क्षेत्र में गन्ने की पैदावार 1977-78 में 13·79 लाख हैक्टयर क्षेत्रफल में हुई, 1978-79 में 14·69 लाख हैक्टयर भूमि में गन्ना बोया गया, और 1979-80 में वह घट कर 12·33 रह गयी। इस प्रकार गन्ना किसान की कमर टूट गयी। औसत गन्ने की उपज के आंकड़े भी रखना चाहता हूं 1977-78 में 493.4 क्विन्टल पर हैक्टयर गन्ना पैदा हुआ, 1978-79 में 394 क्विन्टल रह गया और 1979-80 में वह घटकर 332 क्विन्टल पर हैक्टेयर हो गया। 1977-78 में गन्ने का कुल उत्पादन 680·56 लाख मट्रिक टन हुआ, 1978-79 में 578·78 हुआ और 1979-80 में वह 471·11 लाख मैट्रिक टन रह गया। चीनी का उत्पादन भी हमारी नीति के फलस्वरूप 1977-78 में सबसे हाइयस्ट 18·62 लाख मैट्रिक टन पहुंच गया था।

लेकिन मान्यवर, कोई उपेक्षा की गन्ना के सम्बध में और चीनी के सम्बन्ध में, जो शासन की नीति थी, उसके कारण हमारा 78-79 में यह उत्पादन 14·63 लाख टन हो गया। उसके बाद यह 9·96 पर हम रह गये। मान्यवर, मैंने यह जो मामूली से आंकड़े प्रस्तुत किये, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले 3 वर्षों में शासन की नीति के कारण हमारे गन्ने का विकास और हमारा चीनी का उद्योग एक तरह से रुग्ण हो गया, मरीज हो गया। अब इस मरीज से यह जो भूतपूर्व सरकार की हमको देन है मान्यवर, जो विरासत में हमको मिली है, हम इससे घबराते नहीं, हमें इसकी कोई चिन्ता भी नहीं है। हम इसको चैलेंज मानते हैं और इस चैलेंज को कबूल करने के लिए हमने जो प्रयास किये और जो हम प्रयास कर रहे हैं, मुझे पूर्ण आशा है कि जिस स्थिति में हम 76 में थे, हम इस वर्ष में अगर इससे आगे नहीं गये तो उससे पीछे भी नहीं होंगे। आगे बढ़ने का हमारा दृढ़ निश्चय है। हम आगे आयेंगे। इस गन्ने के उत्पादन के सम्बन्ध में, गन्ने के विकास के सम्बन्ध में, चीनी उद्योग की बात में फिर बाद में कहूंगा।

सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम गन्ने के किसानों को कौन सा हाईस्ट ईल्ड वैराइटी, हाईएस्ट शुगर रिकवरी, देने वाला कौन सा सीड हम उनको उपलब्ध कराते हैं, इस सम्बन्ध में जो इस समय वह जो प्रचलित सीड्स हमारे यहां ह, सभी हमारे माननीय सदस्य उनसे पूर्णतः परिचित हैं कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अभी तक हम 1148 का जो बीज है, वही वहां पर प्रचलित है। इसके बाद इसमें रुहेलखंड और मध्य में 1148, 1158 और बी0 ओ0 70 ये 3 बीज प्रचलित हैं। पूर्वी जिलों में 1148 तो हर जगह है। हमारे पूर्वी क्षेत्र में भी 1148, 1158 और बी0 ओ0 70 विशेषतः यही प्रचलित हैं। 1148 की उपलब्धि सभी हमारे कृषक जो इस माननीय सदन में सदस्य की हैसियत से बैठे हैं वह सभी जानते हैं कि 1148 की उपलब्धि सर्वाधिक है। लेकिन मान्यवर, एक बड़ा जगरदस्त रोग इसमें रेड राट का पैदा हो गया। 1977-78 में इस रेड-राट की 54 प्रकार की किस्में हैं, जिसमें एक किस्म ऐसी सख्त है कि इस 1148 की एक बैरायटी ऐसी आयी थी, अगर वह फल जाती तो सारा का सारा गन्ना नष्ट हो जाता मगर हमारे गन्ना शोध और गन्ना विभाग की सतर्कता के कारण नहीं लगा पाया, वरना 1148 तो प्रायः समाप्त ही ही जाता। लेकिन तात्कालिक उपलब्धियों से गन्ना विभाग की कोशिशों से वह समाप्त हो गया। [समय 1 बजे अपराह्न] मान्यवर, इसलिएबिल मुकाबले जो नई वैरायटी हमारे गन्ना शोध वालों ने निकाली वह 802 है। इस 802 के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि सभी सम्मानित सदस्यों को अनुभव होगा और उन्हें जरा सी भी गन्ने को खेती से लगाव है तो वे जानते होंगे कि रेड राट का इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए यहां के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से कि वे समस्त उत्तर प्रदेश के किसानों का अहवान करेंगे कि वह 1148 में बढ़ती हुयी बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए 802 को प्राथमिकता दें और उसी को बोयें। सम्मानित सदस्य तो मंत्री परिषद् के सदस्य भी रह चुके हैं। सम्भवतः वह गन्ने की खेती के बारे में अच्छे जानकार भी हैं, लेकिन मुझे अभी तक यह जानने का मौका नहीं मिला है।

लेकिन मैं इतनी आशा जरूर रखता हूं कि उन्हें इस सम्बन्ध में जानकारी अवश्य होगी कि जिस वक्त किसी शीड को या किसी बीज को तैयार करते हैं तो उस क्षेत्र में एक निश्चित समय तो लगेगा ही। इसी 1148 के सम्बन्ध में ही आप जानते होंगे कि यह एकदम तो तैयार नहीं हो गया था। इसको भी तैयार करने में पूरे 10 वर्ष का एक अर्सा लगा था। अगर सम्मानित सदस्य इस सम्बन्ध में कुछ अधिक जानकारी के इच्छुक हों तो वह कृपया बरेली के पास शाहजहांपुर है, वहां जाने का कष्ट करें वहीं इसका शोध कार्य हो रहा है। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस 1148 के मुकाबले में 802 कहीं ज्यादा अच्छा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसानों को अपनी शीत के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहिए। जिस समय मान्यवर, कार्यभार मैंने सम्भाला था गन्ना मंत्री की हैसियत से तभी मैंने गन्नाशोध के डायरेक्टर जो हैं उनको बुलाया और उनसे यह बात कही कि बीज के सम्बन्ध में दक्षिण पर अब भी आधारित रहेंगे और कोयम्बटूर नाम की चीज हमेशा के लिए चलती रहेगी तो उन्होंने बताया मुझे बड़ी खुशी होती है इस सदन के माननीय सदस्यों को बताने में, कि उत्तर प्रदेश का गन्ना विभाग सक्सेसफुल हो गया है और असली बीज उपलब्ध करने में कामयाब हो गया है। इसलिए हमें अब

[श्री यशपाल सिंह--]

आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोयम्बटूर जाने की मान्यवर, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । एक सवाल मैंने उनसे और किया कि रेड-राट की रिसिस्टेन्स वरायटी 802 है 1148 के मुकाबले में अधिक अच्छी रहती है तो उत्तर प्रदेश में इसका प्रचलन क्यों नहीं हो रहा है ? जो माननीय सदस्य सवाल कर रहे थे कि फिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के किसान में अभी तक इसका प्रचार नहीं किया, जो वस्तु स्थिति बताई उन्होंने उसका वही उत्तर दिया, कि कुछ समय में यह तमाम उत्तर प्रदेश में अवश्य फैल जायेगा । इसके साथ-साथ मुझे यह बताने में बड़ी खुशी होती है कि जो यह रेडराट रेजिस्टेंस वैरायटी आती थी तो उसकी इल्ड को मुझे खुशी होती है । 1148 से 802 गन्ना ज्यादा अच्छा है और ऊंचा है अभी मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि वह अच्छा है किन्तु जब फील्ड में जायेगा और किसान के खेत में अधिक पैदावार न दे उस समय तक मुझे कहने में मुझे हिचक होती है लेकिन मान्यवर, जो बात मैं कह रहा था कि जबर्दस्त खुशी होती है इस बात कि माननीय सदस्य में बताते हुये कि गन्ना शोध विभाग ने गन्ने की ऐसी बीज उत्पादन करने में कामयाब हो गया है कि जो वजनदार है, हाई इल्डिंग है जो रेडराट की बीमारी गन्ने में हो जाता थी उससे यह रहित है ।

मान्यवर, मैं अभी कहना नहीं चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के किसान 2 वर्षों में शायद कामयाब हो जायेंगे । मान्यवर, इसके साथ-साथ मैंने गन्ना विभाग के डायरेक्टर से एक बात और निवेदन किया कि आप लोग सीड तैयार कर देंगे जो रेड राट रहित हो लेकिन हमारे जो खेत हैं जो भूमि में असरोत है क्या उसको भी आप स्वायल टेस्टिंग के जरिये से बतायेंगे । मान्यवर, बीज जब खेत में जाता है तो खेत के स्वभाव का असर उस पर पड़ता है । जैसे 1148 जैसे हाई इल्डिंग वैरायटी में रेडराट जैसी बीमारी फैल गई । हमारे डायरेक्टर साहब ने उस बात के लिये हमसे कहा कि हम उसका उपचार स्वायल टेस्ट करने के बाद बतलायेंगे । मान्यवर लेकिन यह ज्ञान अभी तक उन्हीं के पास है मैंने निर्देश दिया है कि गन्ना शोध विभाग गन्ने का सीड तैयार करने पर रिसर्च कर रहा है वहीं इस प्रकार स्वायल टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाये जिससे गन्ने के किसानों को सहूलियत मिले । किसान अपनी भूमि को टेस्ट कर के यह मालूम कर सके कि इसमें कौन-कौन सी बीमारी आगे पैदा हो सकती है और उसका इलाज कर सके । इसके आदेश दे दिये गये हैं और मेरा सम्मानित सदस्यों से आग्रह है हम जब गन्ना विकास के बारे में या दूसरी पोलसीज के बारे में जिक्र करें तो आलोचना के साथ कुछ रचनात्मक सुझाव रखें, राजनीति से उपर उठकर जिससे किसान का लाभ हो सके । इसके बाद गन्ना शोध विभाग बीज निकाल करके हमारे पौध-शालाओं में जाता है इसके 3 स्टेजेज होते हैं उसको पूरा करना होता है । उसके बाद मल्टीपलाई होता हुआ किसानों को मिलता है । मान्यवर, मैंने आदेश दिये हैं कि ऐसी विधियां अपनाई जायें जिससे किसानों को नये से नये बीज उपलब्ध हो सकें । वह जल्द से जल्द हमारे काश्तकारों तक पहुंच जाय । इसके बाद मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि गन्ने के विकास के लिए जब सीड को बात हो गयी तो उसके बाद उसकी बुवाई और उसके साथ में कौन-कौन फर्टीलाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए, इस पर हमारा विभाग पूरी तरह से दिलचस्पी लेकर कार्य कर रहा है और जिसका नतीजा है कि हमारे प्रदेश की किसान को प्रति एकड़ ईल्ड बढ़ती जा रही है ।

उत्पादन के बाद मान्यवर, मार्केट का प्रश्न है कि हम इस गन्ने को उसके सही तरीकों से कारखानों को, फैक्ट्रियों की सप्लाई कर सके । मैं बड़ी नम्रता से

निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे झिझक नहीं है उस बात को कहने में कि उत्तर प्रदेश का किसान तौल के मामले में, भाव के मामले में पिछले काफी वर्षों से बहुत तंग और परेशान है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता था लेकिन सम्भवतः कुछ समय ज्यादा न लग जाये इसलिए मैं मोटे तौर से आंकड़े दे देना चाहता हूं। सन् 76 के बाद जो गन्ना काश्तकारों का पैसा फैक्ट्रियों में बकाया था वह केवल 3 प्रतिशत था। यह बढ़ कर 13 प्रतिशत हुआ फिर 9 प्रतिशत रहा और इस वर्ष वह केवल, इस शासन के आने के बाद 1 प्रतिशत रह गया है। मेरे ख्याल में हमारे सम्मानित सदस्य इम्दाद देंगे इसके लिए। मान्यवर, और जो लगभग 9 करोड़ 56 लाख के करीब है। मैं यह कह देना जरूरी समझता हूं कि इस समय एक करोड़ 56 लाख रुपया भी, इस गन्ने के सीजन के चलते ही जैसे ही फैक्ट्रियां चालू होंगी उसके तुरन्त पश्चात् दे दिया जायेगा और एक पैसा भी बकाया नहीं रहेगा। लेकिन मान्यवर, मैं इस तथ्य को भी छिपाना नहीं चाहता, माननीय सदस्य कुछ भी कह सकते हैं, जो इससे पहले का बकाया है, पुराना है, वह लगभग 9 करोड़ के लगभग था और 9 करोड़ में से इस समय केवल 7 करोड़ रह गया और 3 करोड़ भी हम इरादा रखते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि उसको भी शीघ्रातिशीघ्र, जितने भी हमारे संसाधन होंगे, उनको जुटा करके और उसको भी बेबाक करने का प्रयास किया जायेगा। यह शासन कृषकों के सम्बन्ध में जो जिम्मेदारियां हैं, उनको पूर्णतः वहन करने के लिए हर समय तैयार है। सप्लाई के सम्बन्ध में मैं कह रहा था। इसके अतिरिक्त एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। केवल इतनी ही बात नहीं है कि केन प्राइस काश्तकारों को मिल जाय और गन्ने के काश्तकारों के हितों की सुरक्षा कर लें। जो गन्ना यूनियन हैं उनका कमीशन या दूसरे प्रकार के देय फैक्ट्रियों पर शेष रहें। जब मेरे समक्ष ऐसी समस्याएं आयीं, जगह जगह मैं गया, तो मुझे मालूम हुआ कि इस प्रकार से गन्ना यूनियनों की भारी रकम रुकी हुई है फैक्टरियों के पास, मैंने आदेश किये अपने विभाग को कि आइन्दा के लिए जो केन प्राइस है, उसकी तरह ही गन्ना यूनियनों का कमीशन वसूल किया जायगा या उनका पेमेंट किया जायगा। वह पीछे नहीं रहेगा। इसके साथ-साथ जो पिछला धन है उसके लिए आदेश किये हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके गन्ना यूनियनों का तमाम वह पैसा जिससे काश्तकारों के डेवलपमेंट के लिए या उस क्षेत्र में खर्च करते हैं जल्द से जल्द उनको बेबाक होना चाहिए और उसके ऊपर कार्यवाही हो रही है। इसके साथ-साथ जहां-जहां मैं गया, मेरे सामने जबरदस्त शिकायतें आयीं तौल बलकों के सम्बन्ध में, अंडरपेमेंट की।

भोले-भोले किसान जहां पूरे वर्ष मेहनत करके, लहू पसीना एक करके, साहूकार और बैंक से पैसा लेकर, उनका सूद अदा करके, तमाम परेशानियों को झेल कर, गन्ना पैदा करके जब वह तौल पर जाता है, तो उसके साथ जबरदस्त घोटाला होता है, ज्यादती होती है और उसमें जो गन्ने में काम करने वाले कर्मचारी हैं, मैं इस बात की सफाई के साथ कहना चाहता हूं वह सभी लोग चाहे फैक्टरियों के कर्मचारी हों चाहे वह विभाग के कर्मचारी हों, सभी दोषी हैं। इसके लिए मैंने सख्ती से आदेश दिये हैं, इसकी चेकिंग पूरी सख्ती से की जायगी और मैं यह विचार कर रहा हूं और वह लगभग परिपक्व है कि इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्यों की जो फैक्टरियों के

[श्री यशपाल सिंह—]

क्षेत्र में रहते हैं उन सब को यह अधिकार दिया जाय कि वह जाकर समय-समय पर तौल चैक कर सकें और अपने क्षेत्र के किसानों को उस शोषण से सुरक्षित रख सकें। इसके साथ ही साथ मान्यवर, मैं वहां के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को जो डाइरेक्टर के रूप में चुन कर आते हैं और सरकार भी नामिनेट कर सकती है, ऐसे प्रतिनिधियों को अधिकार देने पर विचार कर रहा हूं जिससे यह तौल की बीमारी खत्म हो। यही नहीं एक फ्लाइंग स्क्वाड भी मैं शुरू करने वाला हूं। इसको नियुक्त करने जा रहा हूं। वह फ्लाइंग स्क्वाड जगह-जगह जाकर चेकिंग करे। इस बात को कि तौल सही हो। इसके साथ सी० पी० अई०, एस० सी० डी० आई०, सी० डी० अई०, इन सब को भी जुटाने का प्रयास होगा।

जहाँ तक संभव होगा, शासन किसानों को इस उत्पीड़न से संरक्षित करने का पूरा प्रयास करेगा। मान्यवर, इसके साथ जब गन्ना सप्लाई हो गया, हमारी जो फैक्टरीज हैं, जो सरकारी क्षेत्र में काम करती हैं या कारपोरेशन में हैं या जो रुग्ण मिले हैं वह हर साल लास में जा रही हैं। सर साल तो मैं नहीं कह सकता, मैंने कुछ आंकड़े देखे हैं, सन् 76 तक जो हमारी फैक्टरीज सहकारी क्षेत्र में थीं वह लाभ में जा रहीं थीं। इन्हीं 3 वर्षों में, जिसके बारे में सम्मानित सदस्य कह सकते हैं, मुझे तो बार-बार कहते हुये कुछ झिझक और कुछ शर्म भी महसूस होती है कि उन्हीं तीन वर्षों में वहां घाटा बढ़ता चला गया है। वह लास में गयीं हैं। वह सब इन्हीं की पालिसीज का नतीजा था जो अदूरदर्शिता के कारण अपनाया गया था।

मान्यवर, मेरा पूरा प्रयास इस सम्बन्ध में होगा कि यह जो घाटे की प्रवृत्ति है वह प्रायः समाप्त हो। इस सिलसिले में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि 75-76 में तत्कालीन सरकार ने रुग्ण चीनी मिलों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण की जो योजना बनायी थी और जिससे प्रदेश की सरकार चीनी उद्योग को आगे बढ़ा सकता थी, दक्षिण के मुकाबले में, मान्यवर, वह सब योजना खटाई में पड़ गयी। योजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ, जिसके कारण हम इस स्थिति में आज पहुंच गये हैं कि जहां पर 18 लाख टन चीनी पैदा होती थी वहां मान्यवर, पिछले वर्ष में संभवतः लगभग 9 9 लाख टन ही केवल उत्पादन कर पाये। मान्यवर, मैंने यह समझा कि हमारी जो रुग्ण मिले हैं वास्तव में अगर उन पालिसीज का कार्यान्वयन हो जाता तथा इनका आधुनिकीकरण, नवीनीकरण, विस्तारीकरण हो जाता तो यह घाटा जो है वह लाभ में परिवर्तित हो जाता। यह नहीं हुआ लेकिन मेरा एक विचार बना, और मैं 10-12 फैक्टरीज में गया तो मेरा विश्वास हो गया कि केवल इन्हीं पालिसीज के तहत नहीं बल्कि हम अपने मैनेजमेन्ट में भी सुधार करेंगे। इसमें कुछ हमें रुग्ण मिलों को छोड़कर बाकी जो मिले हैं उनको लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं।

मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी है इस बात को कहते हुये कि इस बार इस प्रदेश में यह जो घाटे की प्रवृत्ति चली आ रही है इसको समाप्त करके इन तमाम चीनी मिलों को लाभ में लाने के लिये पूरा प्रयास किया जायगा। मान्यवर, गन्ने की तरफ विशेष रुझान को देखते हुये हम यह महसूस करते हैं कि गन्ने के उत्पादन के लिए, गन्ने का उत्पादन जितना हमारे प्रदेश में है, हमारी जो फैक्टरीज हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाने तथा कुछ नयी फैक्टरीज की आवश्यकता भी हम महसूस करते हैं। हम इनकी इंस्टाल्ड कैपेसिटी को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और साथ ही नई फैक्टरी को भी उत्तर प्रदेश में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे पुराने पहले के लाइसेंस स्वीकार हैं उनमें केवल 3 शायद

सहकारी क्षेत्र मे मिले हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है । लेकिन उनका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है । हमारा प्रयास होगा कि इन चीनी मिलों को शीघ्रातिशीघ्र चालू कराया जाय । इसके साथ ही साथ मान्यवर, में एक बात और सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों से मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा था कि हर तीसरे वर्ष गन्ने के किसान के लिए एक जबरदस्त क्राइसेस का वर्ष आता है और जब सरप्लस होता है तो बेचारा किसान मजबूर हो जाता है और उसका गन्ना 2-3 रुपये क्विन्टल बिकता है । तो इसके लिये कुछ योजना होनी चाहिये । मान्यवर, शुरू में हीं जो सहकारिता क्षेत्र के या कारपोरेशन के जो एम0 डीज0 और गन्ना सचिव हैं उन सब को इस बात के लिये निर्देशित किया है कि वह इन शुगर फैक्ट्रीज के साथ-साथ गन्ना प्राइज को स्थिर बनाने के लिये भी उनका काम होना चाहिये, इस प्रदेश की तरक्की के लिये और गन्ना किसानों को सही मूल्य मिलता रहे, चाहे वह सरप्लस का वर्ष हो या न हो, तो उसके लिये उनसे मैंने कहा है कि, शीरे से जो अल्कोहल बनता है, रबर फाक्टरी को देना होता है तो, शीरे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये, गन्ना किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिये सहकारी क्षेत्र में मिलों को प्राफिटेबिल बनाने के लिए यह उचित होगा कि अल्कोहल इन्डस्ट्री और इसी प्रकार की केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्रीज यहां शुरू की जायं । इसमें हमारे जो अधिकारी हैं वह इसकी तरफ अग्रसर हों । आप लोगों को जानकारी होगी ही कि बाजपुर शुगर फैक्टरी के साथ-साथ अल्कोहल फैक्टरी भी हम चला रहे हैं ।

मान्यवर, इस प्रदेश में बहुत चर्चा होती है कि जिनको रिजर्वेशन की सहूलियतें मिली हैं उनकी रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं है । जो अनुसूचित जाति और हरिजन का हमारा कोटा है । 18 प्रतिशत उसमें आज 16 प्रतिशत के लगभग हैं और दो प्रतिशत जो कोटा पूरा नहीं है उसको पूरा करने के लिये हमनें गन्ना आयुक्त को निदेशित किया है । साथ में जो दूसरे लोगों को रिजर्वेशन है उनको भी पूरा हक मिले ।

(इस समय 1 बजकर 29 मिमट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

मान्यवर, इन सब चीजों के साथ में माननीय सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह अपने इस गन्ना विकास के सम्बन्ध में, इस चीनी उद्योग के सम्बन्ध में अपने रचनात्मक और ठोस सुझाव दें जिससे कि सरकार लाभान्वित हो सके और सरकार ही नहीं बल्कि इस प्रदेश का किसान भी लाभान्वित हो सके ।मान्यवर मैं उस के बाद चाहूंगा अपने सम्मानित सदस्यों से कि इस अनुदान को भी वे सहानुभूतिपूर्वक और हमदर्दी के साथ पास करें ।

श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54--गन्ना विकास विभाग की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

[श्री हुकम सिंह---]

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64---उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) का सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91---उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय का सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 118---उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैंने विभागीय नीति की आलोचना करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव रखा और चाहा कि जानकारी कर सकूं कि गन्ना विभाग की क्या नीति है, क्या नीति सरकार अपनाने जा रही है परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि बड़े ध्यान से मंत्री जी का भाषण मैंने सुना, जो पुस्तिका विभाग की ओर से दी गई, उस का भी मैंने अध्ययन किया, परन्तु कोई नीति सरकार की गन्ने के बारे में मुझको नहीं मिल पाई जिसकी विवेचना मैं कर सकूं। मंत्री जी ने कुछ आंकड़े दिये, कुछ उपलब्धियां बतलाई विभाग की, कुछ प्रशंसा की अधिकारियों की और यह बताने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अपनी जिम्मेदारी यह कह कर समाप्त कर दी कि जितनी अच्छी-अच्छी नीतियां उन्होंने कभी बनाई होंगी उनको तीन वर्ष के अन्दर जनता-लोकदल सरकार ने आकर समाप्त कर दिया। अगर यही समरी डिस्पोजल इस बजट भाषण का है, सरकार की नीति का है, तो शायद मैं भी यह कह कर समाप्त कर देता आपने करोड़ों रुपये उन उद्योगपतियों व उन मालिकों से लेकर के, आज चीनी का भाव इस स्तर पर पहुंचा दिया, कि मंत्री जी भी चीनी खाने में कुछ कठिनाई अनुभव कर रहे होंगे। मान्यवर, केवल सरकार को दोष देकर के यह जो कुछ पिछले एक साल में या इन 9-10 महीनों में कर पाई है करोड़ों रुपये आप ने बटोरे इतना कह कर काम नहीं चलने वाला है। मैं कुछ विवेचना करना चाहूंगा इस विभाग के कार्यकलापों की विशेष तौर से गन्ना विभाग की।

मान्यवर, 1952 से अब तक गन्ना विभाग का और गन्ने का इतिहास देखेंगे और जैसा मंत्री जी ने अपने भाषण में स्वीकार भी किया, प्रत्येक तीन वर्ष या कभी-कभी पांच वर्ष के बाद एक समय ऐसा जरूर आता है कि चीनी और गन्ने के भाव आसमान छूने लगते हैं। दूसरा समय ऐसा आता है कि चीनी खरीदने वाले नहीं मिलते, गुड़ खरीदने वाले नहीं मिलते, किसानों को गन्ना खेत में जलाना पड़ता है। जब तक हम इन दोनों स्थितियों का अध्ययन नहीं करेंगे और इनके बीच सामन्जस्य स्थापित नहीं करेंगे, हम कोई भी गन्ने की नीति नहीं बना सकते। मैं चाहता था कि दोनों विषमताओं को दूर करने का रास्ता मन्त्री जी बतायेंगे और बतायेंगे कि इन विषमताओं को हटा कर कैसे एक अच्छी गन्ने की नीति ला पायें जिससे उपभोक्ताओं को चीनी मिल सके। कोई जिक्र क्या इस बात का अपने भाषण में मंत्री जी ने किया। यह जो पुस्तिका,

विभाग ने दी उस में कोई शब्द लिखा गया कि क्या सरकार की नीति ह ? संयोगवश मान्यवर, यह बजट सितम्बर के महीने में पेश हो रहा है और अक्तूबर के महीने में पिराई का सत्र शुरू होता है । अज यह सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि अक्तूबर में जब पिराई शुरू होगी, क्या न्यूनतम भाव गन्ने का किसानों को दिलायेंगी (व्यवधान) यह हमको पता है कि हमसे अच्छे दाम गन्ने के आप नहीं दिला पायेंगे । यह श्रेय अगर किसी आदमी को उत्तर प्रदेश में है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह शख्स है चौधरी चरण सिंह । आप इस बात से सहमत न हों लेकिन आप भी उस जनपद से आते हैं जहां पर गन्ने की अर्थ व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव है और इससे आप सहमत भी होंगे कि 10-15 साल की बात तो दूर रही, आप एक महीने की बात नहीं कह सकते कि उस समय आप किसान को गन्ने का क्या भाव दिला सकेंगे ? जो खांडसारी यूनिट चालू होने वाले हैं उनको हम अक्तूबर से लाइसेन्स देंगे या नहीं देंगे ? सितम्बर के महीने में आप यह नहीं कह सकते कि जो खड़े कोल्हू हैं उनको आप इजाजत देंगे या नहीं देंगे । फिर गन्ने की नीति की बात आप क्या करते हैं कि आगे आने वाले 10-15 साल में आप गन्ने के किसानों को सहूलियत दे सकेंगे ? मन्त्री जी के बारे में पूर्णरूप से मुझे विश्वास है कि उनको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी इलाके में अक्तूबर, नवम्बर में गन्ने की पेराई होती है, दिसम्बर तक गन्ने को काट कर बड़े भारी रकबे में गेहूं की फसल बोई जाती है ।

इतना अंकुश हम लोगों पर मिल मालिकों का लगा हुआ है और यह सरकार जो किसानों के बारे में उनके हित का दावा करती है उसके बारे में मुझे पूरी आशंका है कि यह न खांडसारी यूनिट चलने देगी, न खड़े कोल्हू चलने देगी । यह सहूलियत यह सरकार देगी, यह गन्ने की नीति होगी ? साहस है तो खड़े हो कर घोषणा कर दीजिये कि अक्तूबर के महीने में गन्ना मिल के साथ-साथ खांडसारी यूनिट्स भी चलेगी, खड़े कोल्हू भी चलेंगे । प्रदेश की जितनी मिलें हैं कितने प्रतिशत उनको गन्ना पेराई की क्षमता है ? चाहे कितना ही कम गन्ना क्यों न हो लेकिन क्या आपके प्रदेश की चीनी मिलों में इतनी क्षमता है कि वह सारा गन्ना पेर सकेंगी ? अगर यह सही है तो आप गुड़, राब, खांडसारी, सल्फर बनाना बन्द करवा दें । लेकिन 30 प्रतिशत गन्ने की पेराई आपकी मिलों में नहीं हो सकती । लेकिन ऐसी अवस्था में भी आप मिलों के अंकुश में आकर यह नीति अपनाने जा रहे हैं कि अक्तूबर, नवम्बर में खांडसारी इकाइयों को न चलने दें तो उसका क्या प्रभाव होगा । यह प्रभाव होगा कि हजारों लाखों एकड़ का क्षेत्रफल है उसमें किसान गन्ने के बाद गेहूं पैदा नहीं कर सकेगा । उससे वह किसान वंचित रह जायगा हजारों टन गेहू की फसल से । और आप गन्ने की नीति की बात करते हैं और उसी नीति के लिये अपना यह गन्ने का बजट रखा है । आप शोध निदेशक को भले ही पद्म विभूषण दें या कोई ईनाम दें लेकिन आप इस गरीब किसान को क्या दे सकेंगे ? आप उनको सही मार्ग दर्शन दें, सारी नीति जनहित की नीति बनाइये । तीन साल का भाव पहले तय करायेंगे और किसान को बतलायेंगे कि तीन साल में इससे कम भाव उसको नहीं मिलेगा । तब किसान को संतोष होगा, उसको यकीन

[श्री हुकम सिंह--]

होगा और तभी वह फसल को उस हिसाब से बो सकेगा, पैदा कर सकेगा। यहां 3 साल की बात तो दूर रही 30 दिन की बात नहीं बता सकते। आज 10 तारीख हो गई है अभी कुछ नहीं हुआ है। मान्यवर, मंत्री जी ने कुछ सुझाव मांगे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री हुकम सिंह--

मैं सुझाव देने के साथ-साथ कुछ तर्क भी उसके पक्ष में देना चाहूंगा। मान्यवर, 1952 से ही मैं गन्ने का न्यूनतम भाव रखने के पक्ष में कहता चला आ रहा हूं। आज यह साढ़े सात से साढ़े 12 तक उसे पहुंचा दिया। इसकी क्या रेलिवेन्सी है ? क्या प्रभाव है ? उसका क्या सम्बन्ध गन्ने से है। आज बाजार में चीनी का भाव 12-13 रुपया किलो है और गन्ने का भाव सलफर और खांडसारी में 18 रुपये तक हो जाता है तो उसकी क्या रेलीवेन्सी है। अगर गुड़ का भाव गिर जाता है और खांडसारी यूनिट 4-5 रुपये से ज्यादा नहीं ले पाती हैं तो फिर क्या रेलीवेन्सी रही। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक आप इस स्थिति में नहीं है कि जिनके लिए आपने यह भाव रखा है, उनको दे सकें तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, अथवा कोई प्रभाव किसानों पर पड़ने वाला नहीं है।

मान्यवर, शायद मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया। गन्ने की पैदावार का कुल 30 प्रतिशत मिलों में जाता है तो मैं पूछता हूं कि आप केवल 30 प्रतिशत किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं ? आप के पास कोई ऐसे साधन नहीं हैं कि जिससे आप किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य दिला सकें। आप गन्ना खरीद नहीं सकते क्योंकि सरकार के पास कोई साधन नहीं है। इसलिए न्यूनतम भाव के आधार का कोई लाभ किसी किसान को होने वाला नहीं है और इसका प्रभाव किसान पर पड़ता भी नहीं है। आपने कोई सपोर्ट प्राइस भी नहीं रखी है कि अगर उससे कम भाव बाजार में होता है तो आप किसान को सपोर्ट प्राइस पर उसे दे सकें। इस दिक्कत को मैं पहचानता हूं और मैं यह पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोई सरकार इस स्थिति में कभी नहीं हो पायेगी कि वह किसान की खड़ी फसल को खरीद ले जब तक कि सरकार के पास उसको पेरने के साधन न हो जांय। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा और तरीका ढूंढ़ना होगा। तरीका यह हो सकता है कि आप गन्ने का सपोर्ट प्राइस तय कर दें कि इतने से नीचे हम इतना न्यूनतम मूल्य रखेंगे। अगर गुड़ 40-50 रुपये क्विंटल तक आ गया तो उसको खरीदने की जिम्मेदारी आप के पास होनी चाहिए। यदि आप ऐसा कर दें तब तो मैं समझूंगा कि आप कोई रचनात्मक रूप इसे दे रहे हैं। आपने किसान को विश्वास दिलाया कि उससे कम गुड़ का भाव नहीं होगा जिस तरह से आपने गेहूं के लिए भाव निश्चित किया है इसी तरह से इसके लिए भी एक नीति निर्धारित कर लें। इसलिए आपको गुड़ की मिनिमम प्राइस तय करनी पड़ेगी।

माननीय, मंत्री जी ने अपने विभाग के वैज्ञानिकों की प्रशंसा की । माननीय, यह दुर्भाग्य की बात है कि 25-30 वर्ष बीत जाने के बाद भी आप इस तरह के वेयर हाऊसेज नहीं बना सके जहां गुड़ का स्टोरेज करके उसे साल दो साल के लिए

[1 बज कर 46 मिनट]

रख सकें । आज हमारे पास करोड़ों और अरबों रुपया इस बात के लिए है कि हम दिल्ली में एशियायी खेल कर सकें । हमारे पास करोड़ों रुपया इस बात के लिए है कि हम बड़े-बड़े भत्ते दे सकें और निगम बना सकें चाहे वह चीनी निगम हो या कोई और तथा उनको एयरकंडीशन करने में लाखों रुपया खर्च कर सकें । लेकिन किसान की पैदावार को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनाने के लिए पैसा नहीं है । अगर आप इस पर गंभीरता से सोचेंगे तो कोई न कोई रास्ता निकल सकता है जिससे किसानों को राहत मिलेगी और गन्ना किसान को सुविधा होगी । मुझे विश्वास है मंत्री जी उस जनपद से आते हैं जहां बड़ी मात्रा में गन्ना पैदा होता है और आप स्वयं उसके किसान हैं लेकिन आप इस चक्कर में रह कर निकल नहीं सकते हैं, सही नीति नहीं चला सकते हैं । यदि आपको उन किसानों का दर्द होगा, उत्पीड़न होगा तो उनके लिए जरूर संघर्ष करेंगे और कोई न कोई रास्ता निकालेंगे ।

मैं इसके आगे दो चार सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं । गन्नाशोध के बारे में मंत्री जी ने कहा और अपना विश्वास प्रकट किया कि वह संतुष्ट हैं अपने विभाग के कार्यकलापों से । 1148 का जिक्र आपने किया यह पिछले 20 सालों से प्रदेश में चल रहा है । इसके अलावा अपने प्रदेश के लिए आप कोई इजाद नहीं कर पाये जो इससे बेहतर हो । शायद मंत्री जी आपको मालूम नहीं है कि आपके गन्ने की चीनी रिकवरी कितनी है दूसरे प्रदेशों की तुलना में । आप तमिलनाडु चले जांय वहां की रिकवरी 14 प्रतिशत है, महाराष्ट्र की रिकवरी 12 प्रतिशत है, आंध्र प्रदेश की रिकवरी 11 प्रतिशत है और हमारे उत्तर प्रदेश की 8 5 प्रतिशत से लेकर 9 प्रतिशत तक है । फिर भी हमें स्वाभिमान है और हम अपने अधिकारियों की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वह ऐसे बीज इजाद नहीं कर पाये । जो आज परीक्षण कर रहे हैं उनके कुछ न कुछ परिणाम निकलेंगे, 10, 20 वर्ष उसमें लग जायेंगे, लेकिन उसके बाद भी क्या परिणाम होगा यह नहीं कह सकते । आपका विभाग बीज क्या बनायेगा गन्ने का, जो इतने सालों से कोई अधिकारी नहीं बना सका जो विभाग का केन कमिश्नर बने । दूसरे विभागों से लाकर आप बैठाते हैं, किसी जिलाधिकारी को लाकर बठा देते हैं, कभी किसी सचिव को लाकर बैठा देते हैं उसको क्या जानकारी होगी विभाग की जो दो तीन साल के लिए डेपूटेशन में आते हैं । वह पुरानी सौगात जो अंग्रेजों ने दी है वही नीति वे अपनाते हैं कि पोलाइट रहो और बाद में सरकास्टिक बनो, मंत्री के लिए भी और विभाग के लिए भी और कंट्रोल रखो । यह बात माननीय, सारे प्रदेश में हो रही है कि सारे शक्ति उन अधिकारियों के हाथों में कर दी गयी है जिनको विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न उन कमोडिटीज के बारे में कोई जानकारी है जो विभाग डील करता है । आप कैसे सोच सकते हैं कि वह विभाग के साथ अपनापन महसूस करेंगे । आपका विभाग जो इतने अर्से में एक अधिकारी नहीं बना सका जो केन कमिश्नर बना सका तो वह करोड़ों रुपये

[श्री हुकम सिंह---]

खर्च करने का अधिकार कैसे हो सकता है, मैं नहीं सोचता कि वह इतना रुपया खर्च करने का अधिकारी है ।

मान्यवर, चीनी मिलों के बारे में मंत्री जी ने जिक्र किया । क्या स्थिति है वहां के चीनी मिल की ? उनके ऊपर राष्ट्रीयकरण का अंकुश लगा दिया है । वे कोई तकनीकी उन्नति अपने मिलों में नहीं करेंगे और मिल वालों के दबाव में आकर खाण्डसारी यूनिटों में आप कोई तकनीकी उन्नति नहीं होने देंगे । अजीब बिडम्बना है । जहां से मंत्री महोदय स्वयं आते हैं । बड़ी प्रशंसा की कि केवल 1 करोड़ रुपया वहां बाकी रह गया । लेकिन आपके जनपद में क्या स्थिति है ? सहारनपुर में क्या स्थिति है, कृपा करके बता दें । मैं अभी सारे आंकड़े आपको बता दूंगा । जहां तक मुझे जानकारी है और खास तौर से मंसूरपुर के बारे में, वहां 45 लाख रुपया वहां की केन फेडरेशन का मिल पर बाकी है । अब रूहाना आ जायं, जिसको आप स्वयं चला रहे हैं और आप यह कह कर बचने का प्रयास करते हैं कि क्या करें बीमार मिल का अधिग्रहण किया था । बस इससे अधिकारियों को सर्टीफिकेट मिल गया, उसके जरिये किसानों और उपभोक्ताओं का शोषण करने का । आप सिक-मिलों को लीजिए, लेकिन उससे आपको क्या मिल रहा है ? सरकारी अधिग्रहण में आने के बाद भी 3 साल तक किसानों का रुपया उस मिल पर बाकी है यानी रूहाना चीनी मिल पर अब भी किसानों का काफी बकाया बाकी है । उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया जाता है, जो अधिग्रहण होने के बाद भी घाटा दिखा रहे हैं । सरकारी मिलों में एक फैशन और चला है-80 फीसदी ऐसी मिलें हैं, जिसमें आई० ए० एस० से नीचे पी० सी० एस० अधिकारी जनरल मैनेजर आदि बनाकर बैठा दिये गये हैं । सरकार को गन्ना विभाग में कोई ऐसा अधिकारी नहीं मिलता है, जिसको मिल पर जाकर यह बिठाए उसकी उत्तम व्यवस्था के लिए, केवल डिप्टी कलेक्टर ही इनको मिलते हैं ।

मान्यवर, मुझे याद है, हमारे यहां सन् 75 में एक कम्पटीशन चला सभी मिलों में अपनी रिकवरी बढ़ा-चढ़ कर दिखाने का । रूहाना मिल ऐसी मिल थी, जिसका चलन मुश्किल था, लेकिन वहां पर एक अधिकारी ने अपने कारनामों से 10 प्रतिशत की रिकवरी दिखा दी । लेकिन जब बाद में भण्डा फूटा, जानकारी हुई तो मालूम हुआ कि वह किसानों का शोषण करके यह बढ़ी हुई जाली रिकवरी दिखा रहे थ यानी वह किसानों का गन्ना कम तौल रहे थे । वह अपने यहां किसानों का गन्ना कम तौला करते थे । इस प्रकार से 10 प्रतिशत की रिकवरी दिखा दी । तो इस प्रकार से किसानों का भारी शोषण करने के तौर तरीके इस विभाग के अधिकारियों के हैं और वही क्रिया कलाप अभी तक उनके चले आ रहे हैं । मान्यवर, संजीदगी से सोचना यह है इन मिलों की क्या व्यवस्था की जाए और इनमें क्या सुधार किया जाए और सुधार के लिए हमारे पास कुछ आदर्श मिल मौजूद हैं । एक ही जिले में दो बराबर के पास-पास मिलें हैं--मवाना और दौराला की । दोनों की रिकवरी में बड़ा अन्तर है । एक में 10 प्रतिशत रिकवरी है और एक में 8 प्रतिशत रिकवरी है । कारण यह है कि दोनों में प्रासेस-लास में इतना अन्तर है । मिल मालिकों का तो काम है कि वह सरकार को ज्यादा से ज्यादा धोखा दें और यह प्रयास करते रहें कि सरकार ऐसी बैठ जाए जो उनकी धन की तरफ देखता रहे, उसकी तरफ मंडराती रहे और उसकी कृपा से उनको खुली छूट मिल जाए शोषण करने की । आज उसका ही परिणाम है--स्टाक की हमारे पास कमी नहीं है ।

माननीय मुख्य मंत्री के दो भाषण हुए और माननीय खाद्य मंत्री का भी भाषण हुआ कि हमारी सरकार 6 रुपये प्रति किलो चीनी दिलाने म सक्षम हैं। आप सक्षम हैं, मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन चीनी आज किस भाव पर मिल रही ह और वह इसलिये मिल रही है कि चीनी मिल वालों ने आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर अ पका मजबूर किया कि चीनी क, भाव आप नहीं बल्कि वही होगा जो वे तय करेंगे।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, आप मुझे 2-4 मिनट का और समय दे दें। इस मामले में हमें 2-4 बातें देखनी पड़ेंगी। ऊंजे नीचे कुछ भी हुआ करे लेकिन तौल के बारे में आपने कहा और उसके लिए आपने कुछ सुझाव भी दिए। मैं आशा करता हूं कि यह रचनात्मक कार्य तौल केन्द्र तक जाने चाहिए और वहां पर किसानों को मालूम होना चाहिए कि तौल में उनको लुटा नहीं जायेगा और अगर उसका फायदा किसान को नहीं मिलता है तो विभाग म कोई सुधार नहीं होन वाला है।

इसी प्रकार गन्ने की बीमारी के लिए कहना चाहता हूं। क्या आपको जानकारी हैं कि जिस वक्त बीमारी लगती है उसके 2 महीने बाद आपका विभाग दवाइयों के लिए टेन्डर आमन्त्रित करता है और जब गन्ना बरबाद हो जाता है तब आप उनको दवाइयां देते हैं और बहुत से किसानों से ऐसे ही वसूली हो जाती है जिन तक दवाइयां पहुंच भी नहीं पाती हैं। तो इस बात और आपको विशष ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा हमारे जो तकनीकी अधिकारी हैं, वे यह नहीं जानते कि सल्फर कौन सी है और चीनी कौन सी है। गाजियाबाद बार्डर पर पिछले 4 दिनों से सैकड़ों ट्रक रुके पड़े हैं और इस बात की जानकारी आपके विभाग के अधिकारियों की नहीं हो पा रही है कि वह सल्फर या चीनी है। अगर इस बात का अन्दाजा प्रदेश की सरकार को नहीं लगेगा तो क्या उसकी जानकारी आप अमेरिका या ब्रिटेन से करायेंगे। अगर 4 दिन तक यह करोड़ों रुपये की सम्पत्ति इस प्रकार रोकी जाय और कल को वह खांडसारी निकलती है तो उसका कौन खमियाजा देगा। तो मैं चाहूंगा कि आपन अपने प्रशासन को टोन अप करें, औपचारिकता से ऊपर की बात सोचें, अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि वे छोटे किसानों की बात सोचें। इन वातानुकूलित कमरों में बैठ कर काश्तकार के फायदे की बात सोचना आपके अधिकारियों के लिए असम्भव सी चीज है।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गन्ना विभाग की अनुदानों के सम्बन्ध में जो बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

हमारे गन्ना मन्त्री जी ने बजट पेश करते हुए 50 लाख गन्ना कृषकों को सुविधा देने के लिए, साथ-साथ गन्ने के बीज की अच्छी जाति के लिए और बकाया धनराशि के भुगतान के लिए जो घोषणायें की हैं, उन सब के लिए मन्त्री जी बधाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रवीन कुमार शर्मा--]

के पत्र हैं। गन्ना हमारे देश के लिए कोई नयी चीज नहीं है। अथर्वेद मे भी इसका जिक्र आया है और हमारे प्रदेश में मेरठ से लेकर बिहार की सीमा तक 113 चीनी मिलें थीं। जिनमें 88 मिलें कार्यरत रहीं पिछले वर्षो में। माननीय सदस्य ने अभी कुछ खराबियों का जिक्र किया कि यह-यह खराबियां हैं, चीनी का भाव इतना बढ़ गया है, मैं यह कहना चाहता हू कि यदि हम गन्ने के मूल्य के निर्धारण को बात लें तो बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिना जाय। अगर यह हो जायेगा तो बहुत से लोग इसका स्वागत करेंगे और सरकार बहुत बड़ा मूल्य देगी, लेकिन कोई भी सरकार एक बहुत बड़ा मूल्य नहीं दे सकती क्योंकि इससे चीनी मिलों के ऊपर और उपभोक्ताओं दोनों के ऊपर इतना अधिक भार पड़ेगा कि वह भार कोई भी सहन नहीं कर पायेगा। जो खामियां माननीय सदस्य ने अभी बतलायी, मैं यह कहूंगा कि वे सब उनकी (विरोध पक्ष) सरकार की ही देन हैं जो पिछले तीन वर्षों में मिली हैं। 1978 में चीनी मारी-मारी फिर रही थी। गन्ने का यह हाल था कि वह खेतों में ही जला दिया गया। लकड़ी के तरीके से उसे जलाया गया। यह नीति रही आपकी गन्ने के बारे में। पश्चिम के मिलों के गन्ना किसान जब चौधरी चरण सिंह से मिले तो वे कहने लगे कि इतना गन्ना बोया ही क्यों और अपना टोपी उतार कर कहने लगे यहां सर पर भी बो दीजिये। तो यह रही उस समय उस सरकार की नीति रही, जिसके कारण यह फल देखने को मिल रहा है। आपने कहा कि आज चीनी कैन्टीन तक में उपलब्ध नहीं है। यह आपकी देन है, आपके कारण यह हाल है चीनी का आज। इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं न कि वर्तमान मन्त्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मुझे बधाई न दें, आप चेयर को सम्बोधित करके कहें। (हंसी)

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मैंने इसलिये कहा था माननवर, अभी उधर से चौधरी चरण सिंह का नाम लिया गया था।

अभी हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य कह रहे थे कि गन्ने का मूल्य घोषित कर दें और 30 अक्तूबर तक कोल्हू चालू कर दिया जाय। मैं सदन को एक सूचन देना चाहता हूं। गुड़ को जो रिकवरी है वह 5 प्वाइंट कुछ है और जो चीनी की रिकवरी होती है वह 10 परसेंट के आस-पास होती है। तो अगर हम खड़े कोल्हू एलाऊ कर देते हैं? अक्तूबर से तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कहीं पर तो ये कह रहे हैं गन्ने के मूल्य के बारे में और कहीं पर ये कह रहे हैं चीनी के उत्पादन के बारे, तो इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यह मानने के लिए तैयार हैं कि खड़ कोल्हू जो हैं? अक्तुबर से बन्द कर दिय जायं ताकि जो हमारे यहां चीनी मिलें हैं उनको गन्ना सप्लाई हो सके। माननीय मंत्री जी को मैं इतना सुझाव देना चाहता हूं कि कोई भी चीनी मिल, जो 16 किलोमीटर तक हैं, उनको सब्सीडी दें, तब उनको शिफ्ट कर दें। उसके पीछे जो उनका उद्देश्य है वह यह कि चीनी का उत्पादन कम हो। जो खांडसारी उद्योग है, हाइड्रो-एलेक्ट्रिक मशीनरी को वहां पर लगा दें, रिकवरी अधिक हो जायगी।

अगर खांडसारी उद्योग को संरक्षण देना चाहें, तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह खांडसारी के लिए निश्चित मूल्य सरकार की ओर से घोषित करा दें ताकि खांडसारी का मूल्य पन लोगों को मिल सके और थोड़ी सी राहत भी मिल सके । हमारे देश में गुड़ काफी मात्रा में पैदा होता है । हमारे देश की, गुड़ जो है, यह एक आधारशिला है, किसान को एक अच्छा मूल्य गुड़ का नहीं मिल पाता है । यह सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है । किसानों के पास गुड़ रखने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है । इसलिए आप मनमाने गुड़ का मूल्य लगाते हैं । वेयर हाउसिंग गुड़ रखने के लिए खोलवा दें, ताकि गुड़ अच्छे ढंग से रखा जा सके । एक बात मुझे यह कहना है कि जब सभी की यह बातें चल रही हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी यह जो अनूपशहर कोआपरेटिव मिल है, उसका नाम किसान सहकारी मिल है, उसकी दो हजार की क्षमता कर दी जाय और अगर कोई फैक्ट्री खोलने का प्राविधान होता है, तो वह मान्यवर हमारे यहां को दे दिया जाय । अन्त में मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

*श्री मित्रसेन--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय गन्ना मन्त्री जी के द्वारा प्रस्तुत अनुदान पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, मैं अपने प्रदेश की नीति के बाहर कुछ बात कहना चाहता हूं । श्रीमन्, इनकी नीति ऐसी है जो हमेशा किसान विरोधी रही है और रहेगी ।

यह लाख चर्चा करें लेकिन अपनी उस मन्जिल पर कभी पहुंच नहीं सकते हैं तो श्रीमन्, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि आपने बकरे के रोजगार को देखा होगा । बकरे का व्यापारी अपने बकरी को इसलिए मोटा करते हैं कि वह जितना ज्यादा मोटा होगा जितना उसका गोस्त बढ़ेगा, वह उतने ही अधिक दामों में बिकेगा । यह सरकार भी हमको यही आश्वासन देती रहती है कि जितना उत्पादन बढ़ाओगे उतना ही अधिक लाभ होगा तो मान्यवर, हमने आलू का उत्पादन बढ़ाया, गन्ने, गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाया और जब उत्पादन बढ़ा तो सरकार ने हमारा गला दबा दिया और दाम बाजार के गिरा दिये । तो श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि यह पूंजीवादी सरकार की नीति ही ऐसी है कि किसानों को कभी भी अपने उत्पादन की लागत प्राप्त हो ही नहीं सकती । इसलिए माननीय गन्ना मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वह किसानों की लागत और मिल मालिकों की लागत में एक समन्वय पैदा कर दें, तो वह बधाई के पात्र होंगे । लेकिन मैं जानता हूं कि वे ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं । दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूं गन्ने के सम्बन्ध में जो एक शिस्मा कमेटी बनी थी, जिसको सिस्मा फारमूला कहा जाता है । जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि जितने क्वंटल चीनी के दाम होंगे, उतने ही क्वंटल गन्ने के दाम भी होंगे । अगर आज इसी फारमूले को मान लेते तो यह गड़बड़ी पैदा न होती जो आज गन्ने के दामों में फैली हुयी है और किसानों को काफी इससे रहत मिलती । लेकिन उस फारमुले को आपने ताक पर रख दिया और माननीय मन्त्री जी ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मित्रसेन---]

भी अपने भाषण में इसका कहीं जिक्र नहीं किया। हमारे देश के अंदर लगभग 299 चीनी मिलें हैं और प्रदेश के अन्दर लगभग 88। शायद और किसी प्रदेश में इतनी गन्ना मिलें नहीं हैं और पूरे संसार में शायद ही इतना गन्ना पैदा होता हो, जितना हमारे यहां। लेकिन जितना उत्पादन चीनी का यहां गिरा हुआ है उतना दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं गिरा है। इसलिए दुनिया के किसी हिस्से में हमारी चीनी की कदर नहीं है। दूसरी बात श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि चीनी के दाम एकदम से हमारे यहां क्यों बढ़े उसका एकमात्र कारण सिर्फ यही है कि इस वर्तमान सरकार ने कुछ समय पूर्व चीनी मिल के मालिकों से काफी पैसा लिया है दूसरा और कोई कारण हो ही नहीं सकता।

एक सदस्य---

आपके राज्य में भी तो चीनी मिल मालिकों से पैसा खूब लिया गया था।

श्री मित्रसेन---

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि चीनी की कीमत के सम्बन्ध में। श्रीमन्, इसी प्रदेश के अंदर पूर्वी जिलों और पश्चिम जिलों में ही गन्ने की कीमत में काफी अंतर पाया जाता है। जबकि गन्ने की रिकवरी पर निर्धारित था कि गन्ना जहां ज्यादा आयेगा वहां कीमत ज्यादा दी जायेगी। लेकिन इन सब आदेशों के बावजूद पश्चिमी जिलों के मुकाबले में पूर्वी जिलों को कम कीमत दी जाती है और पता नहीं कब से यह लागू कर लिया और पता नहीं यह हुआ किस वजह से, कि पश्चिम वाले क्या ज्यादा ताकतवर हैं, या ज्यादा लड़ने में तेज हैं या उनका जोर सरकार पर ज्यादा है कि पश्चिमी जिलों को ज्यादा कीमत दी जाती है और पूर्वी जिलों को कम। जबकि इसी प्रदेश के अंदर यह सरकार जानती है कि गांव के 80 प्रतिशत जमीन 20 प्रतिशत किसानों के पास हैं और 20 प्रतिशत खेती 80 प्रतिशत किसानों के पास है। बहुत से छोटे किसान हैं जो गन्ना बोते हैं। गन्ना काटने के बाद वह अपने खेत में दूसरी फसल भी पैदा कर सकते हैं जैसा हमारे विरोध पक्ष के सदस्य निवेदन कर रहे थे। यदि छोटे किसानों का गन्ना पहले ले लिया जाय उनका गन्ना पहले क्रय कर लिया जो तो वह अपने खेत में दूसरी फसल उत्पादित कर सकता है। लेकिन उसका गन्ना सबसे अन्त में पहुंचता है और वह दूसरी फसल अपने खेत में नहीं बो पाता है। माननीय मन्त्री जी कम से कम इतना तो कर दें कि जो यह छोटे काश्तकार हैं उनका गन्ना पहले क्रय कर लिया जाय जिससे छोटे किसान अपने खेत पर दूसरी फसल उत्पादित कर सके।

हमारे यहां गन्ना मूल्य को लेकर मजदूरों में बड़ा असन्तोष रहा है, गन्ना मिल मजदूरों में असन्तोष रहता है बार-बार हड़तालें होती हैं, किसानों का बकाया मूल्य नहीं मिलता है तो मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि बुनियादी तौर पर बैठकर, सोचकर ऐसी नीति तय करनी चाहिये जिससे ऐसे असन्तोष न पैदा होने पाये। मजदूरों के असन्तोष का कारण क्या है उनको मन्त्री जी जानते हैं उनके असन्तोष से मिलों में कितना नुकसान होता है और वह नुकसान किसानों को भुगतना पड़ता है तो किसानों को राहत दिलाने के लिये किसानों का बकाया दिलाने में मन्त्री जी विशेष ध्यान देंगे। हमारे प्रदेश की 60 प्रतिशत लोग अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं और उनकी हालत सुधरी नहीं है उनकी हालत गिरती जा रही है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार यह कह कर

बचना चाहती है कि पिछली सरकार के 3 सालों के कर्मों को भोगना पड़ रहा है। तीन साल के पहले कांग्रेस सरकार यह कह कर बचती थी कि पिछले हजारों साल से अंग्रेजों की जो गुलामी थी उसकी कोढ़ को धो रहे हैं। मैं कहता हूं कि पिछले 33 सालों में कोई मर्ज दूर हुआ, आजादी के बाद के कोई मर्ज दूर हुआ, बेकारी दूर हुई, महंगाई दूर हुई, गरीबी दूर हुई, बता दीजिये यदि कोई मर्ज दूर हुआ हो तो।

श्री उपाध्यक्ष--

आप आसन ग्रहण करें आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कोई मर्ज दूर नहीं हुआ। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ध्रुप राय--

मान्यवर, प्रगति हमारा नारा है और गरीबी को दूर करना हमारा लक्ष्य है। हम प्रगति करना चाहते हैं और गरीबी को दूर करना चाहते हैं। इसके लिये आर्थिक प्रगति की बड़ी आवश्यकता है। आर्थिक प्रगति हमारे प्रान्त का हो या देश का हो। आर्थिक प्रगति खेती पर निर्भर करता है, खेतों की प्रगति है तो हमारी प्रगति है, उद्योग की प्रगति है हम सब की प्रगति है। इस साल छठीं पंचवर्षीय योजना की जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना प्रगति लक्ष्य 6-5 परसेंट रखा है जबकि नेशनल इनकम बढ़ाना 5-3 परसेंट है। आप देखें जो प्राविनशियल इनकम बढ़ी उसमें खेती का सर्वोपरि हाथ है। 6-5 में कम से कम 5 परसेंट खेती पर निर्भर है और खेती का इसमें सबसे ज्यादा हाथ है। खेती हमारी प्रगति की रीढ़ है और उस खेती की रीढ़ गन्ना है। गन्ना कैशक्राप है। हमारे खेतिहर मजदूर को पैसा देखने को मिलता है, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को तो वह गन्ना की खेती से मिलता है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर इसका बड़ा भारी स्थान है। यह गन्ना 3 मिलियन हेक्टेयर जमीन में बोया जाता है। जिसका प्रोडक्शन 1954-59 में 65·92 से बढ़ कर 1959-60 में 75·05 तथा 64 में 121·99 मिलियन टन्स हो गया। इसी प्रकार 1964-65 में 123·99 से बढ़ कर 1969 में 124·68 तथा 1969-70 में 144·29 और 1979 में 156·49 हो गया। वह 1980 में 171·00 हो गया है। हमारे यहां जितना गन्ना पैदा होता है उसका ज्यादा हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश म पैदा होता है और 90 प्रतिशत उत्पादन बड़ी चीनी मिलों में जाता है बाकी गुड़ और खाण्डसारी बनाने में जाता है। कुल 299 में से 88 चीनी मिलें हमारे प्रदेश में है। जहां चीनी का उत्पादन इस प्रकार है--

1977-78 में 64·57 लाख टन, 1978-79 में 58 लाख टन, 1979-80 में 39 लाख टन।

श्री विजय सिंह राना--

यह पढ़ने की अनुमति न दें मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष--

यह पढ़ नहीं रहे है ।

(व्यवधान)

श्री ध्रुप राय--

दिन प्रति दिन प्रति व्यक्ति पर 50 ग्राम चीनी की खपत है और इससे खपत का आवश्यकता 60 लाख टन होती है । जब कि चीनी का उत्पादन केवल 40 लाख टन है । अब आप देखें कि सारे विश्व को उत्पादन का एक चौथाई उत्पादन केवल भारत वर्ष में होता हैं । मान्यवर, अब देखेंगे कि आखिर कमी कैसे है । जबकि हमारे प्रदेश की रिकवरी केवल 9 प्रतिशत हैं, महाराष्ट्र की 12-14 प्रतिशत और क्यूबा में 20-22 प्रतिशत है । यह कमी क्यों है ? मान्यवर, जो चीनी मिल हमारे प्रदेश में लगाये गये हैं उनमें से अधिकांश तकनीकी हिसाब से आउट डेटेड हो गये हैं और उनकी मशीने वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। यही कारण हैं ।

खेत में पैदा करने वाले खेतिहर अपना पैसा और समय लगा कर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं परन्तु जो चीनी मिल है उनका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया हैं जिसके कारण हमारी रिकवरी पीछे है और उचित मूल्य नहीं पा रहें हैं । प्राइस के बारे में भी बड़ी भारी निराशा है । 10 साल म गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं आयी । 1968-71 में 7·37 रुपये थी और 9·4 प्रतिशत रिकवरी थी । इसी प्रकार 1971-72 में 8·00, 1973 में 8·50 प्रतिशत और 1978 में 8·50 रुपये और बेस था 8·5 प्रतिशत । आप ध्यान से देखें जो गन्ने का उत्पादन होता में जिसके लिए यूनियन गवर्नमेन्ट न एग्रीकल्चरल प्राइस कमेटी बनायी थी लेकिन गन्ना उत्पादकों के प्रति कोई न्याय नहीं किया गया और जो पालिसी बनायी गयी वह फेल हुई । आप इस समय 13 रुपये भाव निर्धारित करने जा रहे हैं जैसा कि अखबार में आया है । तो आज उत्पादकों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है । मैं यह कहूंगा कि केन्द्र में एक सेक्टरी गन्ना सेक्रेट्री होना चाहिए, एक गन्ना उत्पादक बोर्ड बनाना चाहिए इन आंकड़ों को देख कर आप ध्यान दें कि महंगाई कितनी बढ़ी हुई है । फर्टिलाइजर का दाम 30 प्रतिशत बढ़ा, इरीगेशन कास्ट 20 परसेन्ट बढ़ी, डीजल कास्ट 45 परसेन्ट बढ़ी, ट्रैक्टर का दाम दूना तिगुना हो गया । चीनी का दाम इस प्रकार बढ़ा । पहले असल में जब चीनी का 60 परसेन्ट का कन्ट्रोल दाम 1·80 से 2·85 पर किलोग्राम थी तो ओपेन मार्केट में 40 परसेन्ट चीनी 4 रुपये में बिकती थी । आज वह 8 से 12 रुपये पर किलोग्राम बिक रही है । अगर इन आंकड़ों पर विचार करें तो गन्ने का न्यूनतम मूल्य 18·30 रुपये 8·5 परसेन्ट रिकवरी पर होना चाहिए। आप इस पर ध्यान दें और गन्ने का न्यूनतम मुल्य 18·50 रुपये निधारित कराएं, बेसिस 8·5 परसेन्ट रिकवरी पर । तब महसूस होगा कि यह सरकार किसानों की लाई कर रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती है । इन शभब्दों के साथ में आपके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैंने माननीय गन्ना विकास मन्त्री का भाषण सुना और उन्होंने पता नहीं कसे गलत से यह कह दिया कि जब जनता पार्टी की सरकार आयी तो उनकी नीतियों की वजह से गड़बड़ी हो गयी और पैदावार घट गयी वरना उनके हिसाब से गन्ना बहुत पैदा हो रहा था । मैंने आंकड़े देखें जो पुस्तक स्टैटिक्स

डिपार्टमेन्ट से निकलती है उसमें। 1960-61 में एक हेक्टर में 510·21 क्विंटल पैदावार हो रही थी। यह आकर 470·41 क्विंटल पर हेक्टर 1977-78 में पदा हुआ जब जनता पार्टी की सरकार थी। तो कौन सी गलत नीति थी। मैं चाहता हूं कि सदन में यह परिपाटी बन्द हो जाय। जनता पार्टी को लोगों ने सजा दी और वे इधर आ कर बैठे हुए हैं। अपनी बात कहिए। आपने कोई तरक्की की हो तो बोलिए। लेकिन दूसरों पर आक्षेप करना, दूसरों की चादर से अपना मुंह छिपाना यह बहुत बेहूदी बात है। यह नहीं चल सकती है।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

इसको वापस लें। यह संसदीय भाषा नहीं है। 'बेहूदी बात' क्या यह शब्द संसदीय हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यदि 'बेहूदा' शब्द किसी व्यक्ति के लिए होता तो असंसदीय था। वाक्य के किसी हिस्से के लिए है तो असंसदीय नहीं ह।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, अब मैं यह कहना चाहता हूं 1960-61 से लेकर 1977-78 तक के जो आंकड़े प्राप्त हैं उनमें गन्ने विकास में कितनी वृद्धि हुई है। पर हेक्टर गन्ने की पैदावार 410·21 क्विंटल से बढ़ कर 460·41 क्विंटल प्रति हैक्टर हो गयी। 18 साल में 40 क्विंटल की कुल वृद्धि होती हैं। गन्ने की कितनी किस्में विकसित की, माननीय मन्त्री ने यह भी बताया। असन्तुष्टा निजः नष्टा, संतुष्ट चः महीपति। असन्तुष्ट ब्राह्मण नष्ट हो जाता है और राजा संतुष्ट हो जाय तो उसका नाश निश्चित है। तो मन्त्री जी को बड़ा सन्तोष है कि हमारे आने से बड़ी तरक्की हो रही है। सरकार सोचती है कि सारा काम हमने कर दिया है अब कोई काम करना बाकी नहीं है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मन्त्र जी के समय में उत्पादन बढ़ा है ऐसी बात नहीं ह। इनके समय में गन्ने का कोई विकास नहीं हुआ है। सरकार कोई विकास नहीं कर रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं और इसके आंकड़े पेश कर सकता हूं, अगर आप समय दें। मान्यवर, गन्ने का तीन साला फसल चक्र होता है। जब गन्ना सस्ता हो जाता है तो किसान कम बोने लगते हैं। जब गन्ना कम बोया जाता है और गन्ने के दाम अच्छे मिलते है तो फिर गन्ना बोया जाता है। यह जो अधिक उत्पादन बढ़ाने का दावा मन्त्री जी कर रहे हैं यह व्यर्थ है।

किसान अपनी परिस्थितिवश ऐसा करता है। जब दाम अच्छे मिलते हैं गन्ना ज्यादा बोता है और जब गन्ने का दाम कम होता है तो गन्ना कम बोता है। इस तरह से इस फसल चक्र में तीन साल लग जाते हैं। यह बात जब "अर्जक साप्ताहिक" अखबार निकालता था, लिखा था कि 1979-80 में गन्ना कम पैदा होगा और तेज बिकेगा क्योंकि सरकार का नई नीति नहीं है। सरकार ने गन्ना किसानों को बिल्कुल उनके भाग्य पर छोड़ दिया हैं। ज्यादा पैदा हो जायगा तो सस्ता और कम पैदा होगा तो तेज राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अब तक

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

कोई सिफारिश नहीं की है । मन्त्री जी किसानों के हित के लिये कुछ करने को तैयार नहीं है । गन्ने का क्या भाव होगा, अभी आपने सूचना नहीं दी है कि जो मिल पहली गन्ने की पेराई करेंगे तो कब करेंगे किस टक्स को माफ करेंगे इस पर कोई ध्यान नहीं है । सरकार चुप बैठी है । मन्त्री जी को चोट लगेगी, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार सो रही है । मैं आपके द्वारा सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार चीनी उद्योग और गन्ने के मामले में सो रही है । मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप किसानों के लिये कोई काम नहीं कर रहे हैं। मिल मालिकों का आपको ध्यान है। सरकार का प्रयास पूंजीपतियों के संरक्षण और फायदे के लिये निश्चित है । मैंने कटौती का प्रस्ताव भी दिया है, क्या सरकार यह नहीं कर सकती है कि जो तीन साल का कार्यक्रम है जो किसानों को तीन साल तक उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाता है उसको खत्म करेंगे । आप चाहे ऐक्ट बना दें या अपने प्रशासन को आदेश दें कि जितना गन्ना क्षेत्र एक मील में पड़ता है, उसमें किसानों को आमन्त्रित कर लें और एक कांट्रक्ट कर लें कि सारे क्षेत्र में जो खेती का क्षेत्र है उसको किसान लिखकर दे दें । एक साल का कांट्रैक्ट हो जाय कि कितने क्षेत्र में गन्ना बोना है जिसको मिल वाले ले सकते हैं । अगर 10 हिस्से जमीन है तो एक हिस्से पर गन्ना बोने का काम चल जायगा । तो आप 10 परसेंट की कंटिंजेंसी ले लें और कह दें कि हर किसान अगर उसके पास 10 एकड़ जमीन है और एक एकड़ में वह चाहे जितना गन्ना पैदा कर लें, मिल वाले उसे ले लेंगे और पेरने के लिये बाध्य होंगे । । अगर यह हो जाय तो जो यह तीन साल का फसल चक्र है यह समाप्त हो जाय और किसान की पैदावार बढ़े । आप गन्ने के विकास की बात करते हैं, जब बरसात अच्छी होती है गन्ने की पैदावार बढ़ जाती है, यह जो आपने गन्ना विकास अधिकारियों की फौज बना रखी है यह कुछ नहीं कर रही है। आप इस फौज को खत्म करें । मैं दक्षिण के उदाहरण देना चाहता हूं । वहां सहकारिता की चीनी मिलें बहुत अच्छी तरह चल रहीं हैं । सबसे ज्यादा दाम हिन्दुस्तान भर में किसानों को दे रहे हैं । महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें जानकारी के लिये मन्त्री जी । वहां गन्ना मिल की जिम्मेदारी है कि इतने क्षेत्र में गन्ना बोयें और किसानों से कान्ट्रैक्ट है, उतने क्षेत्र के लिये मिल की तरफ से बीज, पानी और खाद आदि सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं । और जब किसान गन्ना सप्लाई करेंगे तो उसमें से इन चीजों का पैसा मिल काट लेगी । इसीलिये दक्षिण में पैदावार ज्यादा हो रही है । दक्षिण की चीनी का कान्ट्रैन्ट 14 प्रतिशत है, जबकि हमारे यहां 10 प्रतिशत से ऊपर कम जाता है । यह इसलिये है कि वहां सन्तुलित खाद किसान देते हैं । तो क्या मन्त्री जी वैसी व्यवस्था यहां नहीं लागू कर सकते हैं । यदि ऐसा हो जाय तो तीन सालाना गन्ने का जो फसल चक्र है वह समाप्त हो जाय । इसलिये मन्त्री जी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गन्ना नीति को किसानों के, चीनी उत्पादन के और अन्त में मिल मालिकों के हित में बनायें तो दुख नहीं है, लेकिन नीति चीनी और किसान के हित में न हो और मिल के हित में केवल हो तो इसे कोई भी नहीं स्वीकार करेगा ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में भी चुप है कि पावर अल्कोहल की सारे देश में कमी है, यहां देश का 40 प्रतिशत गन्ना हम उत्पादन करते हैं, यदि यह अल्कोहल को बनाने का काम सरकार अपने हाथ में ले ले तो बड़ी मात्रा में पेट्रोल की कमी दूर हो सकती

है । जो मिलें पावर अल्कोहल बनाती हैं वह एक टन शीरे से 250 लीटर पावर अल्कोहल बनाती हैं जबकि 400 लीटर बनाना चाहिये और इस हिसाब से एक एकड़ से 1760 लीटर पावर अल्कोहल हमको मिल सकता है । और पेट्रोल में जो मांग का 10 प्रतिशत ही देश में पैदा होता है । 20 प्रतिशत मिलाने की अनुमति सरकार दे दे तो यहां पेट्रोल की कमी दूर हो जायगी और शीरे की कीमत बढ़ जायेगी । इसके अलावा गन्ने की खोई से फरफ्यूरल, कनाइटबोर्ड कागज, अखबारी कागज, गत्ता फ्रेस, मोम और रंग आदि चीजें बनायें तो सारे खर्चे, टैक्स लगाने के बाद यदि 20 रुपये क्विंटल गन्ने की कीमत किसानों को दी जाय तो 1.50 रुपये किलो शुगर आसानी से यहां बेची जा सकती है । माननीय, इस सम्बन्ध में हमने बार-बार यहां भी कहा लेकिन मन्त्री जी ने उत्तर दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और मिलें ही पावर अल्कोहल के सम्बन्ध में जो करना चाहें वह करें । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि किसानों के हित में शुगर काम्प्लेक्स मन्त्री जी लगवायें जिससे गन्ने की खोई शीरे और मैल से जो चीजें हम पैदा करेंगे उससे हमें अतिरिक्त लाभ होगा और वर्ल्ड में चीनी की कीमत में जो कम्पीटिशन है उसका मुकाबला कर सकेंगे और इसके साथ ही साथ पावर अल्कोहल हमको उपलब्ध हो जायेगा जिससे पेट्रोल की कमी दूर हो सकेगी । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गन्ने के सम्बन्ध में जो मांग का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका समर्थन करता हूं और कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं । मैं जनपद प्रतापगढ़ से आता हूं जो बहुत ही गरीब इलाका है । लेकिन एक चीज पर मन्त्री जी का ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं कि वहां गन्ने की पैदावार अच्छी होती है । पानी का साधन अब ठीक हो गया है, कुछ दिनों से । नलकूप होने के कारण और नहरों की सुविधा कुछ अच्छी हो गयी है जिससे वहां गन्ने का उत्पादन अच्छा हो गया है । वहां की जो भूमि का स्वभाव है, नेचर आफ लैण्ड, वह मिट्टी का है । उसमें पोटेनशियेलिटी है गन्ने के बेहतर उत्पादन की । तो मैं अदब से गुजारिश करता हूं, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कुछ मिलें खोली जायेंगी, कि अगर प्रतापगढ़ में एक मिल गन्ने की खोली जाय तो वहां के किसानों को बहुत ही लाभ होगा खास कर गरीब किसानों को । यू0 पी0 के पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से हम गन्ने के मामले में बहुत इन्वी करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है लेकिन हमारा क्षेत्र बहुत गरीब है ।

एक चीज और आप से निवेदन कर दूं । हमारे यहां दो किस्म का गन्ना बोया जाता है । एक तो अच्छी वैरइटी का होता है जिसको देहात में सरौती गन्ना कहते हैं । 51,802, तो मैं नहीं जानता । बचपन से ले कर आज तक यह गन्ना बोया जाता है । दूसरा गन्ना बहुत लम्बी डंठल का, बहुत ही ऊंचा, काफी लम्बी किस्म का होता है । हमारे बचपन में बोया जाता था अब भी बोता जाता है । सरौती गन्ना पहले लोग ज्यादा पसन्द करते थे । उस गन्ने से गुड़ अच्छा होता था । मालूम नहीं इस में रिसर्च हुआ कि नहीं मुझे नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लाल प्रताप सिंह--]

मालूम । इसमें रिसर्च की जरूरत है । बड़े गन्ने की वैराइटी भी प्रतापगढ़ में अच्छी खासी होने लगी है और होती भी है । ये दो किस्में गन्ने की हैं। गन्ने की कल्टीवेशन भी ज्यादा होने लगा है, पहले से कहीं ज्यादा । जैसा मैंने कहा गन्ने की पैदावार बढ़ सकती है, गन्ने का विकास कहीं अच्छा प्रतापगढ़ में हो सकता है । एक शुगर मिल कोआपरेटिव सेक्टर में, किसी और सेक्टर में, खोलने की आवश्यकता है । मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री जी इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन आज जरूर देंगे ।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शुगर मिल में बंगलिंग और मडलिंग बहुत हुई है । वह तो जनता पार्टी की सरकार के जमाने में ही हुई क्योंकि उन्होंने ही कन्ट्रोल किया, फिर डिकन्ट्रोल किया । और जनता पार्टी की सरकार की हालत क्या बतलाऊं । आज जो हालत जनता पार्टी की सरकार ने की है वह तो रोने रुलाने के काबिल है । हर फ्रन्ट में नाकामयाब थे, इकोनामिक फ्रन्ट में बिल्कुल ही और पालिटिकल फ्रन्ट में कन्फ्यूजन और सारा वातावरण हिंसा से भरा हुआ था, वाइलेन्स जो आज कल लिंगसी में हम देख रहे हैं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे और ज्यादा नहीं कहना है । आखिरी बात माननीय मन्त्री महोदय से यह कहनी है कि हमारे यहां एक शुगर मिल खुलवाने की कृपा करें ।

*श्री हरिवंश सहाय---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने गन्ना विकास के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

चीनी का मूल्य इस समय तेजी से बढ़ रहा है । इसका मुख्य कारण है गन्ने के उत्पादन में कमी । गन्ने में उत्पादन की कमी इसलिये हो रही है कि गन्ना किसानों को उचित दर नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण गन्ना किसानों में हतोत्साह हो कर के गन्ने का उत्पादन कम कर दिया है । मैं आप को सुझाव देता हूं कि गन्ना किसानों को अच्छे बीज, अच्छे सिंचाई साधन, अच्छे उर्वरक, अच्छे सुझाव मिलें तो वे अपने खेतों में अच्छी बुआई कर के गन्ने की पैदावार बढ़ायेंगे । गन्ना किसान जब अपना गन्ना पैदा कर लेता है तो उसके सामने एक समस्या हो जाती है कि कैसे उस गन्ने को ठीक समय से मिलों को दें । मेरा सुझाव है कि जो गन्ना किसान और गन्ना यूनियन के अन्दर सट्टेबाजी होती है उस के नियम कड़े बनाये जायं । हमारा गन्ना काश्तकार यूनियन के माध्यम से मिलों को गन्ना देता है । अगर मिलों को गन्ना नहीं मिल पाता है तो उस किसान को उतना पैसा उससे हर हालत में मिलना चाहिए । तीन साल के लिए रिजर्वेशन मिलों का कर दिया जाय तभी मिल उस एरिया में अच्छा गन्ना पैदा करने के लिए सबसिडी देगी, बीज और पानी का प्रबन्ध करेगी तथा गन्ने की देखरेख करेगी और गन्ने की उपज बढ़ाने का प्रयास करेगी । मिल मालिक पूरे साल रिजर्वेशन के लिए दौड़ते रहते हैं । गन्ने की पैदावार वह कैसे बढ़ा सकते हैं ? मेरा सुझाव है कि ज्योंही साल समाप्त हो गन्ने के दाम की घोषणा हो जानी चाहिए । गन्ने काश्तकार को मालूम रहेगा कि आने वाले साल में उसे गन्ने के इतने दाम मिलेंगे, उसे इतना लाभ होगा तब वह गन्ना बोयेगा । गन्ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के दाम घोषित न होने से तीन चार साल से गन्ने का किसान गन्ना बोना कम करता जा रहा है जिससे इस साल काफी कम गन्ना हुआ ।

पारसाल पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा और इस साल बाढ़ आई जिससे गन्ने के किसान को अन्देशा हुआ कि गन्ने के दाम नहीं बढ़ सकेंगे जिससे उसने गन्ना नहीं बोया । इसके अलावा गन्ने के अन्दर जो बीमारी होती है उस बीमारी को कीट नाशक दवाओं के जरिये से खत्म करना चाहिए । हर मिल में कीट नाशक दवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए । हर मिल के अन्दर एक रिसर्च लेबोरेटरी हो जो अपने क्षेत्र के गन्ने की बीमारियों को दूर करने के ऊपर बराबर रिसर्च करती रहे तो उस क्षेत्र के गन्ने को बीमारियों से बचा सके । मिल की प्रयोगशाला के अन्दर मृदा परीक्षण की व्यवस्था भी हो ताकि उस एरिया के किसान को पता चल सके कि किस भूमि में किस प्रकार का गन्ना वह बो सकता है, किस किस्म की खाद डाले और कौन सा बीज डाले । इससे गन्ने की उपज बढ़ सकेगी । इस लेबोरेटरी के जरिये यह भी व्यवस्था हो वह पता लगाये कि इस इलाके में इस तरह की बीमारी फैलती है तो वहां उस तरह का वह बीज तैयार करे जो उस बीमारी में अवरोधक हो । इसके अलावा हर मिल के पास 20 या 25 एकड़ का गन्ने का फार्म हो । वह फार्म मिल के अधीन अथवा सरकार के अधीन हो जिसके अन्दर गन्ने का बीज पैदा किया जासके और उस फार्म के माध्यम से ही गन्ने के अच्छे बीज को उस पूरे एरिया में सप्लाई किया जा सके । इस तरह से गन्ना मिल के पास एक फार्म हो यह मेरा सुझाव है । आज चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं । रफी साहब ने कहा कि जितने रुपये मन चीनी होगी उतने ही आने मन गन्ना होगा । आज चीनी का दाम काफी अधिक होगया है और इस हिसाब से चीनी का दाम 30 रुपये क्विंटल होना चाहिए । आपके विभाग के अन्दर उत्तर प्रदेश गन्ना समिति संघ, लखनऊ जो है वह किसानों के हित की बात सोचता है । उसके जो कर्मचारी हैं उनको गन्ने के बारे में कोई ज्ञान नहीं है । वहां पर एक ही तरह के लोग हैं न तो उनके घर के लोगों ने गन्ने की खेती की है और न ही उन्होंने गन्ने की खेती को देखा है । जब गन्ने का कोई काश्तकार उनके विभाग में जाता है तो वे लोग उसे तत्काल निकाल देते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि उस संघ में गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सोमांश प्रकाश--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे माननीय गन्ना मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया । मुझे इस विषय में सबसे पहले यह कहना है कि 1977 में जिस समय हमारी कांग्रेस की सरकार हटी और जनता पार्टी का शासन आया तो उस समय 62 लाख टन चीनी मिलों से पैदा हुई थी । लेकिन इस जनता पार्टी की दुइरी नीति के कारण आज जो चीनी पैदा हुई वह केवल 42 लाख टन ही रह गई और इसी के कारण आज यह गन्ने की दशा हुई है । गन्ना किसानों की हालत और उसकी दुर्दशा को देखते हुए हमारे प्रदेश में शोर मचाया जा रहा है कि चीनी के भाव तेज हो रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि अपनी करनी की दशा को हमारे

[श्री सोमांश प्रकाश--

सिर में मढ़ा जा रहा है । 62 लाख टन चीनी से आज 42 लाख टन कर दिया कि जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है । लेकिन हमें खुशी है और हमारा सौभाग्य है कि इस समय जो बजट हमारे गन्ना मंत्री जी ने पेश किया है और जहां इस प्रदेश में सबसे अच्छी गन्ने की खेती होती है वे वहां के रहने वाले हैं पश्चिमी प्रदेश के और वे एक अच्छे गन्ना किसान भी हैं । क्या समस्या गन्ने के किसान को हो सकती है उसे वह प्रेक्टिकल रूप से जानते हैं । इसलिए जो उन्होंने बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । मै इसके साथ ही कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं ।

सबसे बड़ी बात वह है कि काफी समय से हमारे गन्ना अनुसंधान केन्द्रों से यह आना चाहिए कि गन्ने की कौन सी अच्छी किस्म होनी चाहिए, वह नहीं आ रही है । कैसे उसकी पैदावार बढ़े और कैसे उसकी रिकवरी हो इसके बारे में भी आना चाहिए । केवल 1148 ही एक ऐसी किस्म है जिसको आज किसान बोता है लेकिन धीरे-धीरे वह किस्म भी पैदावार और रिकवरी की दृष्टि से बहुत दिनों तक बोते रहने से कम होती जा रही है । माननीय मंत्री जी ने सूचना दी है कि एक 822 किस्म भी बनी है जो कि 1148 को रिप्लेश कर देगा । लेकिन मुझे आशा नही है हमारे अनुसंधान केन्द्रों से जो सूचना आती है वह केवल कागजों तक ही सीमित रहती है और वास्तविकता कुछ होती नहीं है इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप अनुसंधान केन्द्रों को यह आदेश दें कि अच्छी से अच्छी और सही तरीके से वे किसानों को प्रोत्साहन दें और उनकी सहायता करें । इस समय सबसे आवश्यक बात गन्ने की पैदावार बढ़ाने की है । अगर गन्ने की पैदावार नहीं बढ़ायेंगे तो चीनी का उत्पादन नहीं बढ़ेगा अगर चीनी का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो इस समय प्रदेश और देश में चीनी की समस्या है वह दूर नहीं हो सकती है । अभी हमारे किसी साथी ने कहा खड़े कोल्हू पर प्रतिबन्ध हो । तो किसी भी तरह से किसान के हित में खड़े कोल्हू पर प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं होगा । गन्ने को पेरने की इकाइयों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए । हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा गन्ना उत्पादन करें और ज्यादा से ज्यादा चीनी का उत्पादन करें, गुड़ और खांड़सारी का उत्पादन करें ।

इसके साथ-साथ मैं एक सुझाव जरूर रखना चाहूंगा कि जो गन्ना विभाग की प्लांट प्रोटेक्शन विंग है या गन्ना सोसायटीज हैं उनके द्वारा गन्ने की बीमारी से उसकी रोकथाम के लिए जरूर ध्यान दिया जाय क्योंकि किसान को बीमारी के फैलने तक सही जानकारी नहीं हो पाती है । इससे गन्ने के उत्पादन पर असर पड़ता है जिससे चीनी कम होती है । तो इसके बारे में ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि गन्ने की बीमारियों की रोकथाम प्लांट प्रोटेक्शन या गन्ना सोसायटीज से की जाय । इसे इफैक्टिव तरीके से लागू किया जाय जिससे किसानों को फायदा होगा और बीमारियों को रोकथाम सही तरह से हो सकेगी । एक टौप बोर बीमारी है इसकी रोकथाम आज नही हो पाती है इसकी तरफ ध्यान दिया जाय ।

मेरा थोड़ा निवेदन चीनी मिलों के बारे में है । आज चीनी मिलें रुग्ण अवस्था में हैं चाहे वह सहकारी हों चाहे प्राइवेट सेक्टर में हों या दूसरी तरह की हों । कोई भी चीनी मिल आज सही तरीके नहीं चल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री केदार नाथ सिंह––

माननीय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अभी चीनी मिलों के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कही गयी। लेकिन मेरे विवेक में जो आया वह मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी सदन में जो चर्चा हुई उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि उनके शासन काल में इतनी कमी चीनी के उत्पादन में नहीं आई लेकिन जनता शासन में पिछले वर्ष कमी आ जाने से कीमत में बढ़ोत्तरी हो गयी। तो इस लौजिक को मैं अपने विवेकानुसार स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि आपातकाल के समय में चीनी के स्टाक में कमी नहीं रही और उत्पादन में भी कमी नहीं रहीं फिर भी चीनी की कीमत बढ़ी और 6 रुपया किलो बिकी। जिस वक्त यह कहा जाता था बिचौलिए और मिल मालिक को डरते हैं। तो फिर मैं कैसे मानू इस लौजिक को कि चीनी का उत्पादन घटने से कीमत में बढ़ोत्तरी हुई है। मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि गलती किसी की भी हो उसको स्पष्ट कहना चाहिए और अच्छा काम किसी का भी हो उसे भी स्पष्ट कहना चाहिए। उससे फायदा यह होगा कि अच्छे काम करने वालों को चाहे वह किसी दल का हो उसको प्रोत्साहन मिलेगा और बुरा काम करने वाले डिमौरलाइज होगें। इसलिए आवश्यक है कि सही चीज को सदन की जानकारी में लाया जाय। माननीय, मैं तो तभी से व्याकुल हो रहा था क्योंकि गन्ना व चीनी के सम्बन्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसे सदन में नहीं रखा गया (व्यवधान) सही बात कही जाय तथ्यो को बतलाया जाय, अगर मैं तथ्यों से विचलित हुंगा तो मुझे बोलने न दिया जाय।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि क्या मंत्री महोदय अपने शासन की पिछली स्थिति का अवलोकन करेंगे? कब उन्होंने कोटा परमिट के शासन को समाप्त किया, कब चीनी उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया? माननीय, मुझे निवेदन करना है कि जो बातें सदन में कही जा रही हैं, वह गुमराह करने वाली बातें हैं। मेरा यह स्पष्ट विचार है कि कीमत की बढ़ोत्तरी पूंजीपतियों, व्यापारियों और सरकार की सांठ–गांठ से हो रही है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि जनता शासन के काल में तीन सौ करोड़ रुपये का घाटा इन चीनी व्यापारियों का दो वर्ष में हुआ और 79 के उत्तरार्द्ध में केवल 70 दिन के अन्दर शासनकाल में 300 करोड़ रुपये की आय इन्हीं व्यापारियों ने कमाई है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

एक सदस्य––

यह आंकड़े आप कहां से लाये हैं?

श्री केदार नाथ सिंह––

आवश्यकता होगी तो आप आइयेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास सब आंकड़े हैं। खेद यही है कि मुझे बोलने का अवसर इतना नहीं मिलेगा वरना आयने की तरह सब साफ कर देता। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि इसके बावजूद दो और सवा दो रुपया किलो में चीनी उपलब्ध कराने वाली जनता सरकार ने किसानों के गन्ने की कीमत को जरा भी नहीं घटाया। लेकिन

[श्री केदार नाथ सिंह--]

6 व 8 रुपये किलो में चीनी बिकवाने वाली सरकार क्या गन्ना किसानों को 35 रुपया क्वींटल गन्ने का दाम दिलाने का वायदा करती है ? यदि यह सरकार ऐसा करती तो मैं उसका स्वागत करता। चीनी की कीमत में जो बढ़ोत्तरी हुयी उसका लाभ कृषकों को मिलता और कृषक उत्साहित होकर ज्यादे से ज्यादे गन्ने की बुवाई करते (व्यवधान) इतना ही नहीं मुझे जानकारी हुई कि हमारे मंत्री जी भी गन्ना कृषक हैं, लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि गन्ना समितियों की आज जो दयनीय स्थिति है, उसकी ओर हमारे मंत्री जी ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया है। गन्ना आयुक्त और अन्य सारे अधिकारी उनकी हालत सुधारने के लिए परेशान हैं क्या इसके लिए उच्चस्तरीय प्रयास किया जा रहा है ? वित्त-पोषण के नाम पर समितियों को विचौलिया बना दिया गया है। पहले यह समितियां धनी रहतीं थीं और वह किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पैसा बांटती थीं और उसके द्वारा प्राप्त सूद स्थानीय विकास के तमाम कार्यों के काम में आता था। आज मान्यवर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्कीम के अन्तर्गत केन-यूनियनों को जर्जर और तबाह कर दिया गया ह। यह दल विशेष की बात नहीं है, सबको इस पर विचार करना चाहिए। इसके साथ-साथ सबसे महत्व की बात मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं...

एक सदस्य--

गन्ने की कितनी किस्में होती हैं, यही माननीय सदस्य बता दें तो मैं समझूं कि वह बड़े गन्ने के विशेषज्ञ हैं।

श्री केदार नाथ सिंह--

चीनी का उत्पादन बढ़ाया जाए, चीनी का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। वह तभी होगा जब गन्ना किसानों को उत्साहित किया जाएगा, लेकिन उनको प्रोत्साहित करने के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया है। इसमें कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है, जो जनता शासन में न रहा हो। कोई मुद्दा ऐसा नहीं उठाया गया और कोई ऐसी नीति निर्धारित नहीं की गई जिससे किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिले वे अपने उत्पादन को आगे बढ़ा सकें, खेतों की पैदावार को बढ़ा सकें और ज्यादा से ज्यादा अपनी-अपनी भूमि में गन्ना बोने की कोशिश करें। गन्ना समितियों में डेवलेपमेंट स्कीम्स की बात कही गयी है नये क्षेत्रों के लिए लेकिन पुराने क्षेत्रों का कहीं भी इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है। जनता पार्टी के शासन काल में खाद के दाम कम हुए तो लोगों ने देखा कि गेहूं और धान बोने में उतना ही लाभ हो रहा है जितना कि गन्ने के बोने में, तो वे क्यों गन्ना बोयेंगे। केवल आलोचना करने से काम नहीं चलता है, इतना कहने से कि जनता पार्टी के शासन की गलत नीतियां रही हैं, कोई काम नहीं चलने वाला है। आपका उनको इंगित करने के साथ-साथ यह भी बताना पड़ेगा कि इन गलत नीतियों के सम्बन्ध में मेरा यह प्रोग्रेसिव प्रोग्राम है।

मान्यवर, आपके माध्यम से अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह सुझाव देता हूं कि विशेष तौर से इन गन्ना समितियों की आर्थिक स्थिति जो वित्त पोषण के कारण दयनीय हुयी, और ये मिल मालिक जिन्होंने सूद और कमीशन लेकर गन्ने की कीमत रोकी उनसे युद्ध स्तर पर भुगतान कराया जाय और वित्त पोषण से जो क्षति हो रही है, उस पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया से तत्काल सम्पर्क किया जाय ताकि इन समितियों की दशा सुधर सके।

श्री दामोदर शर्मा––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझें मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत गन्ने के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वे स्वयं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि वे हमेशा किसान के हित की बात करेंगे। जो बातें अभी उन्होंने कही मैं उनका समर्थन करता हूं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जिन्हें आप कहते है, मैं उनका विरोध करता हूं। उन्हीं के शासन काल में गन्ने की बुग्गी लोग ले जाते थे उनको न सल्फर वाले लेते थे और न ये मिल वाले ही लेते थे। वे लोग अपनी बुग्गियों को सड़क पर छोड़ देते थे और वह गन्ना सड़क पर पड़ा रहता था। डेढ़–डेढ़ या 2 रुपये प्रति क्विन्टल गन्ना उनके शासन काल में बिका था, जो किसानों के सबसे ज्यादा हमदर्द बनते थे उन्होंने ही सबसे ज्यादा उनका शोषण किया और जो सरकार उनकी ज्यादा हमदर्द बनती थी उसने ही किसानों का शोषण ही नहीं किया अपितु उन्हें 20 साल पीछे ढकेल दिया। जोर–शोर के साथ इस सदन में चीनी के भाव बढ़ने के सम्बन्ध में बहस की। यह भी उन्हीं की (विरोध पक्ष) सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है जो चीनी अब इतने अधिक भाव पर बिक रही है। उन्होंने 8–10 करोड़ रुपया चीनी मिल मालिकों से ले लिया और इलैक्शन में उसे खर्च किया। (व्यवधान) आज अगर इनकी गलत नीतियां न होतीं तो इतनी जल्दी हम यहां सत्ता में न आ पाते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब एक सुझाव देना चाहता हूं कि गन्ने का मूल्य 25 रुपया प्रति क्वीन्टल होना चाहिए। किसान जो गन्ना पैदा करता है उसकी कमी होती है। मैं यह चाहता हूं कि मिलों की तरफ से या सरकार की तरफ से गन्ना किसानों को इस बात से अवगत करना चाहिए कि उनको इतना गन्ना बोना है और इतनी भूमि में बोना है। इससे उतना ही गन्ना बोया जायेगा जितना कि मिलें ले पायेंगी और किसान का भी नुकसान नहीं होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि केन सोसाइटियों द्वारा जो सड़कें बनायी गई हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है, सरकार को उनकी मरम्मत कराकर उनकी दशा सुधारना चाहिए।

गन्ना शोध संस्थान द्वारा आज तक कोई भी गन्ने की ऐसी वेरायटी नहीं निकाली गई है खोज कर कि जो अधिक ईल्ड दे सकें। अधिक ईल्ड देने वाली वेर इटी की खोज करना चाहिए।

हमारे यहां 89 चीनी मिलें हैं और एक सहकारी मिल हमारे क्षेत्र में है, जिस पर किसानों का 18 लाख 20 हजार रुपया बकाया था। माननीय मंत्री जी के प्रयास से सारा रुपया किसानों को मिल गया है इसके लिए मैं मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। आगे कोई मुसीबत न आने पाये इसके लिए भी 10 लाख रुपया अग्रिम भुगतान के लिए दिया गया है। मजदूरों की ग्रेचुइटी का जो 2 लाख 65 हजार रुपया रुका पड़ा था वह भी सरकार ने दे दिया है और

[श्री दामोदर शर्मा---]

हमारी सरकार मजदूरों की मदद कर रही है। चौधरी चरणसिंह तो मजदूरों के हितैषी कभी रहे ही नहीं। वे तो उन पर गलियां चलवाते रहे। (व्यवधान)

हमारे यहां एक मवाना शुगर फैक्टरी है जिसकी चीनी बहुत अच्छी होती है और मान्यवर, जहां तक ये जो माननीय मन्त्री जी ने (गन्ना विकास मन्त्री जी ने) अपना अनुदान रखा है, उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन इसलिए करता हूं कि जो हमारे यहां सखौती मिल है, जो बीमार मिल मानी जा रही थी, उसको भी हमारी सरकार ने चलाने का निर्णय लिया है, जिससे कि हमारे किसान अपना गन्ना सखौती को ही दें।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य अब आपका समय समाप्त।

श्री दामोदर शर्मा---

मान्यवर, गन्ना की तौल का जो कार्य है, जिसको ठेकेदारी प्रथा से चला रहे हैं, यह गन्ने की तौल का काम मिलों को दिया जाय, ताकि जो कर्मचारी में व्याप्त भ्रष्टाचार है, वह समाप्त किया जा सके। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं अन्त में आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया।

*श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, मैं इस प्रदेश की सोई हुई सरकार से किसानों के हित के लिए और इस प्रदेश के लिए और जो उपभोक्ता हैं, और जो इनकी शुगर पालिसी है, उसके हित के लिए मैं यह मांग करता हूं कि जब माननीय मन्त्री जी उत्तर दें तो यह स्पष्ट घोषणा करें कि अगले वर्ष के लिए गन्ने का जो भाव 85 रुपया करेंगे और जो खन्डसरी मिल हैं, उस पर भी आप घोषणा करें। पिछले वर्ष भी एक सरकार ने घोषणा की थी, उनका 6 रुपया कुंटल के भाव से, तो मान्यवर, उसका भी 20 रुपया कुंटल के भाव से घोषणा करें। आप स्पष्ट यह निर्णय लें कि 25 रुपये मिल रेट और 20 रुपये कुंटल क्शर का मूल्य सारे प्रदेश में एकस होगा, चाहे पूर्वी जिला या पश्चिमी जिला या बीच का इलाका हो। मान्यवर, आप देखें मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। जब 64 मिल यहां पर कार्य करती थीं, तो भी चीनी पैदा होती थी और इतने हाई रेट्स कभी नहीं हुए। बाजार में एक बार भी चीनी की किल्लत नहीं हुई। मान्यवर, मैं समझता हूं कि पिछले 20 साल के दौरान में कभी ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। मान्यवर, आप आज बताते हैं 39 मिलें प्राइवेट सेक्टर में चल रही हैं, बाकी 40-45 आप कहीं कोआपरेटिव सेक्टर में या कहीं पर रिसीवर बैठाले हैं या कंट्रोलर बैठे हैं या उसको निगम नहीं चला सकते थे, तो मान्यवर, आप आधी से ज्यादा मिलें आप स्वयं चला रहे हैं और आज चीनी की इतनी बड़ी किल्लत है। इस प्रदेश में क्राप्स का, अगर आज से 3 साल पहले किसान को ठीक रेट दिया जाता, जैसा ये कहते कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अगर उस वक्त ठीक रेट दिया जाता तो यह बात सही है कि आज यह स्थिति न होती। अभी माननीय हुकम सिंह जो अपना भाषण कर रहे थे, कटौती का प्रस्ताव मूव किया इन्होंने, तो मान्यवर, कहा कि चरण सिंह जी की पालिसी की वजह से आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह रेट मिला । यह तो बात सही है कि पिछले वर्ष अगर इतनी चीनी उत्पादन न होती और 20–22 का रेट न मिला होता,...

मैं श्री रामस्वरूप वर्मा जी की राय से इत्तिफाक करता हूं कि आपके चाहे कोई गन्ना शोध परिषद् हो या चाहे विभाग का अधिकारी हो, सबके सब बराबर सो रहे हैं चादर तानकर । अगर यह चाहते तो जो पिछले 2–3 सालों में गन्ना की हालत थी, उससे भी बेहतर किस्म प्रदेश में बोई जा सकती थी । पिछले 10–12 सालों से बराबर देख रहा हूं कि कहीं 130 किस्म क, 70, 54 और 11 8 की ही किस्में बोई जा रही हैं और कहीं 1158 या और दूसरी किस्में जो गन्ने की हैं बोई जा रही हैं । कहीं अगर किसी किस्म में कीड़ा लग गया तो उसने दूसरी किस्म बो दी । लेकिन अब आपने एक किस्म और बता दी 802 । इसके बारे में भी मान्यवर, कहना चाहूंगा कि इससे पहले एक मन्त्री महोदय थे, जिन्होंने यहां सदन में और दूसरी जगहों पर भी यही घोषणा की थी कि हीरा–मोती गेहूं बहुत अच्छा है, उसको बोइये तो मान्यवर में जसे कल ह.उस बन्द रहेगा, छुट्टी ह । तो उस रोज भी ऐसा ही था, छुट्टी थी, मैं घर न जाकर सीधे कानपुर चला गया और दुकानदार से कहा कि मुझे हीरा मोती गेहूं दे दें, तो उसने कहा कि 5 किलो से ज्यादा नहीं मिलेगा । तो हमने उससे कहा कि नहीं हमको 50 किलो चाहिए, खैर जान–पहचान वाला था, उसने दे दिया । मैंने उस हीरे–मोती को करीब सवा एकड़ में बो दिया । लेकिन मान्यवर, इतना खराब वह गेहूं निकला कि दूसरे गेहूं से भी उसका मुकाबला नहीं । बिल्कुल खराब गेहूं निकला । तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने 802 के बारे में घोषणा की, अगर वह भी उसी तरह निकला तो ज्वांइट जिम्मेदारी आपकी उस पर होगी । वैसे मान्यवर, गन्ना मिलने का कहीं सवाल ही नहीं उठता । जहां अगर आप रिलीज करें या दें अच्छे किसानों, ब्लाक प्रमुखों आदि को या यहां जो बैठें हैं तो आपके 802 को बोकर देखा जाय । दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं बीज के सीड नर्सरी के लिए । जो लोग सीड नर्सरी कराते हैं या जो मिल वाले या और अन्य लोग जो सीड नर्सरी करते हैं बीज के उत्पादन के लिए तो उनको आप 20 प्रतिशत सब्सीडी देते हैं । तो इतने प्रतिशत पर कोई गरीब किसान कैसे बोयेगा । तो मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है कि जहां 25.00 रु0 गन्ने के करें वहीं दो या तीन प्रतिशत प्रति क्विंटल के हिसाब से अलग से कर दें । एक बात और मान्यवर, बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले नारायणदत्त तिवारी जी यहां थे, इत्तिफाक से अब सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, उन्होंने अपने जमाने में उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान की संस्था बनाई थी जो मान्यवर, बड़ी अच्छी संस्था थी । लेकिन मन्त्री जी ने अपने भाषण के दौरान इसका जिक्र नहीं किया । इसलिए मैं आपसे पूंछना चाहता हूं कि क्या आपने उसे समाप्त कर दिया । इसके अलावा यदि आप दूसरे प्रदेशों की ओर देखें, महाराष्ट्र और तामिलनाडु को देखें जहां गन्ने का उत्पादन हमारे यहां से भी कम होता है । केरल को देखें जहां गन्ना बहुत कम पैदा होता है । लेकिन 50 प्रतिशत उस पर लागत लगाते हैं । लेकिन अगर आप इस पर सेंट–पर–सेंट खर्च करते तो भी इतना उत्पादन नहीं बढ़ा सकते चीनी का । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं नवाबगंज में एक भंसार क्षेत्र है, जहां की चीनी मिल के लिए सरकार ने लाइसेंस देने का निर्णय लिया था (शोर) इसलिए नवाबगंज के भंसार

[श्री चेतराम गंगवार--]

क्षेत्र में वहां की मिल को लाईसेंस देने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सतीश अजमानी--

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके साथ ही साथ मैं अपने गन्ना विकास मन्त्री जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट सदन में रखा और उसका मैं समर्थन करता हूं और गन्ना विकास मन्त्री जी को मुबारकबाद देता हूं। मैं एक ऐसी क्षेत्र से चुनकर आया हूं जहां पर तीन तरफ गन्ना ही गन्ना पैदा होता है और उस क्षेत्र में 2 शुगर मिले हैं हमारी एक कान्स्टीट्यूयेन्सी में, और तीसरी मिल के लिये कागजात हमारे मुख्य मन्त्री और मन्त्री जी ने सम्पूर्ण नगर में लगाने के लिये जहां 45 लाख रुपया जमा है कि किसानों का सारे कागजात अनुमति के लिये दिल्ली सरकार के पास भेजे हैं। मैं सरकार का और मुख्य मन्त्री का खासतौर से तथा गन्ना मंत्री का आभारी हूं कि उनके प्रयास से उस मिल का लाइसेन्स मिलने जा रहा है। हमारे क्षेत्र में तीनों तरफ गन्ना होता है और उसके एक तरफ जंगल है यह नेपाल का एरिया है। मैं गन्ने की स्थिति से बहुत अच्छी तरह अवगत हूं। जनता पार्टी के राज्य में जनता पार्टी के शासन में गन्ने की हालत क्या हुई थी। गन्ना जब खेतों से नहीं उठाया गया, मिल वालों ने नहीं लिया और गन्ने का रेट कम कर दिया गया तो किसान हाथ जोड़ता था कि हमारे गन्ने को खेत से उठा लीजिये और उतना पैसा दे दीजिये जितना गन्ने की छिलाई के लिये मैंने मजदूरों को दिये हैं। आज चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा बने हैं उस समय चौधरी चरण सिंह कहां थे जब लकड़ी का रेट 24 रुपये कर दिया गया और गन्ने का रेट डेढ़ रुपयः था। आज आप कहते हैं चीनी के रेट के लिये चीनी के जुम्मेदार जनता सरकार है नहीं जनता पार्टी हम कहते हैं जिम्मेदार है, आज की सरकार नहीं है। हमको यह बताये किस तरह से जिम्मेदार नहीं है जनता सरकार जब किसानों का गन्ना सड़कों पर पड़ा रहा, किसानों का गन्ना खेतों में जलाया गया और किसानों ने गन्ना पैदा करना कम कर दिया, जब गन्ना नहीं होगा शक्कर कहां से होगी। मान्यवर, यह तो ऐसी बात हुई कि चोरी की गई हमारे घर में हमारे शासन में 30 सालों में जो जोड़ा उसमें 30 महीने में चोरी की, डकैती की और जब पुलिस पकड़ने के लिए आई, तो उधर भाग गये। चीनी की किल्लत इन लोगों ने स्वयं तैयार किया और जुल्म में हम पकड़े गये। चोरी इन्होंने की जब दिक्कत आई और उस वक्त हम थे और हम पकड़े गये। चीनी की टोटली जिम्मेदारी इन लोगों पर है। मान्यवर, आज यह चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं कि चौधरी किसानों के मसीहा हैं उस समय कहां थे चौधरी साहब जब गन्ने के रेट की यह हालत हो रही थी गन्ने के किसान चौधरी साहब के पास दिल्ली गये और उन्होंने बताया तो उन्होंने टोपी उतारी और कह दिया कि यहां भी गन्ना बो दो किसने कहा था इतना गन्ना पैदा करने को, यह हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था। जैसा मंत्री जी ने बताया कि गन्ने के विकास के लिये नई-नई किस्म के बीज निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केमिकल्स के कारखाने लगाने पर भी विचार हो रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान निधासन की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां पर 3 शुगर मिलें हैं वहां पर भी एक केमिकल्स का कारखाना खोलने पर विचार करें, क्योंकि वहां पर शोरे की कमी नहीं है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ज्यादा परेशान न हों जिस तरह से

हमने अपने घर को बनाया था और आप उजाड़ कर ले गये, उसको हम फिर जल्दी ही सम्हाल लेंगे। जो शकर के रेट हैं वह जल्दी ही नीचे आयेंगे। अगर बढ़ते हैं तो उसकी परेशानी हम लोगों को हो, जिम्मेदारी हमारी है, जनता को जवाब हम देंगे, आप कतई परेशान न हों। मैं गन्ना मंत्री जी का आभारी हूं कि जिन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया।

*श्री बलबीर सिंह---

आपने मुझे मौका दिया बोलने का उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज जो मूल्य बढ़ रहा है, जनता के मुंह से यह आवाज आ रही है कि जो भ्रष्ट सरकार है, उनके लोगों ने करोड़ों रुपये हड़प करके चीनी को काले बाजार में बिकवाने का प्रयत्न किया है। जिस समय किसान ने गन्ना सप्लाई किया था, उस समय भाव 5 रुपये था और जब गन्ना चीनी की शक्ल में कैपिटलिस्ट के गोदामों में चला गई तो उसका भाव 12 रुपये हो गया। हो सकता है कि आगे चीनी मिले ही न रहें क्योंकि पालिसी इस प्रकार का है कि गन्ना बोने वाला परेशान और मिल मालिक खुशहाल हैं।

कुछ अमूल्य सुझाव दूंगा और आशा है कि आप विचार करके उन्हें कार्यान्वित करेंगे। गन्ना किसान आज हतोत्साहित हो गया है। खाद का रेट 33% बढ़ गया है। बीज उपलब्ध नहीं है, कर्जा 600 रुपये प्रति एकड़ उपलब्ध कराया जा रहा जब कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 12 सौ रुपये प्रति एकड़ देने का प्राविधान है लेकिन सरकार की गन्दी नीति के कारण वह 6 सौ कर्जा देंगे जिसमें केवल बीज ही उपलब्ध हो पाता है। इसलिए गन्ना किसानों ने नहीं बोया है और आइंदा भी अगर अच्छी तरह से पैसा उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह गन्ना बोयेंगे ही नहीं। गन्ना समितियां किसानों पर एक साथ 9 माह, 6 माह और साल भर का सूद लगा देती हैं। मेरा सुझाव है कि गन्ना किसानों पर सूद जितने दिन पैसा उनके पास रहे उतने दिन का ही लगाना चाहिये। अब आपने एक नया आदेश दिया है कि किसानों से गन्ना समितियां साढ़े 18 प्रतिशत ब्याज लिया करें जब कि यह स्पष्ट है कि गन्ना किसानों या अन्य कृषकों को ऋण 12% ब्याज पर ही उपलब्ध कराया जायेगा। अतः यह जो आदेश दिये गये हैं वापस लिए जाने चाहिये। बीज शोधन प्लान्ट लगभग सभी मिलों के पास हैं लेकिन सभी प्लान्ट खराब पड़े हैं। अगर कोई किसान अपना बीज शोधन कराने के लिए ले जाते हैं तो वह बीज शोधन के बजाय नष्ट हो जाता है। इस पर भी आप विचार करें। मैं समझता हूं कि आज जो प्रदेश के मालिक बने हैं वह कृषक हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, गन्ना मंत्री भी, राज्य मंत्री भी हैं, देखना है कि ये तीनों सिंह, सिंह बनकर काम करते हैं या गीदड़ ही बने रह जाते हैं। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि गन्ने के भुगतान के रूप में आज किसानों पर अरबों रुपया बाकी है। केवल रामपुर में डेढ़ करोड़ रुपया किसानों का मिलों पर बाकी है। लेकिन उसका अभी तक कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसान का ट्यूबवेल की बिजली का बिल दो दिन ही लेट जाता है तो दो प्रतिशत के हिसाब से ब्याज आता है। लेकिन हमारे यहां किसानों का रुपया पड़ा हुआ है उसको ब्याज दिलवाने का कोई प्राविधान नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलबीर सिंह--]

हमारा बिजली का कनेक्शन कट जाता है। समाजवाद का नारा देने वाले यह कांग्रेसी हैं, इनकी आत्माएं जो मर चुकी हैं, आज शहर में 24 घंटे बिजली दी जाती है और किसानों को पांच घंटे और वह भी पांच घंटे में बीस बार ट्रिप करता है। शर्म से सर झुक जाना चाहिये। कहते हैं कि जनता सरकार ने व्यवस्था नहीं की। उसने कम से कम 12 घंटे तो बिजली दी थी किसानों को।

शुगर कारपोरेशन की जो मिलें दी हैं लगभग ठप हैं। मेरा मत है सभी शुगर मिलें सहकारी संस्थाओं को दे दी जानी चाहिए। उसमें सभी किसानों को सदस्य होना चाहिए जिससे किसान अपनी मिल समझें। गन्ने का मूल्य, कांग्रेस सरकार के मंत्री श्री रफी अहमद खां ने कहा था एक कमीशन बना, गन्ने का मूल्य जितने रुपये मन में चीनी हो उतने आने मन गन्ने का मूल्य होना चाहिये। आज चीनी का मूल्य लेवी अदा करने पर 4 रुपये 50 पैसे किलो बनता है। इस फार्मूले के अनुसार गन्ने का मूल्य 29 रुपये क्विंटल आता है। मैं चाहता हूं कि आप उस फार्मूले को कार्यान्वित करें और किसानों की रक्षा करें। मैं आशा करूंगा कि आप इस पर विचार करके गन्ने का मूल्य 29 रुपये क्विंटल करेंगे। यह भी दुःख की बात है कि आज गन्ना मिलों के चलने का मौका आया है, गन्ने का रेट घोषित नहीं हुआ है। धान का रेट घोषित नहीं हुआ है। आपसे बंगाल और मद्रास की सरकार अच्छी है जो कांग्रेस की नहीं हैं, उन्होंने अपना मूल्य घोषित कर दिया है और कहा है कि स्टेट कारपोरेशन, जितना भी धान किसान पैदा करेंगे, खरीदेगा। इसके अतिरिक्त आप राजस्व मंत्री भी हैं। कृषि से आपका सम्बन्ध है। आपकी आत्मा किसानों के साथ है। पर कुर्सी पर आने के बाद वह आत्मा मर गई है। किसानों का संरक्षण न कर अपने दिल की बात मान कर आप कैपिटलिस्टों के हाथ में खेलने जा रहे हैं। आप सभी मिलों को पहली अक्तूबर से चलाने का प्राविधान करें। अक्तूबर सोइंग होने जा रही है, किसान कह रहा है कि उसका भाग्य आपके हाथ में है। किसान के गन्ने का मूल्य घोषित करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय विरोधी दल के नेता ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*श्री राजकुमार राय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं आपका, कि मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। माननीय गन्ना विकास मंत्री ने, जो बजट सदन के समक्ष पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। लेकिन जहां माननीय गन्ना विकास मंत्री ने गन्ने के उत्पादन, उसके वितरण के नाना प्रकार से उसके विकास के उपाय बताये हैं कुछ और भी बातें हैं जिनकी तरफ मैं माननीय गन्ना मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं, मान्यवर, गन्ने की समस्या किसान की समस्या है श्रम की समस्या है, मशीन की समस्या है और सबसे ज्यादा गांवों की समस्या है। चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादन का जो धंधा है इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि पिछले 2-3 साल में नष्ट भ्रष्ट और चौपट हो गया है। कुछ इस किस्म की नीति जनता और लोक दल सरकारों ने निर्धारित की कि आज गन्ना किसान की मुसीबत बढ़ गयी है। मैं आपके माध्यम से गन्ना विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस मंत्रालय का काम अत्यन्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कठोर हैं और आपको मजबूती के साथ कदम उठाने पड़ेंगे । मान्यवर, आपका भी सम्बन्ध गन्ने से है, चीनी और चीनी मजदूरों से है । यह समस्या ऐसी है कि सारा सदन इसे जानता है । मैं प्रदेश के पूर्वांचल की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, देवरिया में 14 में लगभग 8, गोरखपुर में 5 में लगभग 4, बस्ती में 5 में लगभग 4 चीनी मिलें जर्जर और लंगड़ी पड़ी हुयी हैं । इसी तरह से सहकारी क्षेत्र की गाजीपुर, बलिया, रसड़ा और आजमगढ़ की सठियांव में, जो सहकारी चीनी मिल खोली गयी हैं, मैं समझता हूं कि जिस नीयत से यह मिलें खोली गयीं थीं वह अपना काम नहीं कर सकी हैं ।

मैं निवेदन करूंगा कि इनके लिये विशेष बजट दिया जाय, विशेष व्यय दिया जाय, अगर आप नारमल तरीके से इन चीनी मिलों को देगें तो इनका कल्याण संभव नहीं है । मैं सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि जो सहकारी चीनी मिल आजमगढ़ के सठियांव और रसड़ा की लंगड़ी चीनी मिलें, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर में आप हिम्मत करके दो और ढाई करोड़ रुपये का बजट एलाट करें । अगर नारमल तरीके से, घुने अनाज में घुना अनाज डाल दें तो उसी तरह अगर थोड़ा पैसा इनको दिया जायगा तो फिर थोड़े समय के लिये इनका खर्च चल जायगा लेकिन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आप पैसा देगें उसका एक इंच भी लाभ मिलने वाला नहीं है । मिल हर साल कुछ न कुछ, 50-60 लाख रुपये खाती जायंगी । उसका कोई खास लाभ नहीं होगा । मैं जिस इलाके से आता हूं वहां बांगर क्षेत्र भी है, वहां गन्ना विकास केन्द्र भी है और जिला गन्ना विकास अधिकारी भी हैं । लेकिन हमारे जिले में उत्पादन और विकास का क्या काम होता है यह मैं समझ नहीं पाता हूं । न वहां गन्ना कृषकों के लिये सड़कों की व्यवस्था है, न उर्वरक मिलता है, न टायर गाड़ियां हैं, किसी किस्म की व्यवस्था नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी जगह पर जहां गन्ना किसान बोना चाहता वहां पर उसको सुविधायें दी जायं । जो कुछ उसको मिलना है उसको निश्चित तौर से मिल जाय । अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिये जायं कि किसानों के गन्ने की कितनी पैदावार है उसका एसेसमेंट कर लें और उनसे गन्ना उसके आधार पर ले लें । यह अच्छी बात नहीं है कि जो किसान जाड़ा और बरसात और तेज धूप में गन्ने का उत्पादन करता है, और जब गन्ना पैदा हो जाय तो वह ट्रक वाले के यहां जाय और ट्रक पर गन्ना ले जाकर मिल में 2-3 दिन खड़ा रहे । इसका लाभ न तो गन्ना किसान को होता है और न सरकार को होता है, गन्ने वाले को इतना भाड़ा ट्रक वाले को देना पड़ता है कि उसको कुछ भी लाभ नहीं होता है ।

इसलिये यदि आप चाहते हैं कि गन्ने का विकास हो तो सबसे पहले आपको तय करना है कि संरक्षण किसानों को देना होगा । आपके अधिकारी खेतों में जाकर एसेसमेन्ट करें ताकि व्यर्थ की जो परेशानी गन्ना किसानों की होती है वह न हो । मान्यवर, गन्ना किसानों को खाद की समस्या है । इसलिये मंत्री जी से हम चाहेंगे कि मुख्य मंत्री से परामर्श करके गन्ना किसानों को कुछ सब्सीडी दिलायें जिससे उनकी हालत ठीक हो सके । गन्ने की हालत खराब हो गयी चूंकि गन्ना उत्पादकों को उसकी कीमत ठीक नहीं मिली थी । मान्यवर, पश्चिमी जिलों की कहानी भूली नहीं होगी कि उन लोगों का नारा था कि जहां कि गन्ना खेतों में सूख रहा था और उनको दाम नहीं मिल रहे थे तो वह कहते थे कि--"गन्ना बिके

[श्री राजकुमार राय—]

पौने छः, बोलो बेटा चरण सिंह की जय ।" यह नारा पश्चिमी जिलों से हमारे पूर्वी जिलों में बढ़ता चला गया ।

मान्यवर, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आजमगढ़ में घोसी तहसील में एक गन्ना मिल की स्वीकृति मिल गयी थी लेकिन जनता सरकार ने उसको लाइसेंस नहीं दिया, इसलिये मान्यवर, उस पिछड़े इलाके के लिये वहां उस गन्ने की मिल की सरकार स्वीकृति दे दे ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में कहना चाहता हुं कि चीनी उद्योग इस प्रदेश की आर्थिक रीढ़ है और यदि इस उद्योग की उपेक्षा की गयी और जैसा कि किया जा रहा है इन 33 सालों में, तो इस प्रदेश की रीढ़ टूट जायगी । मान्यवर, गन्ना कैश क्राप है और इसके उत्पादन में 2–3 फैक्टर काम करते हैं—गन्ना किसान, मजदूर, ब्यूरोक्रेसी, गन्ना विभाग और यह सरकार । यह अजीब बात है कि गन्ना किसान पैदा करता है लेकिन भाव उसका तय करने के लिय सरकार और केन यूनियन आ जाती हैं । गन्ना किस रेट पर और किसको बेचा जायेगा यह किसान को नहीं तय करना है बल्कि इसको भारत सरकार और केन यूनियन तय करती हैं और कुछ नहीं तो डंडे मारने का काम सरकार करती है । इसलिये गन्ना किसानों की स्थिति निरीह हो गई है । इसलिय मेरा निवेदन है कि सरकार को गन्ना किसानों को अपनी किस्मत पर छोड़ देना चाहिये और वह खुद तय करे कि गन्ना किसको देना है और किस भाव पर देना है । वह पहले विवश था लेकिन अब नहीं है । इसीलिये गन्ना किसानों की विवशता को दूर करने के लिये 1948 में मुहम्मद रफी किदवई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने तय किया था कि जितने रुपये मन चीनी बिकेगी उतने आने मन गन्ना बिकेगा । सरकारी आंकड़ों को देखें ।

(इस समय 3 बजकर 49 मिनट अपराह्न, श्री बल्देव सिंह आर्य पीठासीन हुए ।)

1948–49 में 30 रुपया मन चीनी बिकती थी और एक रुपये 14 आने गन्ने का दाम मिलता था किसान को । उसके बाद गन्ना किसान, गन्ना उद्योग के सम्बन्ध में शासन की कोई नीति नहीं रही । मैं चुनौती देना चाहता हूं । एक प्राइस फिक्सींग फारमूला बनाया गया । रिकवरी पर गन्ने का दाम तय होगा । वही किसान एक मिल को ज्यादा गन्ना देता है तो उसे ज्यादा पैसा मिलता है और यदि वही किसान एक मिल को कम गन्ना देता है तो किसान पर रिकवरी क्यों । गन्ना मंत्री जी यह गन्ना विकास नहीं गन्ना विनाश विभाग है । क्योंकि इस विभाग के द्वारा एकरेज नहीं बढ़ती, गन्ना किसानों को कोई इनसेन्टिव नहीं दिया जाता, कम से कम गारन्टी उत्पादन के लिए क्यों नहीं दी जा सकती । इस विभाग की क्या आवश्यकता है ।

मैं कहना चाहता हूं कि सामुदायिक विकास की तरह एक ए० डी० ओ० बनाया जाय । इस विभाग का पैसा कहां जा रहा है । यह डेम आउट हो रहा है । गन्ना किसान के हित में, उत्पादन बढ़ाने के लिए, यह पैसा खर्च नहीं हो रहा है । मैं जानता हूं कि आप की नश कमजोर क्यों है । आपका रिश्ता कहां है । न केवल इस प्रदेश का यह एकमात्र उद्योग है बल्कि हिन्दुस्तान की यह एक बहुत बड़ी इण्डस्ट्री है । मिल आनर एसोसिएशन और आप की सरकार के पुराने रिस्ते हैं और उसी रिस्ते के कारण समय–समय पर सारे आपको मदद करते हैं और आप को उन्होंने रिश्ते से बांध दिया है । मैं कहना चाहता हूं जनता पार्टी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की दुहाई आप देते हैं लेकिन जिस दिन जनता पार्टी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में 55 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी था और आज आप इसी कुर्सी पर बैठे हैं। 1 करोड़ 50 लाख रुपया हो गया है।

जनता पार्टी की सरकार ने तय किया था कि अगर गन्ना किसान का पैसा रह जायगा तो उस पर सूद उनको मिलेगा। आपने साढ़े अट्ठारह प्रतिशत निकाला है जो 32 प्रतिशत सूद बैठता है। आप की कोई नीति नहीं है। बदकिस्मती यह है कि जब किसान इस कुर्सी पर बैठता है पता नहीं वह कहां खो जाता है। वीरेन्द्र वर्मा साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी के सदस्य गेंदा सिंह जी थे। सर्वसम्मति से कांग्रेस का फैसला है। उस कमेटी का फैसला था कि चीनी मिलों को तुरन्त सरकार के हवाले कर दिया जाना चाहिये, टोटल टेक ओवर। कन्ट्रोलर, डिप्टी कन्ट्रोलर, कारपोरेशन, यह सब एडजस्टमेन्ट का तरीका है। जो हमारे वफादारा ब्यूरोक्रेट हैं उनको एडजेस्ट करना है। मेरी मांग है कि अगर शुगर इण्डस्ट्री को बदलना है तो निश्चित रूप से उसका कम्प्लीट टेक ओवर होना चाहिये, राष्ट्रीयकरण होना चाहिये इसका और कोई विकल्प नहीं है। जितना शोषण चीनी उद्योग का उद्योगपतियों ने किया है मेरा दावा है उतना शोषण किसी उद्योगपति ने किसी उद्योग का नहीं किया है। मिलों के मजदूरों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री जी इस सम्बन्ध में एक नया वेज बोर्ड ले आयें। मजदूरों में अन्तिम कतरा खून का रह गया है, वह मिल मालिकों ने ले लिया है। अब उनके अन्दर काम करने की शक्ति नहीं रह गई है।

गन्ने के विकास के नाम पर मैं कहना चाहता हूं कौन सी वैराइटी आपने निकाली है महाराष्ट्र की कई मिलों को देखा। देखकर तबियत खुश हो गयी। किसान काम में लगा हुआ है। उसको खाद, बिजली तथा पानी की चिन्ता नहीं है। कब गन्ना मिल में जायगा इसकी उसे चिन्ता नहीं है। लेकिन यहां गन्ना किसान अन्त तक चिन्तित रहता है उसका गन्ना कब मिल को जायगा। जब तक कोई नीति ऐसी इजाद नहीं होगी जिससे गन्ना किसान अपने को सुरक्षित माने तब तक कोई भी गन्ने का विकास संभव नहीं है जनता पार्टी की सरकार में 13 रुपये 25 पैसा गन्ना किसान को दिया गया और 2 रुपये 25 पैसे चीनी बिकी। उसी रेश्यो में आज आप गन्ने के दाम किसान को दे दें। लोक दल की सरकार अथवा जनता पार्टी की सरकार ने यह किया और वह किया इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं मंत्री महोदय का बड़ा सम्मान करता हूं लेकिन प्रशासन के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि इससे बड़ी इम्पोर्टेन्ट सरकार दूसरी हो नहीं सकती। आज तक आपने गन्ने के बारे में कोई सिफारिश केन्द्र को नहीं भेजी। उत्तर प्रदेश में 20 लाख परिवार गन्ना किसान के रहते हैं लेकिन कोई नियंत्रण आप चीनी के सम्बन्ध में प्रदेश में नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं प्राइसेज कहां तक जायेंगी ? मिल मालिक आपसे बात नहीं कर रहा है। मैं चेतावनी दिये देता हूं अगर गन्ने की कीमत 25 रुपये से कम हुई तो उत्तर प्रदेश का किसान गन्ना मिलों को गन्ना नहीं देगा। ज्यादा दिन तक गन्ने का किसान ऐसे शासन को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगर आप इस मामले में गंभीर हैं तो

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---]

आप रिसर्च सेन्टर कायम कीजिये पूर्वी जिलों में । स्वर्गीय गेंदा सिह जी ने स्थापित की थी । नारायण दत्त तिवारी ने केन समिति बनाई थी ।

(व्यवधान)

नाम आप संजय गांधी रिसर्च सेन्टर रखें या कोई और नाम से हमें कोई मतलब नहीं है लेकिन रिसर्च का काम तो शुरू कीजिये । सबसे ज्यादा गंभीर तथा नामुनासिब बात यह है कि एक ही प्रदेश में गन्ने के दो रेट न हों । इतनी उदारता आप बरतिये और यह घोषणा कीजिये कि सारे प्रदेश के गन्ना किसान को एक रेट पर कीमत दी जायेगी चाहे वह देवरिया, गोरखपुर का हो अथवा सहारनपुर और मेरठ का हो । कहा गया कि पूर्व के गन्ने में रिकवरी कम होती है । यह गलत है । देखने में यह आया है कि पूर्व के गन्ने में ज्यादा रिकवरी मिली और पश्चिम के गन्ने में कम रिकवरी मिली । मेरा अनुरोध है कि यह जो कालिमा शासन पर लगी हुई है कि प्रदेश में दो रेट गन्ने के काश्तकार को दिये जायं इसे खत्म करके एक ही प्रकार का रेट गन्ने के सब काश्तकारों को दिया जायगा । इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव सदन में पेश है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

(4 बजे अपराह्न)

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र---

मान्यवर, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी द्वारा अनुदान के सम्बन्ध में जो बजट पेश किया गया है उसका स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का तहेदिल से विरोध करता हूं । मान्यवर, मैं सर्वप्रथम अपने मित्रों को पूर्वांचल की तरफ ले जाना चाहता हूं और उसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान भी उस तरफ दिलाना चाहता हूं । पूर्वांचल में स्थित देवरिया और गोरखपुर के किसानों की दास्तान मैं आपको सुनना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वहां के गरीब, मजदूर, किसान जो आज मर मर कर गन्ने का उत्पादन करते हैं उनको आप अपने दिल से और ईमानदारी से देखने की कोशिश करें । हमारे पूर्वांचल में देवरिया और गोरखपुर में शुगर फैक्ट्रियों का अम्बार लगा हुआ है और किसानों को जीने के लिए केवल एक माध्यम उनके पास गन्ना ही है । लेकिन गन्ने के साथ जो खिलवाड़ वर्षों से होता चला आ रहा है मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि बीती हुई कहानी को कम से कम आज दोहराने की कोशिश न की जाय । वहां के किसानों के पास गन्ने के अलावा और कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर वे अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें और शादी से लेकर मरणोपरान्त तक वे इसी गन्ने का उपयोग करते हैं । मान्यवर, यह सही है और जो सही है उसको मानने के लिये हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये । जनता पार्टी का नाम लेने पर या उसकी सरकार की बात कहने पर हमारे सम्मानित सदस्य थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं । लेकिन हमारी मजबूरियां हैं उनकी कहानी को दुहराये बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं । इसलिए जो स्थिति आज उत्पन्न हो गई है उसका मुख्य कारण यह था कि आज उसकी स्थिति इतनी दुर्बल और बरबादी की हो गई है । अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे । हमें जरा भी संदेह नहीं है कि किसानों के नेता कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह किसानों के हम दर्द हैं । लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि गन्ने की हालत मेरठ में और शाहजहांपुर में तथा बुंदेलखन्ड में जो देखने को

मिली और जिस गन्ने की कीमत देवरिया में 11 रुपये मिली ठीक उसी गन्ने की कीमत मेरठ में ढाई रुपया मिली । जब गन्ने की स्थिति आप यह कर देंगे तो फिर आप चीनी के लिए क्यों चिल्ला रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत लोग हैं कितने प्रतिशत गावों में बसने वाले लोग हैं, कितने किसान, मजदूर, गरीब लोग हैं जो चीनी खाते हैं ? शहरों में बैठे हुये सेठ-साहूकार, आफिसों में बैठे हुये सचिव लोग, मंत्री लोग तथा अपोजीशन के लीडर ही चीनी खाते हैं और तब कहते हैं कि चीनी मंहगी हो गयी है । आपने एक बार भी नहीं कहा कि गन्ना सस्ता हो गया है ।

आपने एक बार भी नहीं कहा कि गेहूं सस्ता हो गया है । मैं चाहता हूं कि चीनी इससे भी महंगी हो, चीनो की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं चाहता हूं कि गन्ने के किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिये । अगर सही रूप में देखा जाय चाहे इधर के लोग हों या सरकार के लोग हों जो किसान के साथ हमदर्दी रखते हैं निश्चित रूप से चाहेंगे कि किसान को उचित मूल्य मिलना चाहिये ।

(व्यवधान)

हम उनकी जैसी कल्पना नहीं करते हैं जो सिर्फ कागज में प्लान बनाते हैं । आज यह जरूरी है कि गन्ने की कीमत 19 और 20 रुपये होनी चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि गन्ने के लिये हमारी सरकार ने क्या नहीं किया । जितनी बढ़िया प्लानिंग हमने की थी जिसको पिछले तीन सालों में नेश्तनाबूत कर दिया, मिटा दिया आज उसे पुनः शुरू करना हो रहा है । मैं आंकड़ों में नहीं जाता क्योंकि हर आदमी के पास वह मौजूद हैं क्योंकि जो लिटरेचर बटा है उसमें वह दिये हैं । लेकिन मैं यह बता देना आवश्यक समझता हूं कि यहां पर कोयम्बटूर का नाम लिया जाता है कि वहां बहुत अच्छा बीज होता है, लेकिन हमारे यहां स्वर्गीय गेंदा सिंह जी ने अपने अथक प्रयास से किसानों का सही नेता होने के नाते सेवरही में गन्ना अनुसंधान केन्द्र खोला है । मैं जानता हूं वहां पर बहुत अच्छा काम हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, अभी हमारे हुकुम सिंह जी ने कहा कि केन कमिश्नर ऐसा होना चाहिये जिसे गन्ने का कम से कम जांच हो । मैं चाहता हूं कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रशासन को सुचारु रूप देने के लिए निश्चित रूप से उस स्थान पर आई० ए० एस० होना चाहिये जिससे वह कार्य का संचालन कर सके ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, जब से यह सरकार सत्ता में आई इस सरकार की गलत और निकम्मी नीतियों से सारे मुल्कों से मिठास लुप्त सा हो गया और कड़ुवाहट बढ़ गयी

[श्री कुंवर सिंह नेगी—]

है । मुल्क की बदकिस्मती से यदि यह सरकार कुछ समय और रही तो लगता है कि लोग चीनी का स्वाद भी भूल जायेंगे । इस चीनी के भयंकर संकट से सारा देश और प्रदेश परेशान है ही परन्तु हमारा पर्वतीय अंचल इस संकट से भयंकररूप से त्रस्त है । हमारे पर्वतीय क्षेत्र में चीनी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है और जो होती भी है वह वहां के गरीब आदमियों की क्रयशक्ति से बाहर होती है । हमारे जनपद चमोली में और सर्वत्र पहाड़ों में वहां की जलवायु के अनुसार चीनी अधिक मात्रा में प्रयोग होती है, वहां लोगों को अधिक चीनी की आवश्यकता होती है परन्तु सरकार द्वारा चीनी की उपलब्धता सस्ते दामों पर नहीं की जाती है ।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पर्वतीय अंचल में आप सस्ते दामों में चीनी उपलब्ध कराने की कृपा करें । आज सरकार की ओर से कहा जाता है कि चीनी का काफी बड़ा भंडार हमारे पास है और सस्ते दामों पर आप लोगों को चीनी मिल जायेगी । सरकार की नीयत अच्छी है, मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी भी इस बात को चाहते हैं, लेकिन वह ऐसा करने में नाकामयाब हैं, असमर्थ हैं । क्यों असमर्थ हैं ? क्योंकि वे चीनी मिल मालिकों के हाथ की कठपुतली बन कर रह गये हैं, यह सरकार चीनी मिल मालिकों के हाथ की कठपुतली है, जिसकी नकेल चीनी उद्योगपतियों के हाथ में है । यह सरकार चीनी मिल मालिकों की कृपा से यहां बैठी है और तक तक यहां बैठी रहेगी जब तक चीनी मिल मालिक और शराब के कारखानों के मलिक इनको यहां पर चाहेंगे । ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं । मैं मानता हूं कि

(व्यवधान)

ये उनके चाकर ही नहीं बन्धुआ मजदूर हैं ।

चीनी उद्योग हमारे प्रदेश का प्रमुख उद्योग है, परन्तु यह उद्योग आज हमारे प्रदेश में एक अभिशाप बनकर रह गया है, इनको राजनीति ने बिलकुल दूषित कर दिया है । इसी उद्योग के बल पर यहां ऐसी निकम्मी सरकार बनती है और इसी वजह के उपभोक्ताओं को इतनी परेशानी होती है, छोटे उद्योग पनप नहीं पाते हैं, किसान का शोषण होता है और मजदूरों को अपनी मजदूरी नहीं मिलती है । यह समाजवादी सरकार यह नहीं समझती है कि यहां पर हमेशा पसीने पर पैसा हावी रहा है और रह रहा है । तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि यदि वह राजनीति का हित, गरीबों का हित और उपभोक्ताओं का हित चाहते हैं, तो तुरन्त इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दें । परन्तु राष्ट्रीयकरण से यह सरकार हमेशा घबड़ाती है । चुनाव के कुछ दिन पहले यह सरकार राष्ट्रीयकरण की धमकी दे देकर उन पर दबाव डालती है, और सौदा पटने पर राष्ट्रीयकरण टल जाता है और फिर केवल चुनाव के कुछ दिन पूर्व ही राष्ट्रीयकरण की बात याद आती है । मैंने अभी सत्तापक्ष के सदस्यों का भाषण सुना, सभी चीनी उद्योगपतियों की पैरवी बढ़-चढ़ कर रहे थे । आप ऐसी नीति बनाएं, जिससे किसानों, मजदूरों और उपभोक्ताओं सभी को फायदा हो ।

श्री मुईद अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे गन्ना बजट पर जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आज हमारे गन्ना विकास मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके समर्थन में मुझे कुछ कहना है । आज गन्ना विभाग इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग बन गया है । यों तो पहले भी

था, किन्तु इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बन गया है और इसकी जर्जर अवस्था हो गई है, इसके कारण मैं यदि इसका इतिहास उठाकर देखा जाए, तो हमारे सामने बैठे हुए सदस्य लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज, आज से 3-4 साल पहले 77 के पहले गन्ने का जो भी मूल्य होता था, जो भी सपोर्ट-मूल्य तय किया जाता था वह गन्ना किसान को दिया जाता है। लेकिन 77, 78 व 79 में गन्ना किसानों को क्या दिया गया है, यह आप आंकड़े उठाकर देख लें। यह कोई भाषण की चीज नहीं है। लिखित आंकड़े सबके सामने हैं।

(इस समय 4 बजकर 13 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हमारे गन्ना विकास मन्त्री जी ने बताया कि जो गन्ना वर्ष 1978-79 में बोया गया था वह घट कर वर्ष 1979-80 में सबसे कम हो गया अर्थात् 9 लाख हेक्टेयर के करीब पहुंच गया। उससे जो चीनी पैदा होती थी वह 14.63 लाख टन होती थी लेकिन वह भी घट कर 9.96 लाख टन हो गयी। वह जो कमी हुयी है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। उस समय यह नारा लगता था कि "चरण सिंह तेरा किया यकीन, गन्ना बिक गया पौने तीन"।

मान्यवर, मैंने स्वयं अपने जनपद में देखा है कि लोग गन्ना ले जाते थे लेकिन ऋशर वाले और मिल वाले उसको लेने को तैयार नहीं होते थे। वे कहते थे कि दो या ढाई रुपये प्रति क्वन्टल के हिसाब से गन्ना अगर छोड़ना चाहो छोड़ दो और जो कीमत उनको मिलती थी उसका हस्र न पूछिए। यह स्थिति आपने गन्ने की पैदा की थी। इसके बाद आप चीनी की कीमत पर बहुत जोर दे रहे हैं। यह बात सही है कि चीनी नहीं मिल रही है, हमको उसे इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन इस सबका कारण यह है कि अपने किसान की रीढ़ को तोड़ दिया है, 3 साल तक उन्हें गन्ने को जलाना पड़ा है उसे बोया नहीं जिसके कारण आज यह परिणाम है कि चीनी नहीं मिल रही है।

उधर से 25 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत की बात की जा रही है कि इतना उनको समर्थन मूल्य दिया जाय लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर गन्ने की कीमत इतनी दी जाती है तो चीनी का क्या भाव होगा, शायद इसका आपको अन्दाजा नहीं है। जब यहां पर चौधरी चरण सिंह, जो किसान के बेटे हैं, मुख्य मन्त्री थे, उनसे कहा गया कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय लेकिन जब वीरेन्द्र वर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी लेकिन आज तक पता नहीं उस पर क्या हुआ। चौधरी चरण सिंह मिल मालिकों से पैसा वसूलते हैं और वे राष्ट्रीयकरण की तलवार दिखाकर अपनी तिजोरी को भरते हैं, अपनी पूंजी को भरते थे, यह उनकी इस सम्बन्ध में नीति रही है।

माननीय, हमारे जनपद सुल्तानपुर, पूर्वी जिलों में सबसे पिछड़ा और गरीब जिला है। वहां पर एक सहकारी चीनी मिल कायम की गयी थी। तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री नारायण दत्त तिवारी ने सुल्तानपुर शहर से 2 किलोमीटर दूर चीनी मिल की स्थापना की घोषणा भी की थी और उसके बनने का शिलान्यास भी कर आये थे लेकिन वह आज तक नहीं बन पायी। हमारे जिले के किसानों ने उसके लिए वर्ष 1974 से 1977 तक 18 लाख रुपया भी जमा किया था लेकिन उसके बाद भी वहां पर चीनी मिल नहीं खुली है। वहां पर एक कार्यालय भी कायम है, पर

[श्री मुईद अहमद--]

वहां सहकारी मिल अभी तक नहीं खुली, कारण यह रहा कि माननीय राम नरेश यादव जी कभी उसे अपने यहां ले जाना चाहते थे तो कभी कहीं और। इसी में वह नहीं खुल सकी।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

श्री धर्मन सिंह--

मान्यवर.....

श्री मुईद अहमद--

मैं इतना और कहना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी जितनी भी उदार नीति अपना सकें उसे अपना कर गन्ना किसानों को अधिक से अधिक राहत देने की कृपा करें।

*श्री धर्मन सिंह--

मान्यवर, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। गन्ना हमारे प्रदेश की प्रमुख फसल है और चीनी उद्योग प्रदेश का संगठित उद्योग। माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि उनके अनुदानों का समर्थन किया जा सके। मैं अब कुछ सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि मन्त्री जी ने यह आशा की थी कुछ ठोस सुझाव दिये जायें।

गन्ना विकास का वर्तमान स्वरूप धीरे-धीरे बढ़ा है। शुरू में चीनी मिलें सीधे गन्ना किसानों से लेती थीं, इससे गन्ना किसानों का शोषण होता था, उसके बाद गन्ना विकास समिति बनायी गयी और गन्ने के मूल्य का भुगतान भी इन्हीं के द्वारा होने लगा, यही खरीद भी करने लगीं और आवश्यकता महसूस हुई तो आगे चल कर गन्ना विकास परिषद् स्थापित की गयी जिसके जिम्मे अच्छा बीज उपलब्ध करने, खाद की व्यवस्था करने, कीट नाशक दवाओं का प्रबन्ध करने और सड़कें आदि बनवाने का भी कम सौंपा गया। लेकिन समय बीतने के बाद इस सबसे सुधार होने के बजाय इसका विकृत रूप होता गया और किसानों का हित करने में यह परिषद् असमर्थ हो गयी। गन्ना समितियों के चुनाव का जो वर्तमान तरीका है वह बड़ा ही दोषपूर्ण और त्रुटिपूर्ण है। पिछले मन्त्री महोदय ने अनजाने में एक प्रस्ताव पास करा लिया जिससे यह हुआ कि जितने भी प्रारम्भिक सदस्य होंगे सभी संचालक मंडल का चुनाव करेंगे। जहां इन सदस्यों की संख्या कम है वहां तो यह सम्भव है, पर हमारे क्षेत्र में, धामपुर सहकारी समिति में जहां 25 हजार सदस्य हैं वहां पर सम्भव कैसे हो सकता है? कैसे 25 हजार सदस्य एक साथ मिल कर चुनाव करेंगे? ऐसा कौन सा स्थान होगा जहां पर इतने लोग चुनाव कर सकेंगे? जब विधान सभा या लोक सभा का चुनाव होता है तो 800, 900 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाता है और यह व्यवस्था की जाती है कि वोटरों को अधिक दूर न जाना पड़े। यहां इस सम्बन्ध में 30-40 मील दूर से आयेंगे और 25 हजार लोग एक जगह बैठकर वोट करेंगे? यह कैसे सम्भव है? इसलिए यह चुनाव का तरीका बहुत ही त्रुटिपूर्ण है और अवैधानिक भी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गन्ना ऐक्ट में लिखा है कि संचालक मंडल की सदस्यता के लिये वह व्यक्ति खड़ा हो सकता है जो गन्ना प्रतिनिधि हो। जो साधारण वोटर है वह उस पद के लिये खड़ा हो सकता है, यह दुरंगी नीतियां किस तरह से कानूनन बाध्य है ? माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें। मैं यह मांग करता हूं और सुझाव देता हूं कि पुराना तरीका बहाल करना है। गन्ना समिति में जो गन्ना प्रतिनिधि आते हैं, उनके द्वारा चुनाव होना चाहिए। गन्ना समिति के जो अधिकार सीमित कर दिये गये हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें बहाल किया जाय। आज एक पर्ची पर गन्ना सप्लाई के लिए गन्ना लिया जाता है, उसकी तारीख नहीं बदली जाती है। किसान की कितनी आर्थिक स्थिति खराब है, कितना विवश रहता है, कभी-कभी उसके सामने ऐसी स्थिति आती है जब उसके बच्चे की फीस देनी है, कोई बीमार हो जाता है, तब तुरन्त पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन जो नियम बना हुआ है, उसके अनुसार उसको भुगतान नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय हो गया है।

श्री थम्मन सिंह--

मान्यवर, एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में कादराबाद एक जगह है, वहां पर एक चीनी मिल लगाई जाय। मान्यवर, वहां पर एक नैनीताल जिले में एक गन्ना मिल है, उसमें गन्ना ऐरा नहीं जा सकता है। इसलिए मेरी मांग है कि कादराबाद में एक मिल लगाई जाय।

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, श्री हुकुम सिंह जी का कटौती का प्रस्ताव मैंने गड़े विवेक और गम्भीरता से सुना। मान्यवर, उन्होंने कुछ ऐसी बात कहीं जो शासन की नीति से संबंधित है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं सारे सदन से आपके माध्यम से, कि हमारे बजट में कोई नीति स्पष्ट नहीं है गन्ने की उन्होंने ऐसा कहा, मेरा इतना निवेदन है कि उसको गहराई से अध्ययन करें जो सामग्री यहां पर वितरित की गयी है, उससे किसानों का हित, उद्योग का हित सुरक्षित और गन्ने के विकास के बारे में सुनिश्चित किया गया है और अध्ययन कर उद्धृत किया गया है, लिखा गया है। मान्यवर, एक प्रश्न उठाया गया, जो खांडसारी से सम्बन्धित है, जिसमें खड़ा कोल्हू और क्रशर का सवाल उठाया गया है। यहां पर सदन में जब बजट विचाराधीन होता है, मान्यवर, उस वक्त किसी नीति की घोषणा करना उचित नहीं होता। मुझसे पहले पिछले वर्ष जब शासन कांग्रेस का नहीं था, तो इस विषय में किसी नीति की नवम्बर तक घोषणा नहीं की गयी थी। इसी तरह से मान्यवर, हम लोगों ने भी सोचा कि माननीय सदन के सदस्यों का जो सुझाव हो, उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय और तत्पश्चात् उस पर अध्ययन करने के बाद सरकार अपनी नीति की घोषणा करे।

मान्यवर, गन्ने के न्यूनतम मूल्य का जहां तक सवाल है, तो यह केन्द्रीय सरकार तय करती है और यह प्रदेश के अन्दर कई सालों से ऐसी प्रथा रही है कि स्टेट ऐडवाइज प्राइस वह यहां दी जाती है। सरकार मिल मालिकों से बात करती

[श्री भानु प्रताप सिंह---]

हैं और उसके पश्चात् उनकी सहमति से मूल्य की घोषणा करती है । जो निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार की घोषणा होती है, उससे काफी ज्यादा होती है । गुड़ के सपोर्ट प्राइस का सवाल माननीय हुकुम सिंह ने उठाया । यह सही बात है कि जब गुड़ की कीमत कम हो, तो उसका कोई सपोर्ट प्राइस होना चाहिए । पिछले कई सालों से मेरा अनुभव रहा है कि जब भी गुड़ की कीमत कम हो जाती है । जैसे पिछले दो-तीन साल की जो शक्कर रही है, उसने कोई सपोर्ट प्राइस क्यों घोषित नहीं की ।श्रीमन् यह सही बात है कि सपोर्ट प्राइज होना चाहिए लेकिन कुछ लोगों की हमसे शिकायत है, कि हमारी तरफ से ऐसा इशारा है कि हम ही किसी वजह से नहीं करना चाहते हैं । यह बात सही नहीं है । हम उत्तर प्रदेश के किसानों के उतने ही हितैशी हैं जितने की वह हैं । जितना कि प्रदेश के गन्ना व्यवसाइयों की सुविधाओं और उनके सद्भावनाओं की आप कदर करते हैं, उतनी ही हम भी करते हैं और उनके स्टेटस को ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम हम उठाना चाहते हैं । इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ ने सेवा नीति बनाई है, उस के आधार पर आई० ए० एस० तो नहीं कह सकते हैं पर पी० सी० एस० अधिकारी जरूर भेजते रहे हैं । जिनके चयन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली बनाई जा रही है ।

माननीय, इस प्रदेश के अन्दर एक प्रश्न उठाया गया कि वह सम्बन्धित गन्ना शोध संस्थान जो पिछले 10-12 वर्षों से कार्य कर रहा है, उसने कोई कार्य नहीं किया । तो श्रीमन्, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि किसी अनुसंधान के द्वारा ही आज आप जो देख रहे हैं गेहूं की उन्नत किस्में हों या धान की उन्नत किस्में हैं । जितनी भी फसलें हैं, जिनमें उन्नत किस्में निकाली गयी हैं धान की हो या गेहू की सब अनुसधान की ही देन है । उसी तरह से इस वर्ष भी पिछले सालों की भांति विकास किया जायगा । श्रीमन् माननीय मन्त्री जी ने जो अभी 1148 और 1158 के बारे में जिक्र किया वह ऐसी किस्में हैं, जिनके रोग के बारे में पता न लगाया गया होता तो इस भयकर रोग से हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान बरबाद हो जाते । तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने गन्ना व्यवसाय पर विशेष ध्यान दिया है, इसीलिए ऐसे उन्नत बीजों का अनुसंधान हुआ है । ताकि गन्ने का उत्पादन कम न हो । अगर उत्पादन ही कम होगा तो चीनी का मूल्य अवश्य ही बढ़ेगा । इसलिए हमारी सरकार ने अनुसंधान विभाग को निर्देश दे दिया है कि वे और नई-नई किस्मों को विकसित करें । 802 उन्हीं में की एक किस्म है । इसी प्रकार से यू० पी० ए०-1 और यू० पी० ए०-2 भी किस्में हैं, जो बहुत अच्छी है, जिन्हें अभी रिलीज नहीं किया गया है क्योंकि अभी उन पर कुछ काम चल रहा है । कुछ समय बाद उसे रिलीज कर दिया जायेगा । क्योंकि गन्ने की किस्म की जानकारी के लिए 2-3 साल का समय पर्याप्त नहीं है । इसलिए कम से कम 10-12 साल तो लग ही जाते हैं । इसलिए जैसा कि माननीय वर्मा जी ने अभी कहा था कि अनुसंधान कार्य को बन्द कर देना चाहिए ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं था (शोर) ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

ठीक है शायद मैं ही गलत समझा । अब मैं इनकी मंशा को समझ गया हूं । अनुसंधान का सारा काम बड़े कायदे और गम्भीरता से लिया जायेगा । इसके

अतिरिक्त दो तीन बातें और कही गयीं जो किसानों से सम्बन्धित हैं चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों सभी से सम्बन्धित है। चीनी का महत्व और चीनी उद्योग राजनीति में ज्यादा घर कर गया ह और बहुत ही गहराई से बैठ गया है। हम पर इधर से इल्जाम लगाया जा रहा है कि यह सरकार गूंगी हो गयी है, बहरी हो गयी है और और प्रदेश के किसानों का हित सोचना ही नहीं चाहती। जो माननीय सदस्य उधर के बैठने वाले हैं, उनसे सादर निवेदन करना चाहता हूं कि उनके यह कथन उचित प्रतीत नहीं होते। जितना आप सोचते हैं इनके हित की बात उतना ही हम भी सोचते हैं और इस प्रकार यदि आप हमारे ऊपर और हम आपके ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे तो जो विकास के काम हैं योजनाएं हैं। जिन पर हमें और आपको दोनों को मिलकर विचार करना है। विचार करने के जो क्षण हैं वह यूं ही बीत जायेंगे वह काम ऐसे ही रखे रह जायेंगे। क्या दोषारोपण करने के लिए यह सदन बना है।

आज श्रीमन्, विचार से आपके अच्छे निर्देशन की आवश्यकता है मान्यवर, आपके सुझाव अच्छे हैं। उन पर विचार किया जायेगा। वर्मा जो ने कहा कि. गन्ना का जो उद्योग है गन्ना उद्योग के आधार पर कुछ फैक्टरियां लगाई जाय शुगर काम्पलेक्स लगाया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि इस पर सरकार विचार कर रही है और मझौला पीलीभीत के अन्दर एक बड़ी डिस्टलरी लगाये जाने पर विचार हो रहा है और अन्य स्थानों पर भी विचार किया जा रहा है कि यहां पर कौन सी फैक्टरी लगाई जा सकती है इस तरह से वर्मा जी कितने जागरूक हैं उतना ही यह सरकार जागरूक है। मान्यवर, आज चीनी के उत्पादन का सवाल उठाया गया है। यह गम्भीर विषय है चीनी का उत्पादन पिछले कुछ सालों पर कम हुआ है चाहे वह सरकार की नीति रही हो, या सूखा रहा हो या श्रीमन् किसानों की अरुचि रही हो, चीनी का उत्पादन कम हुआ प्रति हेक्टेयर, वह पैदवार घटा है। मैं साधारण सदस्य की हैसियत से कहना चाहता हू कि मैं भी इस उद्योग का कोपभाजन हुआ हूं और किसी प्रकार से सप्लाई सपोर्ट प्राइज न मिलने के कारण मैंने गन्ना बोना कम कर दिया है। मान्यवर, मैं स्थिति से पूरी तरह अवगत हूं और अपने माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता कि किसी प्रकार से आपके रहते हुये, मेरे रहते हुये और इस सरकार के रहते हुये किसानों का अहित नहीं होने दिया जायगा और हम हमेशा आपकी भावनाओं का आदर करेंगे।

मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर गन्ने के आधार पर जितने उद्योग लगाये जा सकते हैं उन पर सरकार विचार कर रही है और प्रदेश में कहां पर गन्ने की फैक्टरियां लगाई जा सकती हैं इसके लिए माननीय सदस्यों का सुझाव सादर आमंत्रित है, उनका परीक्षण किया जायगा और तत्पश्चात केन्द्रीय सरकार के पास लाइसेन्स के लिये भेजा जायगा। मान्यवर, समय बहुत कम है उधर से भी लोग बोलने के इच्छुक हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि बजट प्रस्तुत किया है अपने सभी कटौती के प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें और हमारे मन्त्री जी ने जो बजट रखा है उसे स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

इस पर काफी विवाद हो चुका है । मैं चाहूंगा कि कटौती के प्रस्ताव पर श्री हुकुम सिंह उत्तर भाषण दें ।

श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी मैं आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने और विशेषकर सत्ता पक्ष के सदस्यों का जिन्होंने औपचारिक रूप से तो विरोध किया है किन्तु मन से मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है । मान्यवर, काफी चर्चा इस विषय पर हुई मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व एक प्रश्न करना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी आपने काफी बातें कहीं हैं । इस विषय में, गन्ना अनुसंधान के बारे में, क्या आपके विभाग को कोई अधिकारी या कर्मचारी ग्राम स्तर पर है जो किसानों को समय पड़ने पर सलाह दे सके उनको कठिनाई को बता सके और आपके विभाग के साथ उसका तालमेल हो ! इतना बड़ा विभाग है आपको किन्तु ग्राम स्तर पर कोई उपलब्ध नहीं है सलाह देने के लिये ।

मान्यवर, एक पक्ष हमने इन फैक्ट्रीज और मिलों का देखा । चीनी बनती है । लेकिन क्या मान्यवर, हमने दूसरे पक्ष पर ध्यान दिया । आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी चीनी मिलें, वहां के रहने वालों के लिए अभिशाप बन गयी हैं । गन्ध, मल बह कर यहां के रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होता जा रहा है । क्या ऐसी कोई नियम नहीं बनाये गये कि जो गन्ध, मल बहता है उसको शुद्ध करने के लिए हो । नियम कानून है लेकिन वह छोटे-छोटे किसानों के लिए लागू हो जाते हैं । फूड इन्सपेक्टर उनको परेशान करते हैं । सहारनपुर की चीनी मिल हिन्डन नदी को दूषित करती है जहां लाखों रुपये की मछली होती थी लेकिन आज वह अभिशाप बन गयी है । शाम को मुजफ्फरनगर और मोदी साहब की मोदी नगर में मिलें हैं । मुझे प्रसन्नता है कि आज श्री लोक पति त्रिपाठी, स्वास्थ्य मन्त्री जो भी बैठे हैं, क्या उनका ध्यान इस बात की ओर नहीं जायेगा कि वहां की जनता आज उस गन्दे वातावरण में रह कर, मैला पानी इस्तेमाल करके बीमार होती जा रही है, जानवर बीमार होते जा रहे हैं ।

*स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

किस जगह श्रीमन् ?

श्री हुकुम सिंह--

जहां जहां चीनी मिलें लगी हैं ।

श्री लोकपति--

श्रीमन् आपकी जानकारी हेतु मैं यह आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की जनसंख्या एक करोड़ 91 लाख है । इसमें आपको बता दूं कि आज तक उस क्षेत्र में 26 लाख के लगभग कुएं हैं जिनमें साढ़े सात लाख कुओं में ब्लीचिंग पाउडर पड़ चुका है, 31 लाख व्यक्तियों को हैजे के टीके लग गये हैं और प्रति दिन लगाये जा रहे हैं और कुछ बात हो तो बता दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकम सिंह—

हमारे साथी आंकड़ों में निपुण हैं। कोई भी विषय हो, ये आंकड़ों से सन्तुष्ट करने का प्रयास करते हैं। जहां जहां चीनी मिल लगी है वहां के निवासी कैसे बसर कर रहे हैं यह आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप उनकी आने वाली नस्लों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

मान्यवर, तकनीकी जानकारी के बारे में, उसकी उन्नति के बारे में हमारे मन्त्री जी ने काफी कहा लेकिन साथ-साथ एक प्रश्न मेरे दिमाग में उठता है कि मान्यवर, अगर आप इतना लगाव रखते हैं तकनीकी उन्नति से तो क्या कारण है कि जितने भी क्रेशर प्लान्ट्स हैं, सल्फर प्लान्ट्स हैं, उनको कोई नयी तकनीकी में उन्नति करने की इजाजत नहीं देते। कैजुअल मैंन लगाना चाहते हैं तो क्या लगा सकते हैं? नयी तकनीक के न होने से उपज कम होती है लेकिन क्यों नहीं लगा पाते, कारण साफ है। केवल एक ही कारण है कि यहां के जो उद्योग-पति, खासकर मिल मालिक हैं, चाहते हैं कि जितने खान्डसारी यूनिट्स हैं कहीं उनके कम्पटीशन में न ठहर सके। मन्त्री जी आप इस बात पर विचार करें और परामर्श दें कि अगर कोई तकनीकी उन्नति हो तो करें। जो विभाग ने आप को बता दिया तो आप नहीं करने देंगे।

मिल वाले कुछ करने वाले हैं। उनके ऊपर राष्ट्रीयकरण का अंकुश ऐसा लगा दिया है। मिल वालों के दबाव में आकर करने नहीं देंगे, तो किस प्रकार तकनीकी उन्नति इसमें करने जा रहे हैं। मैं ज्यादा समय न ले कर अपना भाषण समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस विभाग की इतनी अनियमितताएं, इतनी कमियां और कमजोरी देखने के बाद, माननीय सदस्य मेरी कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

गन्ना विकास मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं धन्यवाद देता हूं उन सब माननीय सदस्यों का जिन्होंने हमारे इस अनुदान में हमें रचनात्मक सुझाव दे कर हमें गौरवान्वित किया। इससे पहले मैं माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर दे सकूं जो उन्होंने उठाया है जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किये थे उसमें शायद भ्रम उत्पन्न हो गया है। मैं दोबारा उनको दोहरा देना चाहता हूं। माननीय सदस्य कैरान को खास कर ध्यान देने के लिए आग्रह करूंगा। वह अपने पिछले तीन साल के करनामों को जरा देख लें। सुबह मैंने अर्ज किया था 1976-77 में जो हमने अपनी नीतियां निर्धारित की थी गन्ना विकास और चीनी उद्योग के सम्बन्ध में वह अगले साल में सबकी सब मेटियामेट कर दी गयीं। उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस साल के प्रतिफल 1977-78 में प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन जो वर्ष गुजर गये हैं उनमें हयस्ट उत्पादन उस वर्ष में हुआ है। उसी वर्ष में अगर आप देखें गन्ने का उत्पादन मैंने बतलाया था 13.79 लाख हेक्टर में गन्ना उत्पादित किया

[श्री यशपाल सिंह---]

गया था। उसके बाद 1978-79 में 14.79 हेक्टर में था यानी कुछ बढ़ा रकबा। लेकिन प्रति एकड़ पैदावार जो हमने नीति निर्धारित की थी, उसके कारण 493.4 क्विंटल प्रति हेक्टर हमारी पैदावार हुई और इनके यहां प्रति हेक्टर पैदावार क्या हुई, 394 क्विंटल।

मान्यवर, उससे अगले वर्ष में यह इससे भी ज्यादा तरक्की कर गये 382 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार हुई। इसी प्रकार से कुल गन्ना उत्पादन देखें तो 1977-78 में 680 लाख मीटरिक टन और उसके बाद 1978-79 में 578 मीटरिक टन और 1979-80 में 471 मीटरिक टन, इनकी नीतियों के कारण हमारे ऊपर दोष मढ़ा जाता है। जून के महीने में हमारी सरकार बनी। जून में कहीं गन्ना बोया जाता है? मान्यवर, अपने गिरेबान में वह मुंह डाल कर देखें। उस जमाने में सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमारी रुग्ण मिलों के लिए इंसेंटिव्ज घोषित किये गये थे, इनकी सरकार की पालिसी की वजह से तमाम इंसेंटिव्ज खत्म हो गये। जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे कोआपरेटिव क्षेत्र सेक्टर में चलने वाली मिलें जो 1976-77 में 864.74 लाख रुपये प्राफिट में चल रही थी। लेकिन अगले वर्षों में नुकसान में तब्दील हो गये। तो यह हाल इनकी सरकार का उस जमाने में रहा। मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि एक बात इन्होंने ऐसी उठाई की कि अगर इस उत्तर प्रदेश में, भारत वर्ष में कोई हितैषी है किसानों का, तो चौधरी चरण सिंह हैं। मान्यवर, मैं चौधरी साहब के लिये अपने दिल में एक जगह रखता हूं, सम्मान करता हूं। मान्यवर, माफ करेंगे इनकी तरह से मैं नहीं हूं कि आज सम्मान करूं और कल मैं कुछ दूसरी बात कहने लगूं। (हंसी) (मेजों की थपथपाहट)।

लेकिन एक बात मान्यवर, मैं सफाई से कह देना चाहता हूं कि किसानों का नाम लेकर, किसानों का मसीहा कहलवा कर, उच्चतम पद को प्राप्त करने के पश्चात् भी जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में और देश में एग्रीकल्चर प्रोटेंशियल को न समझ कर देश और प्रदेश के किसानों को कहे कि मेरे सर पर गन्ना बो दो, तो मैं समझता हूं कि वह किसानों का हितैषी नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सन् 1967, 1969, 1971 में चौधरी चरण सिंह यहां के मुख्य मन्त्री रहे। 1969 की गन्ने की हिस्ट्री को आप देखें। गन्ना खेतों में खड़ा रह गया, 1971 में गन्ना खेतों में खड़ा रह गया या नहीं। यह जो 3 वर्ष इनके अभी गुजरे हैं उनके बारे में कहना मेरे लिये संभव नहीं होगा। केवल 1967 में ऐसा साल गुजरा है जिसमें तमाम भारतवर्ष में जो गुड़ और चीनी की उस वक्त जो क्राइसेस आयी थी और गन्ने का भाव बढ़ा था तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री होने की वजह से किसानों के मसीहा कहलाने लगे थे। हरियाणा और पंजाब में वहां के मुख्य मन्त्री किसानों के मसीहा क्यों नहीं कहे गये। इन्होंने तो एक लाइन पकड़ रखी है उससे यह हटने वाले नहीं हैं और मुझे इसके बारे में ज्यादा कहना भी नहीं है। एक बात इन्होंने कही कि गुड़ की सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिये। बात तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मान्यवर, यह इनके दिमाग में नहीं रहा कि सपोर्ट प्राइस कब होनी चाहिये। जब सरप्लस हो और मारकेट में अच्छा पैसा न मिलता हो तो सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिये। आज तो अच्छी प्राइस मिल रही है, इन दिनों में भी आप सपोर्ट प्राइस चाहते हैं। मान्यवर, एक बात इन्होंने बहुत जोरदार लफ्जों में कही कि 3 वर्षों के अग्रिम रेट्स जो हों वह किसानों को मालूम हो जाने चाहिये। पहले तय हो जाना चाहिये कि गन्ने का भाव क्या

होगा । लेकिन क्या देश और प्रदेश की परिस्थितियां इस बात को अनुकूल हैं और अगर अनुकूल हैं तो इनको भी समय मिला था, 1967 में चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे, 1971 में भी थे, उसके बाद 1977 से 1980 तक उन्हीं के मुख्य मन्त्रा यहां रहे । तो मान्यवर, क्या तीन वर्ष पहले रेट घोषित किये गये थे । इस वर्ष के लिये बड़े जोरदार लफ्जों में इन्होंने कहा कि अगर हौसला है तो भावों को घोषित करो । हमारी हिम्मत को यह देखना चाहते हैं ।

मान्यवर, हम इनकी तरह से जजबात में बहने वाले नहीं हैं, इनकी तरह से बिना सोचे समझे किसी नीति की घोषणा नहीं करने वाले हैं ।

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने कहा कि 29 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट होना चाहिये क्योंकि मोहम्मद रफी अहमद किदवई के समय में तय हुआ था कि जितने रुपये चीनी का रेट हो उतने ही आने गन्ने का रेट होना चाहिये । तो मान्यवर, 1962 तक कितनी परिस्थितियां बदली हैं, किस तरह से फ्लक्चुएशन बाजार में चल रहे हैं उसमें क्या यह संभव होगा ?

मान्यवर, अभी सम्मानित सदस्य श्री राम स्वरूप वर्मा, मैं उनका आदर करता हूं, ने सुझाव अच्छा दिया है, लेकिन उनको हमारी निन्द्रा की बड़ी चिन्ता रही है कि कि हमारी सरकार सो रही है इसका एक दिन और जिक्र किया था आज उसका जिक्र दुबारा इस प्रकार किया कि संभवतः मंत्री जी उससे नाराज हो गये हैं । तो मुझे नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो उनका सम्मान करता हूं । लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था और फिर आज कह रहा हूं कि हम सो सकते हैं एक सजग प्रहरी की तरह लेकिन हम कुम्भकरण की नींद नहीं सोयेंगे । मान्यवर, जितने प्वाइंट्स का उन्होंने जिक्र किया, शायद उन्हें नहीं मालूम है और शायद मैंने अपनी बातों में नहीं रखा था, जैसा कि वह कह रहे हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में एक फैक्टरी जून से सम्बद्ध कर दी जाय कि उन तमाम किसानों की कठिनाइयों की देखरेख की जिम्मेदारी फैक्टरी मालिक की हो । तो यह सुझाव अच्छा है । महाराष्ट्र पेटर्न पर उनका संकेत है । तो इस संबंध में इसके पूर्व ही हमने अपने अधिकारियों को आदेश दे दिये हैं कि मिसी फैक्टरी के ऊपर कोई परीक्षण इस प्रकार का जरूर करें । यदि वह परीक्षण सफल हो तो उसको हम लागू कर सकते हैं ।

मान्यवर, दूसरी बात अल्कोहल के संबंध में श्री वर्मा जी ने कहा । तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम कुम्भकरण की नींद नहीं सोते हैं क्योंकि हमने जबसे गन्ना मंत्री की हैसियत से कार्यभार संभाला तभी अपने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि मोलेसश बेस्ड इंडस्ट्रीज, बेगास बेस्ड इंडस्ट्रीज और संभव हो सके तो मड बेस्ड इंडस्ट्रीज को उनके साथ अटैच करें और यह भी कहा था कि गन्ने की प्राइज को स्टेबिल करना है और किसानों को यहां बाजार के हर तीसरे चौथे वर्ष के फ्लक्चुएशन से महफूज रखना है । यह बात हमने शुरू में ही कहा था । तो इस तरह से चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देना पड़ेगा । उत्तर प्रदेश के सभी गन्ना मिल मालिकों को और अपने सहकारिता और कारपोरेशन के अन्तर्गत चलने वाली जो फैक्टरीज हैं उनको भी मैं आवाहन करता हूं कि इस प्रकार की इंडस्ट्रीज इस प्रदेश में लाने की चेष्टा करें ताकि हमारे किसानों को समुचित मूल्य हमेशा के लिये मिल सके और तीसरे और चौथे वर्ष में जो गन्ना किसान चिन्ता में पड़ जाता है वह न पड़े ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या भविष्य में शुगर काम्प्लेक्स यहां लायेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

अभी नहीं अभी परीक्षण करायेंगे ।

मान्यवर, एक चीज सुबह मिस हो गई थी । हमारे प्रदेश के किसानों को चिन्ता लगी है कि पिछले तीन वर्षों में जो बाउन्डिंग पालिसी थी जिस पर हमारे माननीय सदस्य, केराना, को फक्र है, वह वर्ष शायद अच्छे गये हों । भट्ठा फूट गया । मान्यवर, किसानों का, जो गन्ना उत्पादन करने वाले थे उनका । सप्लाई का क्या इन्होंने प्रबन्ध किया । बहरहाल मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता । एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से छोटे किसानों के लिए पहले तीन महीनों के गन्ने की सप्लाई सुनिश्चित कर दी गई है, इस प्रकार के आदेश कर दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त जो पिछले वर्ष की किसानों की सप्लाई है या उनका बेसिक कोटा है इसमें से जो भी अधिक हो वह इस वर्ष का बेसिक कोटा मान लिया जायेगा और इस बेसिक कोटे के बाद भी अगर किसान असंतुष्ट है तो उसकी वास्तविक पैदवार के 85 प्रतिशत तक वह बोन्ड कर सकेगा । इस तरह के आदेश कर दिये गये हैं ।

मान्यवर, इसके अलावा हमारे माननीय सदस्य, बरेली चले गये हैं, चिन्ता व्यक्त की थी गन्ना संस्थान के बारे में । उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया । इस संस्थान के द्वारा प्रदेश में गन्ना किसानों को, गन्ना विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है । पिछले तीन वर्षों से वहां पर..

(व्यवधान)

अब फिर दुबारा इसे जोर शोर से शुरू किया जा रहा है । इसके साथ ही साथ जो हमारे तीन प्रशिक्षण केन्द्र थे, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, गोरखपुर, इनके साथ बरेली में हेमपुर स्थान पर एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की शासन ने इजाजत दे दी है ।

कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने इस तरफ संकेत किया कि नई फैक्टरीज के लाइसेन्स दिये जायं । मान्यवर, पांच फैक्टरीज के लिए केन्द्र सरकार से मांग की गई है कि वह लाइसेन्स हमको स्वीकार कर दे, सितारगंज नैनीताल में मोरना मुजफ्फरनगर में हंस सेनी खेड़ा बरेली में, सम्पूर्णानन्द नगर खीरी में और पूरनपुर पीलीभीत में । इसके अतिरिक्त जो पहले से लाइसेन्स हमें स्वीकृत हैं उनमें से तीन स्थानों पर सुल्तानपुर, महमूदाबाद और गजरौला में अंश पूजी क्योंकि अभी तक पूरी नहीं हो पायी है इसकी वजह से वहां पर काम रुका हुआ है । इन तीन के अतिरिक्त दो स्थानों पर तिलहर शाहजहांपुर में और बेलगारा लखीमपुर खीरी में कार्य चल रहा है और हम शीघ्र पिराई प्रारम्भ कर देने की आशा करते हैं ।

मान्यवर, माननीय सदस्य, कैराना, ने एक जबरदस्त बात की कि उत्तर प्रदेश की चीनी रिकवरी तामिलनाडु से भी कम है, महाराष्ट्र और गुजरात से कम है ही । सब जगह से कम बता कर एक चित्र प्रदेश की जनता के सामने पेश कर दिया गया है जैसे उत्तर प्रदेश में चीनी का सबसे में कम उत्पादन होता हो । मैं उनको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जरा देखेंगे । ये चार प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, रिकवरी के मसले में हमसे कुछ ज्यादा हैं । 5वें नम्बर पर हमारा प्रदेश आता है । जिस समय वह

रिकवरी के बारे में सोचा करें तो गन्ने की मिच्योरिटी पीरियड और क्लाइमेटिक कंडीशन्स के बारे में भी सोच लिया करें। उत्तर प्रदेश में 9 महीने से 12 महीने गन्ने की परिपक्वता का समय है जब कि महाराष्ट्र में 12 महीने से 18 महीने है। इसी प्रकार अगर क्लाइमेटिक कंडीशन्स को देखें रेड रॉट नाम की चीज महाराष्ट्र में कोई नहीं है जब कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में रेड राट रहित कोई स्थान नहीं है।

(व्यवधान)

रेड राट रहित गन्ने का बीज अब निकाला गया है। माननीय सदस्य मुजफ्फरनगर अथवा गोरखपुर जा कर देखने का जरा कष्ट करें। अन्त में मैं यह निवेदन कर दूं अगर कोई बात बिना उत्तर के रह गयी है और उस बात में जान है, वह रीजनबिल है तो उसे देख लिया जायेगा, उससे फायदा उठाने का प्रयास किया जायगा।

श्री भोला लाल—

माननीय मंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण देंगे कि सरकार जब शकर की कीमत तय करती है तो इस बात को देख लेती है कि मिल मालिकों को शकर के उत्पादन में कितनी लागत पड़ी, क्या सरकार गन्ने की कीमत तय करने के पहले उसी प्रकार यह देख लेती है कि काश्तकार को उसके उत्पादन में कितनी कास्ट पड़ी ?

श्री यशपाल सिंह—

मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य को प्रदेश के किसानों की बड़ी चिन्ता है लेकिन हमको भी उनसे फायदा न हो तो कम चिन्ता प्रदेश के किसानों के लिये नहीं है। प्रदेश के किसानों के गन्ने का मूल्य उसकी लागत देखकर ही रखा जाता है। अगर कोई सरकार ऐसा नहीं करती है तो मैं यह समझता हूं कि वह सरकार है ही नहीं, उसके सामने किसानों का हित ही नहीं होता है। एक सम्मानित सदस्य ने बेकुअन पेन के बारे में कही। उनको शायद यह जानकारी नहीं है कि वेकुअम पेन के अधिकार केन्द्र सरकार का है और वही उसकी इजाजत देती है। शायद उनकी जानकारी नहीं है कि इस प्रकार का वैकुअम पेन लगाने के लिये कोई व्यक्ति अपना प्रार्थना-पत्र ले कर आया था। हमने केवल इसी परीक्षण के लिए कि अगर सलफर और प्रेसर में वैकुअम पैन का सिलसिला बन जाय तो उससे काश्तकारों को बहुत लाभ हो सकता है। हमारे अधिकारियों ने उसको अपनी सिफारिश के साथ भारत सरकार को अग्रसारित किया हैं और अनुमति मांगी है ताकि हम उसे बना सकें।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं गुड़, खांडसारी और चीनी तीनों का एक स्थान उत्तर प्रदेश में है। हम चाहते हैं कि तीनों का उद्योग सर्वाइव करे और यही हमारी नीयत है। एक दूसरे उद्योग के ऊपर कोई दूसरा हावी न हो पाये, इसके लिए भी सरकार हर समय चिंतित रहती है। इसलिये तीनों का हित दृष्टिगत रहेगा और इसके अतिरिक्त कोई बात मैं समझता हूं कि विशेष नहीं रह गई है जिसका मुझे उत्तर देना हो।

[श्री यशपाल सिंह---]

हां, समितियों के चुनाव के बारे में भी कहना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों का चिन्ता है कि डाइरेक्ट इलेक्शन कर दिया। शायद वे इन्डाइरेक्ट इलेक्शन चाहते हों तो उसके बारे में देख लिया जायेगा। इसके पश्चात मैं सम्मानित सदस्यों का अनुगृहीत हूं और उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वे उदारतापूर्वक इस अनुदान को स्वीकार करें और सम्मानित सदस्य कैराना से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें क्योंकि इसके बाद अब कोई विशेष बात नहीं रह जाती है।

*श्री रियासत हुसेन---

एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि गन्ने की सप्लाई का सीजन 130 दिन से 100 दिन के अन्दर-अन्दर ही रहता है और चीनी का पलक्चुयेशन 365 दिन तक होता रहता है। तो क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि जो गन्ने की कीमत रखी जाती है उसमें चीनी की मार्केट कीमत, गन्ने की लागत और फैक्टरी प्रोफिट को सामने रखकर की जाती है? क्योंकि चीनी का पलक्चुयेशन साल भर में होता रहता है तो उसी रेशियो से गन्ना किसानों को बोनस देने पर आप विचार करेंगे?

श्री यशपाल सिंह---

मान्यवर, अपने मन से विरोध करते हुये माननीय सदस्य मुझसे भी विरोध करना चाहते हैं। हमको तीनों का हित सोचना है। कन्ज्यूमर्स का भी, कृषकों का भी, उद्योग का भी और इसके अतिरिक्त चीनी के कितने भाव बढ़े हैं वह सब जानते हैं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय हुकम सिंह, क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे?

श्री हुकम सिंह---

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54---गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54---गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,35,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,81,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--91 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 118--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 118--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान

[श्री अध्यक्ष---]

द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 के अन्तर्गत मेरे समक्ष आज चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं । उनमें से एक श्री नन्द किशोर सिंह की जनपद लखनऊ के बेहटा नाले में नाव डूब जाने से 13 छात्रों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है जिस पर मैं वक्तव्य के लिए निर्देश दे रहा हूं । शेष अस्वीकृत हैं । अब आज हम उठते हैं 15 तारीख को 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 16 मिनट पर सोमवार 15 सितम्बर, 1980 को 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

10 सितम्बर, 1980 ई0

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 919 पर)

घटना का विवरण—

मृतक के भाई श्री बजरंगी सिंह द्वारा लिखाई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 22/23 जुलाई, 1980 की रात श्री बंश सिंह, निवासी ग्राम बजुपुर, जिला आजमगढ़ अपने मकान, जो आबादी से बाहर एकान्त में हैं, अपनी बीबी यशोदा, बच्ची गीता व रीता, लड़का उमेश सिंह सहित सोये थे। दूसरे कमरे में उसके पिता तथा श्री बंश सिंह का लड़का अनिल सोया था। श्री बंश सिंह का लड़का जीतेश व भूपेश अलग चारपाई पर सोये थे। श्री बंश सिंह के भाई श्री बजरंगी सिंह ने दिनांक 23 जुलाई, 1980 की सुबह देखा कि श्री बंश सिंह, उनका लड़का जीतेश, भूपेश, उमेश, कुमारी रीता व बच्ची गीता श्री बंश की स्त्री यशोदा देबी का गला काट कर बदमाशों ने जान मार डाला है।

इस घटना के सम्बन्ध में दिनांक 23 जुलाई, 1980 को थाना मेहनगर, आजमगढ़ में एक अपराध धारा 302 भा० द० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ है।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 928 पर)

सूची 'अ'

राजकीय हाई स्कूल, इन्टर तथा डिग्री कालेज जिनके अपने भवन नहीं हैं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल

1—राजकीय हाई स्कूल—

(1) बूंगी धार
(2) चौली सैंण
(3) बैठाणी
(4) ढौड
(5) दौन्दल
(6) सैन्धार
(7) हिवाली धार
(8) तरवाली सैण
(9) स्यूंसी
(10) कोटद्वार
(11) जोडियानाखाल
(12) सैन्धोखाल
(13) शंकरपुर
(14) कालौ
(15) सुनाड़ी
(16) कमलखेत
(17) चैलूसैंण
(18) पौपडियू
(19) मौजखाल
(30) रतूड़ा
(21) कुम्भी चौड
(22) गैन्डखाल
(23) कान्डखाल कौडिया
(24) कलजिखाल

(25) बिलखेत
(26) चम्पेश्वर
(27) चौरी खाल
(28) वाड़ा
(29) कुन्डा
(30) खैरासंण
(31) घेरवा
(32) कीर्तिखाल
(33) द्वारीखाल
(34) गुलियारी

2--राजकीय इन्टर कालेज--

(1) सबधरखाल
(2) बगलगेडी बगा
(3) देवलगढ़
(4) पौडी (कन्य)
(5) थली सैण

3--राजकीय डिग्री कालेज--

(1) चैंबटाखाल
(2) वेदी खाल
(3) लैन्सडाउन (जय हरिखाल)
जनपद चमोली

4--राजकीय हाई स्कूल--

(1) चन्द्रनगर
(2) रड़वा
(3) पलद्वाडी
(4) परकण्डी
(5) लभाभौड़ी
(6) सिमली
(7) बैरामना
(8) रैंस चोपता

(9) कोटी

(10) काण्डइ

(11) ल्वारा

(12) कोटमा

(13) अलकापुरी

(14) मैलखेत

(15) मनसूना

(16) मालतोली

(17) गोदली

(18) रोडिड़ा

(19) लंगसी

(20) सांवरी सैण

(21) उज्जवलपुर

(22) आदिबद्री

(23) सिदोली

(24) मेहलचौरी

(25) माणा

(26) देवलकोट

(27) जोशीमठ (बालिका)

(28) कर्णप्रयाग (बालिका)

2—राजकीय इन्टर कालेज—

(1) उखी मठ

(2) घाट

(3) गडौरा

(4) फाटा

(5) बछूवाबान

(6) विद्यापीठ, गुप्तकाशी

(7) नन्द प्रयाग

(8) गोपेश्वर

3--राजकीय डिग्री कालेज--

(1) अगस्तमुनी--अस्थाई शेडों में चल रहा है

(2) कर्णप्रयाग

सूची 'ब'

वर्ष 1980-81 में स्वीकृत भवन निर्माण कार्य

जनपद पौड़ी

1--राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय--

(1) देवलगढ़

(2) पौड़ी (कन्या)

(3) दौंढ

(4) स्यूंसी

(5) बुंगी धार

(6) थली सैंण

जनपद चमोली

राजकीय इण्टर कालेज--

(1) गोपेश्वर

(2) घाट

उत्तराखण्ड अभिलेखागार

पी0 एस0 यू0 पी0--99 वि0 सभा--1982-833--(पी0 डी0)